पंजीकरण संख्या—यू०ए०/डी०ओ०/डी०डी०एन०/30/2018—2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 23 फरवरी, 2019 ई० (फाल्गुन 04, 1940 शक सम्वत्)

भाग 1—क

नियम, कार्य—विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

अधिसूचना

14 सितम्बर, 2018 ई०

सं० F-9(29)/RG/UERC/2018/852—विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61 सपठित धारा 181 के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् —

भाग—1

प्रारम्भिक

1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

(1) इन विनियमों का नाम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय शुल्क के अवधारण हेतु निबंधन और शर्तें) विनियम, 2018, संक्षेप में उ.वि.नि.आ., शुल्क विनियम, 2018 होगा।

(2) इन विनियमों का विस्तार संपूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(यह विनियम दिनांक 06.10.2018 के अंग्रेजी विनियम का हिन्दी रूपान्तरण है, किसी भी तरह के विवाद (व्याख्या) के लिए अंग्रेजी विनियम अन्तिम एवं मान्य होगा।)

(3) ये विनियम वित्तीय वर्ष 2019—20 से वित्तीय वर्ष 2021—22, अर्थात् 1 अप्रैल, 2019 से 31, मार्च 2022 तक इन विनियमों के अधीन आने वाले सभी मामलों में शुल्क के अवधारण हेतु लागू होंगे।

2 विनियमों की परिधि:

(1) ये विनियम निम्नलिखित मामलों में लागू होंगे:—

(a) एक उत्पादक कंपनी द्वारा एक वितरण अनुज्ञापी को विद्युत की आपूर्ति;
परन्तु, विद्युत की आपूर्ति में कमी होने पर आयोग, विद्युत के युक्तियुक्त मूल्य सुनिश्चित करने के लिए अधिकतम एक वर्ष हेतु एक उत्पादक कंपनी और एक अनुज्ञापी या अनुज्ञापियों के

मध्य हुए करार के अनुसरण में विद्युत के क्रय या विक्रय हेतु शुल्क की न्यूनतम और अधिकतम सीमा तय कर सकता है;

(b) विद्युत का राज्यान्तर्गत पारेषण;

(c) एस.एल.डी.सी. प्रभार;

(d) विद्युत की खुदरा आपूर्ति;

परन्तु, दो या इससे अधिक वितरण अनुज्ञापियों द्वारा एक ही क्षेत्र में विद्युत के वितरण के मामलें में, वितरण अनुज्ञापियों के मध्य प्रतिस्पर्धा विकसित करने के लिए आयोग, विद्युत के खुदरा विक्रय हेतु शुल्क की केवल अधिकतम सीमा तय कर सकता है;

परन्तु, आगे यह कि जहां आयोग ने अधिनियम की धारा 42 के अधीन उपभोक्ताओं की किसी श्रेणी के लिये उन्मुक्त अभिगमन की अनुमति दी है, वहां आयोग इन विनियमों और समय–समय पर संशोधित उविनिआ, राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन विनियम के अनुसार व्हीलिंग प्रभार, प्रतिसहायिकी अधिभार, अतिरिक्त प्रभार तथा अन्य उन्मुक्त अभिगमन संबंधी प्रभार अवधारित कर सकता है।

(2) निम्नलिखित मामलों में शुल्क के अवधारण हेतु ये विनियम लागू नहीं होगें:

(a) उत्पादक स्टेशन जिनका शुल्क केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिस्पर्धात्मक बोली दिशा निर्देशों के अनुसार पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञात किया गया है और अधिनियम की धारा 63 के अधीन आयोग द्वारा अंगीकृत किया गया है।

(b) ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के उत्पादन स्टेशन, जो समय समय पर संशोधित उविनिआ आई0ई0 विनियमों द्वारा किसी भी अधिनियम द्वारा शासित होंगे।

(3) सभी प्रयोजनों, जिनमें 31.03.2019 तक की अवधि से संबंधित समीक्षा मामलें सम्मिलित हैं, के लिये शुल्क के अवधारण से संबंधित मुद्दे उस अवधि के दौरान प्रचलित विनियमों द्वारा शासित होंगे।

3 परिभाषाएं

जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में;

(1) "लेखा विवरण" से प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु निम्नलिखित विवरण अभिप्रेत है, यथा–

(a) कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–3 के भाग–1 में समावेशित प्रपत्र के अनुसार तैयार व समय–समय पर संशोधित तुलन पत्र;

(b) इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया के नकदी प्रवाह विवरण (ए.एस–3) पर लेखा मानक या लेखा मानक बोर्ड द्वारा जारी तालिका 7 के रूप के अनुसार तैयार, नकदी प्रवाह विवरण;

(c) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 128(1) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित लागत अभिलेख;

(d) समय समय पर आयोग द्वारा निर्देशित जानकारी के साथ अन्य समर्थक दस्तावेज व उनकी टिप्पणियां;

(e) कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–3 के भाग 2 में समावेशित आवश्यकताओं के अनुपालन के साथ लाभ और हानि लेखा;

(f) संविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट;

परन्तु विद्युत के वितरण के कारोबार में संलिप्त किसी स्थानीय प्रधिकारी के मामलों में लेखा विवरण से अभिप्राय होगा कि ऐसे प्राधिकारी पर लागू सुसंगत अधिनियमों और संविधियों के अनुसार तैयार किये गये व रखे गये उपरोक्तानुसार मदें।

(2) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) जिसमें उसके संशोधन भी सम्मिलित हैं, अभिप्रेत है;

(3) "अतिरिक्त पूंजीकरण" से परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि के पश्चात् वास्तव में हुए या होने के लिए प्रक्षेपित तथा विनियम 22 के उपबन्धो के अधीन कुशल जांच के पश्चात् आयोग द्वारा स्वीकार किया गया पूंजीगत व्यय अभिप्रेत है।

(4) "कुल राजस्व आवश्यकता" से इन विनियमों के अनुसार किसी वित्तीय वर्ष विशेष के लिए अपने अनुज्ञापित/विनियमित कारोबार से संबंधित सभी अनुमोदनीय व्ययों ओर रिटर्न की, शुल्कों के माध्यम से वसूली हेतु पारेषण अनुज्ञापी या वितरण अनुज्ञापी या उत्पादक कंपनी या एस.एल.डी.सी. की आवश्यकता अभिप्रेत है;

(5) "आवंटन विवरण" से अनुज्ञापियों/उत्पादक कंपनी/एस.एल.डी.सी. के प्रत्येक पृथक कारोबार के संबंध में प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु एक ऐसा विवरण अभिप्रेत है जिसमें किसी ऐसे राजस्व, लागतों, आस्तियों, दायित्वों, आरक्षितियों या प्रावधानों को दर्शाया गया हो जो;

(a) प्रत्येक ऐसे पृथक कारोबार से या कारोबार के प्रभारित होतें हैं का तथा साथ में उस प्रभार के आधार का वर्णन; या

(b) अनुज्ञापी/उत्पादक कंपनी के अनुज्ञापित/विनियमित कारोबार और प्रत्येक अन्य पृथक कारोबार के मध्य प्रभाजन अथवा आवंटन द्वारा अवधारित तथा उसके साथ प्रभाजन अथवा आबंटन के आधार का वर्णन;

परन्तु एक उत्पादक स्टेशन के संबंध में ऐसा आबंटन विवरण इस प्रकार रखा जायेगा कि शुल्क अवधारण, चरणवार, यूनिटवार या संपूर्ण उत्पादन स्टेशन के लिये किया जा सके।

(6) "आवेदक" से एक ऐसी उत्पादक कंपनी या पारेषण अनुज्ञापी या वितरण अनुज्ञापी या एस.एल.डी.सी. अभिप्रेत है जिसने अधिनियम और इन विनियमों के अनूसार कुल राजस्व आवश्यकता और या शुल्क के निर्धारण हेतु आवेदन/याचिका का वार्षिक निष्पादन समीक्षा हेतु आवेदन किया है तथा इसमें एक ऐसी उत्पादक कंपनी या पारेषण अनुज्ञापी या वितरण अनुज्ञापी या एस.एल.डी.सी. सम्मिलित है जिसका शुल्क स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध या प्रभावित व्यक्ति या वार्षिक निष्पादन समीक्षा के भाग के रूप में आयोग द्वारा समीक्षा का विषय है;

(7) "लेखा परीक्षण" से समय–समय पर संशाधित कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 224, 233बी और 619 या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) का अध्याय 10 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार, यथास्थिति, उत्पादक कंपनी या अनुज्ञापी या एस.एल.डी.सी. द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक अभिप्रेत है;

(8) एक उत्पादक स्टेशन के मामले में, एक अवधि के संबंध में "अनुषंगी ऊर्जा उपभोग" से उत्पादक स्टेशन के अनुषंगी उपकरण जैसे कि संयंत्र के प्रचालन के उद्देश्य से उपयोग किये गये, किये जा रहे उपकरण और मशीनरी जिसमें उत्पादक स्टेशन का स्विचयार्ड सम्मिलित है, द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा की मात्रा ओर उत्पादक स्टेशन के भीतर की परिवर्तक हानियां अभिप्रेत है तथा इसे उत्पादक स्टेशन की सभी यूनिट्स के जनरेटर टर्मिनल्स पर उत्पादित सकल ऊर्जा के योग के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जायेगा;

परन्तु एक उत्पादक स्टेशन के कॉलोनी उपभोग और अन्य सुविधाओं तथा उत्पादक स्टेशन पर निर्माण कार्य हेतु उपभोग की गई ऊर्जा को इन विनियमों के प्रयोजन हेतु अनुषंगी ऊर्जा के भाग के रूप में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(9) किसी दी गई अवधि हेतु पारेषण प्रणाली के संबंध में "उपलब्धता" से उस अवधि में "घंटो में" समय अभिप्रेत है जिसमें पारेषण प्रणाली डिलिवरी बिंदु तक अपनी रेटेड वोल्टेज पर विद्युत के प्रेषण हेतु सक्षम है तथा इसे दी गई अवधि में कुल घंटो के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जायेगा।

(10) "आधार वर्ष" से वह वर्ष अभिप्रेत है जो नियंत्रण अवधि से दो वित्तीय वर्ष पूर्ववर्ती है, जो इन विनियमों द्वारा आवृत होगा तथा नियंत्रण अवधि हेतु आधार वर्ष वित्तीय वर्ष 2017–18 होगा;

(11) एक उत्पादन स्टेशन के संबंध में "लाभार्थी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो ऐसे उत्पादक स्टेशन पर उत्पादित विद्युत क्रय करता है जिसका शुल्क इन विनियमों के अधीन अवधारित है, तथा पारेषण कारोबार के संबंध में ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने पारेषण प्रभारों का भुगतान कर पारेषण क्षमता की संविदा की है।

(12) एक संयुक्त चक्र ताप उत्पादक स्टेशन के संबंध में "ब्लॉक" में कम्बसटन टर्बाईन–जनरेटर्स, सहायक वेस्ट ताप रिकवरी ब्वायलर्स, संयोजित भाप टर्बाइन जेनरेटर्स और अनुषांगिकी सम्मिलित है;

(13) "पूंजी लागत" से विनियम 21 के अनुसार अवधारित पूंजी लागत अभिप्रेत है;

(14) "सी.ई.आर.सी." से केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग अभिप्रेत है।

(15) "विधि में परिवर्तन" से निम्नलिखित में से किसी घटना का अर्थ है जिसमें इन विनियमों के अन्तर्गत उत्पादन स्टेशन या पारेषण प्रणाली या वितरण प्रणाली या एस.एल.डी.सी. के प्रचालन अभिग्रस्त निहितार्थ होते हो:

(a) किसी विधान, प्रभाव में लाना, अंगीकरण, प्रख्यापन, संशोधन, आशोधन या निरस्त होना; या

(b) किसी सक्षम न्यायालय, न्यायधिकरण या सरकारी अभिकरण जो ऐसे निर्वचन या अनुप्रयोग हेतु विधि के अधीन अंतिम प्रधिकारी हो, के द्वारा किसी भारतीय विधि के निर्वचन या अनुप्रयोग में परिवर्तन; या

(c) परियोजना हेतु किसी सम्मति या अनापत्ति या अनुमोदन या उपलब्ध अथवा प्राप्त अनुज्ञप्ति में किसी शर्त या प्रसंविदा में किसी सक्षम संविधिक प्राधिकारी द्वारा परिवर्तन; या

(d) भारत सरकार और किसी अन्य प्रस्तुत संपन्न स्तर के मध्य किसी द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करार/संधि का प्रवृत्त होना या उसमें परिवर्तन होना।

(16) "आयोग" से विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 82 के अधीन गठित उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग अभिप्रेत है;

(17) "नियंत्रण अवधि" से तक की तीन वित्तीय वर्ष की अवधि 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च, 2022 अभिप्रेत है जिसके लिए इन विनियमों में राजस्व आवश्यकता और शुल्क के अवधारण के सिद्धांत विनिर्दिष्ट किये गये है;

(18) "पारम्परिक ऊर्जा संयंत्र" से 25 MW से अधिक क्षमता के गैस आधारित तापीय या जल विद्युत उत्पादक स्टेशन अभिप्रेत है;

(19) "कटआफ तिथि" से संपूर्ण परियोजना अथवा उसके एक भाग के वाणिज्यिक प्रचालन के दो वर्ष के पश्चात् वर्षात में 31 मार्च अभिप्रेत है और यदि संपूर्ण परियोजना या उसका भाग किसी वर्ष की

अंतिम तिमाही में वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित होता है तो कट ऑफ तिथि वाणिज्यिक प्रचालन के वर्ष में तीन वर्ष पश्चात् वर्षांत की 31 मार्च होगी;

परन्तु यदि दस्तावेजी साक्ष्य से यह सिद्ध हो जाता है कि परियोजना विकासकर्ता के नियंत्रण से बाहर से कारणों से कट ऑफ तिथि के भीतर पूंजीकरण नहीं किया सका तो आयोग कटआर्फ तिथि को विस्तारित कर सकेगा;

(20) "वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि" या "सी.ओ.डी." से एक उत्पादक स्टेशन या उसकी यूनिट या ब्लॉक अथवा एक पारेषण प्रणाली या उसके तत्व की निम्नलिखित रूप से अवधारित की जायेगी:

(a) एक उत्पादक यूनिट या ताप उत्पादक स्टेशन के ब्लॉक के मामले में वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से अधिकतम निरंतर रेटिंग (एम.सी.आर.) या लाभार्थी, यदि कोई है, को नोटिस के पश्चात् एक सफल ट्रायल रन के द्वारा संस्थापित क्षमता (IC) प्रदर्शित करने के पश्चात् उत्पादक कंपनी द्वारा घोषित तिथि, और पूर्णरूप में एक उत्पादन स्टेशन के मामले में उत्पादक स्टेशन की अंतिम उत्पादक यूनिट या ब्लॉक की वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि अभिप्रेत होगी:

(b) जल विद्युत उत्पादक स्टेशन की उत्पादक यूनिट के संबंध में वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से ग्रिड संहिता के अनुसार शिड्यूल प्रक्रिया पूरी तरह से लागू होने के पश्चात् 00.00 बजे से उत्पादक कंपनी द्वारा घोषित तिथि और पूर्ण रूप से एक उत्पादक स्टेशन के संबंध में, एक सफल ट्रायल रन के द्वारा उत्पादक स्टेशन की संस्थापित क्षमता के तदनुरूप पीकिंग क्षमता प्रदर्शित करने के पश्चात् उत्पादक कंपनी द्वारा घोषित तिथि अभिप्रेत होगी;

परन्तुः

(i) जहां लाभार्थी उत्पादक स्टेशन से ऊर्जा क्रय करने की लिये बंधे हुए है, वहां ट्रायल रन उत्पादक कंपनी द्वारा लाभार्थियों को सात दिन से नोटिस के पश्चात् आरम्भ होगा तथा शिड्यूलिंग, ट्रायल रन के पूर्ण होने के पश्चात् 00.00 बजे से आरम्भ होगी।

(ii) उत्पादक कंपनी यह प्रमाणित करेगी कि उत्पादक स्टेशन केन्द्रीय विद्युत प्रधिकरण (विद्युत संयंत्रो और विद्युत लाईनों के निर्माण हेतु तकनीकी मानक) विनियम, 2010 और ग्रिड संहिता के तकनीकी मानकों के मुख्य उपबंधो को पूरा करता है:

(iii) यदि एक जल विद्युत उत्पादक स्टेशन, जिसके पास पॉन्डेज़ ओर स्टोरेज है, अपर्याप्त जलाशय या ताल स्तर के कारणों से संस्थापित क्षमता मे तद्नुसार पीकिंग क्षमता प्रदर्शित नहीं कर पाता है तो उत्पादक स्टेशन की अंतिम यूनिट की तिथि ही उत्पादक स्टेशन वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि मानी जायेगी और ऐसे जल विद्युत स्टेशन के लिये, जैसे ही और जब ऐसा जलाशय/तालाब स्तर प्राप्त हो जाये, उत्पादन यूनिट या

उत्पादक स्टेशन की संस्थापित क्षमता के तद्नुसार पीकिंग क्षमता प्रदर्शित करना आवश्यक होगा:

(iv) यदि एक रन–ऑफ–रिवर जलविद्युत उत्पादक स्टेशन या उसकी उत्पादक यूनिट, लीन इनफ्लोज अवधि के दौरान जब पीकिंग क्षमता के ऐसे प्रदर्शन हेतु जल का प्रवाह अपर्याप्त होता है वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित होती है तो उस जल विद्युत उत्पादन स्टेशन या उत्पादक यूनिट के लिये जब जैसे ही जल का प्रवाह उपलब्ध हो, संस्थापित क्षमता के तद्नुरूप पीकिंग क्षमता प्रदर्शित करना आवश्यक होगा।

(v) उत्पादक स्टेशन की कमीशनिंग और इस संबंध में सभी नियमों और विनियमों तथा साथ ही विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाईनों के निर्माण हेतु सी.ई.ए. तकनीकी मानक विनियम, 2010 के अनुपालन से संबंधित प्रमाण–पत्र पर संलग्नक 5 में संलग्न प्रारूप में निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदन के पश्चात् कंपनी के सी.एम.डी./सी.ई.ओ./एम.डी. द्वारा हस्ताक्षर किय जायेंगे।

(c) एक पारेषण प्रणाली के संबंध में वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 00.00 बजे से पारेषण अनुज्ञापी द्वारा घोषित वह तिथि अभिप्रेत है जिसका पारेषण प्रणाली का एक तत्व रेटेड वोल्टेज पर विद्युत के पारेषण हेतु सफल ट्रायल रन के पश्चात् निरंतर सेवा में है:

परन्तु;

(i) नियमों में निर्धारित किये गये अनुसार विद्युत निरीक्षक से अनापत्ति किसी पारेषण लाईन या उप स्टेशन के चार्ज किये जाने से पूर्व आवश्यक होगी।

(ii) जहां पारेषण लाईन या उप स्टेशन एक उत्पादक स्टेशन विशेष से ऊर्जा निष्क्रमण हेतु समर्पित है, वहां उत्पादक कंपनी और पारेषण अनुज्ञापी, जहां तक व्यवहारिक हो, एक साथ उत्पादक स्टेशन ओर पारेषण प्रणाली को चालू करने का प्रयास करेंगे और इन विनियमों के विनियम 21(7) के अनुसार उपयुक्त पारेषण सेवा करार के माध्यम से ऐसा सुनिश्चित करेंगे:

(iii) यदि एक पारेषण प्रणाली या उसके एक एलीमेंट को नियमित सेवा से ऐसे कारणों से रोका जाता है जिनका पारेषण अनुज्ञापी या उसके आपूर्तिकर्त्ता या उसके ठेकेदारों को दोष नही दिया जा सकता तो पारेषण अनुज्ञापी ऐसी पारेषण प्रणाली या उसके एलीमेन्ट के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि के अनुमोदन हेतु एक उपयुक्त आवेदन के माध्यम से आयोग के पास निवेदन कर सकता है। ऐसे मामलों में आयोग पारेषण प्रणाली या एक एलीमेन्ट के नियमित सेवा में आने से पूर्व वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि अनुमोदित कर सकता है।

(iv) एक वितरण अनुज्ञापी के मामले में वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से, इसके रेटेड वोल्टेज स्तर पर एक वितरण अनुज्ञापी की विद्युत लाईन या उप स्टेशन की चार्जिंग की तिथि या

वितरण अनुज्ञापी द्वारा चार्जिंग के लिये तैयार घोषित किये जाने की तिथि से सात दिन पश्चात्, किन्तु ऐसे कारणों, जिनका दोष इससे आपूर्तिकर्त्ताओं या ठेकेदारों को नहीं दिया जा सकता, से यह चार्ज नहीं हो पाता, दोनों में से जो पहले हो, अभिप्रेत होगी:

परन्तु नियमों में निर्धारित किये गये अनुसार किसी एच.टी./ई.एच.टी. या उपस्टेशन को चार्ज करने से पहले विद्युत निरीक्षक की अनापत्ति आवश्यक होगी।

परन्तु वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि जब तक सभी पक्षों की परस्पर सहमति न हो यथास्थिति ऊर्जा क्रय करार या क्रियान्वयन करार या पारेषण सेवा करार या व्हीलिंग करार या निवेश अनुमोदन में उल्लेखित वाणिज्यिक प्रचालन की अनुसूचित तिथि से पहले की गई तिथि नहीं होगी।

(21) "दिन" से 00.00 बजे से आरम्भ होने वाली 24 घंटे की अवधि अभिप्रेत है;

(22) "घोषित क्षमता" या "डी.सी." से, एक उत्पादक स्टेशन के संबंध में ईंधन और जल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए और सुसंगत विनियम में आगे की अर्हता के अधीन, दिन में किसी टाईम ब्लॉक या पूरे दिन के संबंध में ऐसे उत्पादक स्टेशन द्वारा घोषित मेगा में एक्स–बस विद्युत प्रेषण की क्षमता अभिप्रेत है;

(23) इन विनियमों के अधीन शुल्क के उद्देश्य से "पूंजीकरण निरसान" से आयोग द्वारा स्वीकृत हटाने/निकालने के तद्नुरूप परियोजना की सकल स्थिर आस्तियों में कमी करना अभिप्रेत है;

(24) "डिजाईन ऊर्जा" से ऊर्जा की वह मात्रा अभिप्रेत है जिसे जल विद्युत उत्पादक स्टेशन की 95: प्रतिशत संस्थापित क्षमता के साथ 90 प्रतिशत विश्वसनीय वर्ष में उत्पादित किया जा सकता है;

(25) विचलन निपटान शुल्क (डीएसएम शुल्क) से अभिप्रेत उविनिआ (विचलन निपटान तंत्र और संबंधित मामलों) विनियम, 2017 एवं समय–समय पर संशोधिन या इसके बाद के किसी भी पुनः अधिनियम के द्वारा निर्धारित डीएसएम शुल्क;

(26) "वितरण कारोबार" से वितरण अनुज्ञापी के आपूर्ति क्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति हेतु वितरण प्रणाली के प्रचालन और रखरखाव का कारोबार अभिप्रेत है;

(27) "वितरण हानि" से वितरण अनुज्ञापी की वितरण प्रणाली में ऊर्जा की हानियां अभिप्रेत है, जिसमें एयर कंडीशनिंग, लाईटिंग, बैटरी चार्जिंग, उप–स्टेशन उपकरणों के साधनों के उद्देष्य हेतु उपस्टेशन में अनुषंगी ऊर्जा उपभोग सम्मिलित है;

(28) एक पारेषण प्रणाली के संबंध में "एलीमेन्ट" से ऐसी आस्ति आभिप्रेत होगी जिसे निवेश अनुमोदन में परियोजना की परिधि के अधीन स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है;

(29) "वर्तमान उत्पादक स्टेशन" और "वर्तमान परियोजना" से ऐसा उत्पादक स्टेशन और परियोजना अभिप्रेत है जिसने 01.04.2019 से पूर्व सी.ओ.डी. प्राप्त कर लिया है;

(30) "शुल्क और प्रभारों से अपेक्षित राजस्व" से प्रचालित शुल्कों पर अनुज्ञापित/विनियम कारोबार से अनुज्ञापी/उत्पादक कंपनी/एस.एल.डी.सी. को जमा अनुमानित राजस्व अभिप्रेत है;

(31) "उपार्जित व्यय" से एक उपयोगी परिसंपत्ति के सृजन या अधिग्रहण हेतु वास्तव में परिनियोजित नकद या नकद समतुल्य भुगतान की गई निधि, चाहें वह इक्विटी हो या डैट या दोनों अभिप्रेत है और इसमें वे प्रतिबद्धताएं और दायित्व सम्मिलित नहीं है जिनके लिए भुगतान अवमुक्त नहीं किया गया है;

(32) "विस्तारित जीवन" से प्रत्येक मामलों में अलग–अलग आयोग द्वारा अवधारित किये गये अनुसार उत्पादक स्टेशन अथवा उसकी यूनिट या पारेषण प्रणाली अथवा उसके एलीमेन्ट के उपयोगी जीवन से आगे का जीवन अभिप्रेत है;

(33) "वित्तीय वर्ष" से कैलेंडर वर्ष के 1 अप्रैल से आरम्भ होकर अगले कैलेन्डर वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि अभिप्रेत है;

(34) "अपरिहार्य घटनाओं" से किसी पक्ष, किसी घटना या परिस्थितियों के संबंध में वे घटनाएं अभिप्रेत है जो उस पक्ष के युक्तियुक्त नियंत्रण में नहीं है, या उस पक्ष के किसी कृत्य के लोप के कारण नहीं है और जिसे युक्तियुक्त देखभाल और उचित तत्परता के प्रयोग से वह पक्ष रोक पाने में असमर्थ है जिसके पूर्वगामी की व्यापकता को सीमित किये बिना, भी सम्मिलित है:

(a) दैवीय कृत्य जैसे आकाशीय बिजली, भूस्खलन, तूफान, तत्वों के कृत्य, भूकम्प, बाढ़, सूखा और प्राकृतिक आपदा या अतिशय रूप से प्रतिकूल मौसम की परिस्थियाँ;

(b) सार्वजनिक शत्रु का कोई कृत्य, युद्ध (घोषित या अघोषित), घेराबंधी, अवरोध, विप्लव, दंगे, क्रान्ति, तोड़–फोड़, आतंकवादी या सैन्य कार्यवाही, बर्बरता और सिविल व्यवधान;

(c) अपरिहार्य दुर्घटना, आग, धमाका, रेडिएक्टिव संदूषण और जहरीला हानिकारक रसायनिक संदूषण;

(d) ग्रिड की कोई बंदी अथवा व्यवधान जो राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा या आयोग द्वारा या राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा अपेक्षित या निर्देशित हो; और कोई बंदी या रूकावट जो किसी महत्वपूर्ण संयंत्र या उपकरण की विफलता के गंभीर और त्वरित जोखिम को टालने के लिये आवश्यक हो;

(35) "उत्पादन कारोबार" से एक उत्पादक स्टेशन से विद्युत उत्पादन का कारोबार अभिप्रेत है;

(36) "उत्पादन शुल्क" से एक उत्पादक स्टेशन विद्युत की एक्स–बस आपूर्ति हेतु शुल्क अभिप्रेत है;

(37) "उत्पादक यूनिट" के संबंध में थर्मल जनरेटिंग स्टेशन (संयुक्त चक्र थर्मल जनरेटिंग स्टेशन के अतिरिक्त) से गैस टर्बाईन–जनरेटर, स्टीम टर्बाईन–जनरेटर एंव अनुषंगी, जिसमें हीट रिकवरी यूनिट भी सम्मिलित है या अन्य ताप उत्पादक स्टेशन के संबंध में गैस टर्बाईन–जनरेटर और अनुषंगी अभिप्रेत है; तथा एक जल विद्युत स्टेशन के संबधं में टर्बाईन जनरेटर और इसकी अनुषंगी अभिप्रेत है;

(38) "उत्पादन स्टेशन" से विद्युत उत्पादन हेतु कोई स्टेशन अभिप्रेत है, इसमें स्टेप–अप ट्रांसफार्मर, स्विच गियर, स्विच यार्ड, केबल्स या इस प्रयोजन हेतु उपयोग में लाया जाने वाला कोई अन्य अनुबन्ध उपकरण, यदि कोई है के साथ कोई भवन और संयंत्र और उसका स्थल तथा उत्पादक स्टेशन के प्रचालन स्टाफ के आवास हेतु उपयोग में लाया जाने वाला भवन सम्मिलित है, और जहां जल–शक्ति से विद्युत उत्पादित की जाती है वहां इसमें पेनस्टॉक्स, हैड एंड टेल वर्क्स, मेन और रेगुलेटिंग जलाशय, बांध और अन्य हायड्रॉलिक वर्क्स, सम्मिलित हैं किंतु इसमें किसी भी स्थिति में उप–स्टेशन सम्मिलित नहीं है;

(39) "ग्रिड संहिता" से समय समय पर संशोधित उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (राज्य ग्रिड संहिता) विनियम, 2016 अभिप्रेत है;

(40) एक ताप उत्पादक स्टेशन के संबंध में "ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू" या "जी.सी.वी." से गैसीय ईंधन के एक मानक धन मीटर के पूर्ण दहन द्वारा KCal में उत्पादित ताप अभिप्रेत है;

(41) "सकल स्टेशन ताप दर" या "GHR" से ताप उत्पादन स्टेशन में जनरेटर टर्मिनल्स पर विद्युत ऊर्जा का एक kwh उत्पादित करने के लिये आवश्यक Kcal के ताप ऊर्जा इनपुट अभिप्रेत है;

(42) "भारत सरकार अभिकरण" से भारत सरकार, राज्य से सरकार (जहां परियोजना अवस्थित है) और भारत सरकार या राज्य सरकार, जहां परियोजना अवस्थित है, द्वारा नियंत्रित कोई मंत्रालय या विभाग या बोर्ड या एजेन्सी या अन्य विनियामक अथवा न्यायिक–कल्प प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(43) "अशस्त ऊर्जा" से उत्पादक स्टेशन की यूनिट अथवा ब्लॉक के वाणिज्यिक प्रचालन से पूर्व इन्जेक्ट की गई विद्युत अभिप्रेत है;

(44) "संस्थापित क्षमता" से आयोग द्वारा समय समय पर स्वीकृत, उत्पादक स्टेशन की सभी यूनिटों की नाम पट्टिका क्षमता का समेशन या उत्पादक की क्षमता जनरेटर टर्मिनल्स पर गणना किये अनुसार अभिप्रेत है;

(45) "अन्तः संयोजन बिंदु" से वह बिन्दु अभिप्रेत है जहां विक्रेता के पावर स्टेशन स्विच यार्ड बस से यथा स्थिति, अन्तर्राज्यीय/राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली में ऊर्जा इन्जेक्ट की जाती है (राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली के साथ पावर स्टेशन को जोड़ने वाली डेडिकेटड पारेषण लाईन सहित)।

(46) ''अन्तर्राज्जीय उत्पादक स्टेशन'' या ''ISGS'' से केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता में दिया गया इसका अर्थ अभिप्रेत है;

(47) ''राज्यान्तर्गत उत्पादक स्टेशन'' से ऐसा उत्पादक स्टेशन या कैप्टिव उत्पादक संयंत्र (CGP) अभिप्रेत होगा जो एक अन्तर्राज्जीय उत्पादक स्टेशन नहीं है।

(48) ''निवेश अनुमोदन से'' परियोजना हेतु परियोजना हेतु मंजूरी, जिसमें परियोजना के क्रियान्वयन हेतु फंडिग और परियोजना के लागू होने के लिये समय सीमा बताते हुए आयोग द्वारा या एक उत्पादक कंपनी के मामले में यथास्थिति CEA या उत्पादक कंपनी के बोर्ड द्वारा अनुमोदन अभिप्रेत है;

परन्तु निवेश अनुमोदन की तिथि आयोग के अनुमोदन की तिथि से और एक उत्पादक कंपनी के मामलों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा बोर्ड के संकल्प/कार्यवृत्त/अनुमोदन की तिथि से मानी जायेगी;

(49) ''दीर्घावधि पारेषण ग्राहक'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पास पारेषण अनुज्ञापी के साथ सात वर्ष से अधिक का पारेषण सेवा करार है जिसमें पारेषण प्रभारों का भुगतान कर राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली के उपयोग हेतु डीम्ड पारेषण अनुज्ञाप्ति सम्मिलित है;

(50) ताप उत्पादक स्टेशन की एक उत्पादक यूनिट के संबंध में ''अधिकतम निरंतर रेटिंग'' या ''MCR'' से रेटेड मानदंडों पर विनिर्माता द्वारा गारंटीशुदा जनेरेटर टर्मिनल्स पर अधिकतम निरंतर आउटपुट अभिप्रेत है, और एक संयुक्त चक्र ताप उत्पादक स्टेशन के एक ब्लॉक के संबंध में जल या वाष्प इन्जेक्शन (यदि लागू हो) के साथ विनिर्माता द्वारा गारंटीशुदा, जेनरेटर टर्मिनल्स पर अधिकतम निरंतर आउटपुट और 50 Hz ग्रिड फ्रीक्वेन्सी व विनिर्दिष्ट स्थल परिस्थितियों तक संशोधित, अभिप्रेत है;

(51) ''नई परियोजना'' से तात्पर्य 01.04.2019 को या उसके पश्चात् COD प्राप्त करने वाली परियोजना से है;

(52) ''गैर शुल्क आय'' से मुख्य कारोबार की आस्तियों के उपयोग द्वारा प्राप्त शुल्क से आय से अन्यथा आय अभिप्रेत है और इसमें अन्य कारोबार से आय का समानुपात सम्मिलित हो सकता है;

(53) एक ताप उत्पादक स्टेशन के संबंध में ''मानकीय वाषिक संयंत्र उपलब्धता कारक'' या ''NAPAF'' से विनियम 47(1)(ए) में विनिर्दिष्ट उपलब्धता कारक और एक जल विद्युत उत्पादक स्टेशन के संबंध में विनियम 47(1)(बी) और 47(1)(सी) में विनिर्दिष्ट उपलब्धता कारक अभिप्रेत है;

(54) ''प्रचालन और अनुरक्षण व्यय'' या ''O&M व्यय'' से कंपनी या एक परियोजना विशेष के प्रचालन और अनुरक्षण पर उपगत व्यय अभिप्रेत है और इसमें जन शक्ति, मरम्मत, स्पेयर्स, उपभोज्य, बीमा और ऊपरी खर्च पर व्यय सम्मिलित है, किन्तु ईंधन व्यय और जल प्रभार इसमें सम्मिलित नहीं है;

(55) ''मूल परियोजना लागत'' से आयोग द्वारा स्वीकृत वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि तक परियोजना की मूल परिधि की भीतर यथास्थिति, उत्पादक कंपनी या अनुज्ञापी या SLDC द्वारा उपगत पूंजीगत व्यय अभिप्रेत है;

(56) ''अन्य कारोबार'' से अधिनियम की धारा 41 के अधीन पारेषण अनुज्ञापी द्वारा या अधिनियम की धारा 51 के अधीन वितरण अनुज्ञापी द्वारा आरम्भ किया गया हो और जिसे ऐसे पारेषण अनुज्ञापी या ऐसे वितरण अनुज्ञापी की अस्तियों के अधिकतम उपयोग हेतु हाथ में लिया गया हो; अभिप्रेत है;

(57) किसी अवधि हेतु उत्पादक स्टेशन के संबंध में ''संयंत्र उपलब्धता कारक (PAF)'' मानकीय अनुषंगी ऊर्जा उपभोग द्वारा कम किए गए हुए MW में संस्थापित क्षमता के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त उस अवधि के दौरान सभी दिनों के लिये दैनिक घोषित क्षमता (DCs) का औसत अभिप्रेत है;

(58) एक दी गई अवधि हेतु ताप उत्पादक स्टेशन या यूनिट के संबंध में, ''संयंत्र उपलब्धता कारक (PAF)'' से उस अवधि में संस्थापित क्षमता के तद्नुरूप निष्कासित ऊर्जा के रूप में अभिव्यक्त उस अवधि के दौरान अनुसूचित उत्पादन के तद्नुरूप कुल निष्कासित ऊर्जा अभिप्रेत है जिसकी संगणना निम्नलिखित फॉर्मूला से की जायेगीः

$$\text{[illegible]} = 10000 * \sum_{\text{[illegible]}}^{\text{[illegible]}} \frac{\text{[illegible]}}{\text{[illegible]}} \%$$

जब कि,

1C = उत्पादक स्टेशन या यूनिट की संस्थापित क्षमता MW में

SGi = अवधि के पवें टाईम ब्लॉक हेतु MW में अनुसूचित उत्पादन,

N = अवधि के दौरान टाईम ब्लॉक्स की संख्या, और

AUXn = सकल ऊर्जा उत्पादन के रूप में मानकीय अनुषंगी ऊर्जा उपभोग;

(59) ''परियोजना'' से यथास्थिति, SLDC या वितरण प्रणाली के मामले में एक उत्पादक स्टेशन या पारेषण प्रणाली या अव्यव अभिप्रेत है और एक बहु–उद्देशीय जल–विद्युत स्टेशन में उत्पादन सुविधा के सभी अवयव जैसे बांध, ऊर्जा उत्पादन को प्रभाजित इन्टेक–वॉटर की उत्पादक यूनिट्स सम्मिलित होती है;

(60) ''कुशल जांच'' से उपगत हुए या उपगत होने के लिये प्रस्तावित पूंजीगत व्यय की युक्तियुक्ता की संवीक्षा, वित्तीय योजना, दक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग, लागत और समय में अधिक वृद्धि और अन्य कारक जो शुल्क के अवधारण हेतु आयोग द्वारा उपयुक्त समझी जाये अभिप्रेत है। कुशल जांच कराते समय आयोग यह देखेगा कि वह उत्पादक कंपनी या पारेषण अनुज्ञापी या वितरण अनुज्ञापी या SLDC अपने निर्णयों में सावधान ओर परियोजना के निष्पादन में सतर्क रही है;

(61) ''एक पारेषण या वितरण प्रणाली में ''रेटेड वोल्टेज'' से वह डिजाइन वोल्टेज अभिप्रेत है जिस पर पारेषण और वितरण प्रणाली प्रचालन हेतु डिजाइन की गई है और इसमें ऐसी लोअर वोल्टेज सम्मिलित है जिस पर दीर्घावधि पारेषण ग्राहको या उपयोगकर्त्ताओं के साथ परामर्श कर तत्समय लाईन चार्ज की जाती है;

(62) ''नियमित सेवा'' से सफल ट्रायल परिचालन के पश्चात् एक पारेषण प्रणाली या उसके तत्व को उपयोग में लाना और उस प्रभाव का प्रमाण पत्र संबंधित राज्य/क्षेत्रीय लोड डिस्पैच सेन्टर (एस.एल. डी.सी./आर.एल.डी.सी.) द्वारा जारी किया गया हो अभिप्रेत है;

(63) ''रन–ऑफ–रिवर उत्पादक स्टेशन'' से ऐसा जल विद्युत स्टेशन अभिप्रेत है जिसमें अप–स्ट्रीम पॉडेज नहीं है;

(64) ''पॉडेज के साथ रन–ऑफ–रिवर उत्पादक स्टेशन'' से ऐसा जल विद्युत उत्पादक स्टेशन अभिप्रेत है जिस में ऊर्जा मांग के दैनिक परिवर्तन को पूरा करने के लिये पर्याप्त पॉडेज है;

(65) ''अनुसूचित ऊर्जा'' से एक दिन में एक उत्पादक स्टेशन द्वारा ग्रिड में इन्जेक्ट करने के लिये संबंधित भार प्रेषण केन्द्र द्वारा अनुसूचित ऊर्जा की मात्रा अभिप्रेत है;

(66) ''अनुसूचित वाणिज्यिक प्रचालन तिथि या 'SCOD' से यथास्थिति, निवेश अनुमोदन में इंगित या ऊर्जा क्रय करार या पारेषण सेवा करार जो पहले हो में सहमत एक उत्पादक स्टेशन या उत्पादक यूनिट या उसके ब्लॉक अथवा पारेषण प्रणाली या उसके तत्व के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि (यां) अभिप्रेत है;

(67) किसी समय पर अथवा किसी अवधि या टाईम ब्लॉक के लिये ''अनुसूचित उत्पादन'' या ''SG'' से संबंधित भार प्रेषण केन्द्र द्वारा दिया हुआ MW या MWh एक्स–बस में उत्पादन की अनुसूची अभिप्रेत है;

(68) ''लघु गैस'' टर्बाईन उत्पादक स्टेशन'' से ओपन सायकल गैस टर्बाईन या 50 MW अथवा इससे कम क्षमता के गैस टर्बाइन के साथ कम्बाईन्ड उत्पादक स्टेशन अभिप्रेत है;

(69) ''आरम्भ तिथि या शून्य तिथि'' से परियोजना के क्रियान्वयन के प्रारम्भ हेतु निवेश अनुमोदन में इंगित तिथि अभिप्रेत है और जहां कोई तिथि इंगित नहीं की गई है वहां निवेश अनुमोदन की तिथि आरम्भ तिथि या शून्य तिथि मानी जायेगी;

(70) ''स्टोरेज प्रकार का उत्पादक स्टेशन'' से मांग के अनुसार विद्युत में उत्पादन में परिवर्तन कर सकने की स्टोरेज क्षमता के साथ संबंद्ध एक जल विद्युत उत्पादक स्टेशन अभिप्रेत है।

(71) ''शुल्क'' से उत्पादन या पारेषण या व्हीलिंग और विद्युत की आपूर्ति हेतु प्रभारों की अनुसूची के साथ उनकी प्रयोज्यता के निबंधन और शर्ते, अभिप्रेत है।

(72) ''शुल्क अवधि'' से वह अवधि अभिप्रेत है जिसके लिये शुल्क या कुल राजस्व आवश्यकता इन अधिनियमों के अधीन आयोग द्वारा अवधारित की जाती है।

(73) ''टाईम ब्लॉक'' से, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, 00.00 बजे से आरम्भ होकर 15 मिनट का ब्लॉक अभिप्रेत है।

(74) ''ट्रेडिंग कारोबार'' से अन्य अनुज्ञापी या उपभोक्ताओं या उपभोक्ताओं की श्रेणी को विद्युत से री–सेल हेतु ट्रेडिंग अनुज्ञापी या वितरण अनुज्ञापी द्वारा विद्युत के क्रय का कारोबार अभिप्रेत है।

(75) ''पारेषण कारोबार'' से पारेषण लाईनें स्थापित करने या प्रचालित करने का कारोबार अभिप्रेत है।

(76) ''पारेषण हानि'' से अभिप्रेत पारेषण अनुज्ञापी की पारेषण प्रणाली में ऊर्जा हानियों से है।

(77) करार'' से पारेषण अनुज्ञापी और पारेषण सेवा/लाईनों के उपभोगकर्ता के साथ किया गया करार, संविदा, समझौता ज्ञापन या ऐसी कोई प्रसंविदा अभिप्रेत है।

(78) ''पारेषण प्रणाली'' से संलग्न उप–स्टेशन के साथ अथवा उसके बिना लाईन या लाईनों का समूह अभिप्रेत है जिसमें उपस्टेशनों तथा पारेषण लाईनों के साथ संलग्न उपकरण सम्मिलित हैं।

(79) एक उत्पादक स्टेशन या उसकी यूनिट के संबंध में ''ट्रायल रन'' से ताप उत्पादक स्टेशनया उसकी यूनिट के मामले में 72 घंटे की निरंतर अवधि हेतु अधिकतम निरंतर रेटिंग या संस्थापित क्षमता पर उत्पादक स्टेशन या उसकी यूनिट की सफल रनिंग तथा जल विद्युत स्टेशन या उसकी यूनिट के मामलें में 12 घंटे की सफल रनिंग अभिप्रेत है।

परन्तु जहां लाभार्थी उत्पादक स्टेशन से ऊर्जा क्रय हेतु बंधे हुए हैं वहां ट्रायल रन उत्पादक कंपनी द्वारा लाभार्थियों को सात दिन का नोटिस देने के पश्चात आरम्भ होगा।

(80) एक पारेषण प्रणाली या उसके तत्व के संबंध में ''ट्रायल प्रचालन'' से, सेवा में आवश्यक मीटरिंग प्रणाली, टेलीमेट्री और सुरक्षा प्रणाली के साथ, ऊर्जा के निरंतर प्रवाह पर 24 घंटे के लिये पारेषण प्रणाली या उसके तत्व की सफल चार्जिंग अभिप्रेत होगी।

(81) एक उत्पादक स्टेशन की यूनिट और COD से पारेषण/वितरण प्रणाली के संबंध में ''उपयोगी जीवन'' से निम्नलिखित अभिप्रेत होगा, यथा :

(a) जल–विद्युत उत्पादक स्टेशन – 35 वर्ष

(b) गैस/तरल ईंधन आधारित ताप उत्पादक स्टेशन – 25 वर्ष

(c) पारेषण लाईन – 35 वर्ष

(d) AC और DC उप–स्टेशन – 25 वर्ष

(e) गैस इन्सुलेटेड उप–स्टेशन (GIS) – 25 वर्ष

(f) वितरण लाईन और वितरण प्रणालियां – 35 वर्ष

परन्तु AC और DC उप–स्टेशनों और ऐसे GIS जिनके लिय निविंदा आमंत्रण नोटिस जारी किया गया है, के लिये उपयोगी जीवन 01.04.2019 को या उसके बाद 35 वर्ष माना जायेगा।

परन्तु आगे यह कि अपने उपयोगी जीवन के पूरा हो जाने के पश्चात परियोजना के जीवन का विस्तार आयोग द्वारा तय किया जायेगा।

(82) ''उपयोगकर्ता'' से पारेषण या वितरण अनुज्ञापी, एक उत्पादक कंपनी, एक व्यक्ति जिसने एक कैप्टिव उत्पादक संयंत्र स्थापित किया हुआ हो या एक ऐसा उपभोक्ता जो एक पारेषण अनुज्ञापी की पारेषण प्रणाली अथवा वितरण अनुज्ञापी की वितरण प्रणाली का उपयोग कर उन्मुक्त अभिगमन प्राप्त कर रहा हो, अभिप्रेत है,

(83) ''वर्ष'' से 31 मार्च को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है, और

(a) ''वर्तमान वर्ष'' से वह वर्ष अभिप्रेत होगा जिसमें शुल्क के अवधारण हेतु याचिका दायर की गई है,

(b) ''पूर्व वर्ष'' से वर्तमान वर्ष से ठीक पहले का वर्ष अभिप्रेत होगा,

(c) ''आगामी वर्ष'' से वर्तमान वर्ष से अगला वर्ष अभिप्रेत होगा।

इन विनियमों में उपयोग किये गये शब्द और अभिव्यक्तियां जो यहां परिभाषित नहीं किये गये हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित किये गये हैं, उनका वही अभिप्राय होगा जो समय–समय पर संशोधित विद्युत अधिनियम, 2003 या आयोग में किसी अन्य विनियम में दिया गया है।

भाग–**II**

बहुवर्षीय शुल्क संरचना सामान्य सिद्धांत

4 बहु–वर्षीय संरचनाः

बहु वर्षीय शुल्क संरचना निम्नलिखित पर आधारित होगी :

(a) नियंत्रण अवधि के प्रारम्भ होने से पहले आयोग में अनुमोदन हेतु संपूर्ण नियंत्रण अवधि के लिये आवेदक द्वारा प्रस्तुत कारोबार योजना।

(b) नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष हेतु कुल राजस्व आवश्यकता और शुल्कों के अवधारण हेतु MYT याचिका के साथ जमा किये गये, इन विनियमों के अधीन नियत युक्तियुक्त धारणाओं और वित्तीय एवं प्रचालक सिद्धांतों/मानदंडों पर आधारित नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु अपेक्षित ARR की आवेदक का पूर्वानुमान;

(c) आगामी नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष हेतु ARR/शुल्क याचिका के साथ 31.03.2019 को समाप्त होने वाली नियंत्रण अवधि की समीक्षा भी की जायेगी।

(d) विशिष्ट मानदडों हेतु ट्रैजेक्टरी–जैसी कि अनुज्ञापी द्वारा दी गई प्रस्तुतियों, आवेदकों में वास्तविक निष्पादन डाटा और समान स्थिति वाली युटिलिटीज द्वारा प्राप्त निष्पादन के आधार पर आयोग द्वारा नियत की गई है।

(e) निष्पादन की वार्षिक समीक्षा अनुमोदित पूर्वानुमान के सापेक्ष में नियंत्रणनीय कारकों व अनियंत्रणनीय कारकों में निष्पादन में परिवर्तनों के वर्गीकरण द्वारा संचालित की जायेगी।

(f) इन विनियमों के उपबन्धों के अनुसार नियंत्रणनीय और अनियंत्रणनीय कारकों के कारण अतिरिक्त लाभ या हानि को बांटना।

5 नियंत्रण अवधिः

इन विनियमों के अधीन नियंत्रण अवधि तीन (3) वित्तीय वर्षों की होगी, इन विनियमों के अधीन प्रथम आवेदन 01 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2022 तक तीन वित्तीय वर्षों की नियंत्रण अवधि हेतु किया जायेगा।

6 प्रचालन मानक अधिकतम सीमा के मानक होंगेः

यहां इसमें विनिर्दिष्ट प्रचालन में नॉर्म्स अधिकतम सीमा के नॉर्म्स है और इसके कारण प्रचालक के संशोधित नॉर्म्स नियत करने के लिये आयोग और उन संशोधनों से सहमत होने के लिये उत्पादक कंपनी, पारेषण अनुज्ञापी, वितरण अनुज्ञापियों, SLDC और लाभार्थियों को रोका नहीं जायेगा और ऐसी स्थिति में ऐसे संशोधित नॉर्म्स शुल्क के अवधारण हेतु प्रयोज्य होंगे।

7 आधार रेखा का अवधारणः

नियंत्रण अवधि के आधार वर्ष हेतु आधार रेखा मूल्य (प्रचालन और लागत मानदंड) आयोग द्वारा अवधारित किये जायेंगे तथा आयोग द्वारा अनुमोदित मूल्यों, नवीनतम परीक्षित लेखन, सुसंगत वर्ष हेतु अनुमान, कुशल जांच और आयोग द्वारा विचारित अन्य कारकों पर आधारित होंगे।

आयोग, आधार वर्ष के वास्तविक रुप से संपरीक्षित लेखे पर आधारित आधार वर्ष हेतु आधार रेखा मूल्यों का पुनःनिर्धारण कर सकेगा।

8 व्यापार योजनाः

(1) आवेदक, 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2022 तक तीन (3) वित्तीय वर्षों की नियंत्रण अवधि हेतु 30 नवंबर, 2018 तक व्यापार योजना, समय–समय पर संशोधित उविनिआ कारोबार का संचालन विनियम, के अनुसार शपथपत्र के अधीन प्रस्तुत करेगा :

(a) उत्पादक कंपनी हेतु व्यापार योजना संपूर्ण नियंत्रण अवधि के लिये होगी और इसमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित का समावेश होगाः

(i) पूंजी निवेश योजना, जिसमें वर्तमान स्टेशनों के लिये उत्पादक कंपनी द्वारा नियोजित निवेशों, फंडिंग के स्रोत के लागत–लाभ विश्लेषण के साथ पूंजीगत क्रय के वार्षिक चरण, वित्त पोषण योजना और तदनुरुप पूंजीकरण अनुसूची के विवरण सम्मिलित होंगे। यह योजना कंपनी के विभिन्न संयत्रों के लिये आर एड एम योजनाओं और प्रस्तावित दक्षता सुधार के अनुरुप होगी;

(ii) पूंजी निवेश योजना, उन प्रचलित परियोजनाओं, जो वर्षों तक समीक्षा के अधीन रहेंगी और नई परियोजनाओं (औचित्य के साथ) जो समीक्षा के अधीन वर्षों में प्रारम्भ होगी किन्तु शुल्क अवधि के भीतर या शुल्क अवधि के आगे पूरी होंगी, पृथक रुप से दर्शायेगी;

(iii) उत्पादक कंपनी, वर्तमान बाजार परिस्थितियों, वर्तमान ऋण करारों के निबंधकों, उत्पादन कारोबार से जुड़े जोखिमों और विश्वसनीयता पर विचार करने के पश्चात पूंजी संरचना और वित्त पोषण की लागत (उधार पर ब्याज और इक्विटी पर रिटर्न) का संयंत्र–वार विवरण प्रस्तुत करेगी;

(iv) मशीन की बड़ी बंदी, यदि कोई हो, से संबंधित विवरण;

(v) निष्पादन मानदडों की ट्रेजेक्टरी;

(b) पारेषण अनुज्ञाप्तियों के लिये व्यापार योजना संपूर्ण नियंत्रण अवधि के लिये होगी और इसमें अन्य बातों के अतिरिक्त निम्नलिखित का समावेश होगाः

(i) पूंजी निवेश योजना, जो व्यापार योजना में प्रस्तावित भार वृद्धि और गुणवत्ता सुधार के साथ इसके लागत लाभ विश्लेषण के अनुरुप होनी चाहिये। निवेश योजना में पूंजीगत व्यय के चरणों के साथ फंडिंग का स्रोत, वित्त पोषण योजना और तदनुरुप पूंजीकरण अनुसूची भी सम्मिलित होने चाहिये। पारेषण अनुज्ञापी द्वारा पूंजी निवेश योजना के एक भाग के रुप में जमा की जाने वाली प्रणाली संवर्धन/विस्तार योजना, नियंत्रण अवधि के दौरान भार वृद्धि फोरकास्ट/उत्पादन निष्क्रमण आवश्यकता के अनुरुप होनी चाहिये। इसके अतिरिक्त पूंजी निवेश योजना CEA/CTU/STU/वितरण अनुज्ञापी द्वारा निर्मित योजनाओं की संपुष्टि में होनी चाहिये।

(ii) प्रस्तावित प्रत्येक योजना की उपयुक्त पूंजीगत संरचना तथा वित्त पोषण (उधार पर ब्याज) और इक्विटी पर रिटर्न, वर्तमान ऋण करार के निबंधन इत्यादि।

(iii) नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु पारेषण हानि घटाने की ट्रेजेक्टरी, जिसमें लक्ष्य हानि प्राप्त करने के लिये प्रस्तावित उपायों का विवरण सम्मिलित है।

(c) वितरण अनुज्ञाप्तियों के लिये व्यापार योजना संपूर्ण नियंत्रण अवधि के लिये होगी और उसमें अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित का समावेश होगा :

(i) नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु प्रत्येक ग्राहक श्रेणी और उप–श्रेणी हेतु विक्रय/मांग फोरकास्ट;

(ii) नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु वितरण हानि घटाने की ट्रेजेक्टरी जिसमें लक्ष्य हानि प्राप्त करने के लिये प्रस्तावित उपायों का विवरण सम्मिलित है,

(iii) व्यापार योजना अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिये विक्रय फोरकास्ट और वितरण हानि ट्रेजेक्टरी पर आधारित दीर्घावधि, मध्यम अवधि और लघु अवधि मामले में ऊर्जा की अधिप्राप्ति, योजना ऊर्जा अधिप्राप्ति योजना में ऊर्जा दक्षता और मांग की ओर में प्रबंधन उपाय भी सम्मिलित होंगे,

(iv) नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु संग्रहण दक्षता सुधार ट्रेजेक्टरी,

(v) विक्रय/मांग फोरकास्ट, ऊर्जा अधिप्राप्ति योजना, वितरण हानि ट्रेजेक्टरी, आपूर्ति की गुणवत्ता हेतु लक्ष्य, इत्यादि का विचार करते हुए पूंजी निवेश योजना पूंजी निवेश योजना, राज्य पारेषण युटिलिटी (STU) द्वारा बनाई गई विस्तृत योजना के अनुकूल होगी और निवेश योजना में फंडिंग के स्रोत, वित्त पोषण योजना और तदनुरुप पूंजीकरण अनुसूची के साथ–साथ पूंजीगत व्यय के वार्षिक चरण सम्मिलित होने चाहिये,

(vi) प्रस्तावित प्रत्येक योजना की उपयुक्त संरचना और वित्त पोषण की लागत (उधार पर ब्याज और इक्विटी पर रिटर्न), वर्तमान ऋण करारों में निबंधन, इत्यादि,

(vii) नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा की उपलब्धता से संबंधित विवरण और आयोग द्वारा विनिदिष्ट RPO के अनुपालन हेतु प्रस्तावित कार्रवाईयां।

(d) राज्य भार प्रेषण केन्द्र हेतु व्यापार योजना संपूर्ण नियंत्रण अवधि के लिये होगी और इसमें अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित सम्मिलित होगाः

(i) पूंजी निवेश योजना जिसमें व्यय के चरण और फंडिंग पैटर्न सम्मिलित होंगे,

(ii) नियंत्रण अवधि हेतु अनुमानित बजट,

(2) आवेदक, व्यापार योजना के एक भाग के रुप में नियंत्रण अवधि हेतु अपनी जनशक्ति योजना के संबंध में विवरण भी प्रस्तुत करेगा।

(3) आयोग उचित परामर्श प्रक्रिया अपनाने के पश्चात व्यापार योजना की समीक्षा करेगा और इसका अनुमोदन करेगा।

9 निश्चित परिवर्तियों के लिये विशिष्ट ट्रेजेक्टरीः

(1) आयोग, पिछले निष्पादन और साथ ही समरुप स्थित अनुज्ञापियों/उत्पादक कंपनियों के निष्पादन को ध्यान में रखते हुए निश्चित परिवर्तियों हेतु एक ट्रेजेक्टरी नियत करेगाः

परन्तु वे परिवर्तियां जिनके लिये ट्रेजेक्टरी नियत की जायेगी, में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे किन्तु उन तक सीमित नहीं होंगेः

(a) उत्पादक स्टेशनों के मामले में:

उत्पादक स्टेशन की उपलब्धता, स्टेशन ताप दर, अनुषंगी उपभोग, इत्यादि।

(b) पारेषण अनुज्ञापी के मामले में:

पारेषण हानियां, पारेषण प्रणाली उपलब्धता, इत्यादि।

(c) वितरण अनुज्ञापी के मामले में:

आपूर्ति उपलब्धता, वायर्स की उपलब्धता, वितरण हानियां, संग्रहण दक्षता, इत्यादि।

परन्तु आगे यह कि इस ट्रेजेक्टरी को निर्धारित लाक्ष्यों के सापेक्ष उच्चतर और निम्नतर निष्पादन के कारण उपभोक्ताओं के साथ लाभों और हानियों को साझा करने हेतु उपबंध करना चाहिये।

(2) इन विनियमों के अनुसार आयोग द्वारा नियत ट्रेजेक्टरी को आवेदक द्वारा अपनी MYT याचिका में सम्मिलित किया जायेगा।

10 नियंत्रण अवधि हेतु MYT याचिकाः

(1) आवेदक, शपथ पत्र के अधीन और समय–समय पर संशोधित UERC कारोबार का संचालन विनियम, के अनुसार, आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट संलग्नक–I प्रारुप में नियंत्रण अवधि के आरम्भ में पिछले वर्ष की अधिकतम 30 नवम्बर तक, प्रयोज्य शुल्क के साथ, नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिये कुल राजस्व आवश्यकता और शुल्क से अपेक्षित राजस्व की फोरकास्ट प्रस्तुत करेगा।

परन्तु नई परियोजना (ओं) संबंधित यूनिट (टों) और तत्व (वों) के मामलों में, आवेदक अग्रिम रुप से ऊपर विनिर्दिष्ट तरीके से वाणिज्यिक प्रचालन की प्रत्याशित तिथि से 180 दिन पूर्व या उससे पहले एक आवेदन करेगा।

(2) नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये कुल राजस्व आवश्यकता की फोरकास्टः

(a) नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वित्त वर्ष हेतु कुल राजस्व आवश्यकता के विभिन्न घटकों के प्रक्षेपण हेतु आवेदक एक गणितीय मॉडल विकसित करेगा। इस प्रयोज्य हेतु आवेदक उपयुक्त

मैक्रो–इकॉनॉमिक–वेरिएबल्स, बाजार सूचकांक, पिछले वर्षों के चलन इत्यादि का उपयोग कर सकता है। इसके अतिरिक्त आवेदक अपनी वार्षिक समीक्षा और शुल्क अवधारण हेतु याचिका और MYT याचिका के साथ सभी फॉर्मूलों और लिंकिजेस सहित उपरोक्त मॉडल की एक सॉफ्ट कॉपी भी जमा करेगा।

(3) शुल्क और प्रभारों से अपेक्षित राजस्व की फोरकास्टः

(a) आवेदक, शुल्क और प्रभारों से अपेक्षित राजस्व के प्रक्षेपण हेतु एक गणितीय मॉडल विकसित करेगा जो निम्नलिखित पर आधारित होगाः

(i) एक उत्पादक कंपनी के मामले में, आवेदन करने की तिथि पर प्रचलित उत्पादन शुल्कों और वितरण अनुज्ञापी तथा उन्मुक्त अभिगमन ग्राहकों को आबंटित क्षमता के अनुमानों और नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वित्त वर्ष हेतु अपेक्षित ऊर्जा उत्पादन के आधार पर।

(ii) एक पारेषण अनुज्ञापी के मामले में, आवेदन करने की तिथि पर प्रचलित शुल्कों और पारेषण प्रणाली के उपयोगकर्ताओं, जिसमें नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वित्त वर्ष हेतु उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक सम्मिलित हैं, को आबंटित पारेषण क्षमता के अनुमानों के आधार पर।

(iii) एक वितरण अनुज्ञापी के मामले में, आवेदन करने की तिथि पर प्रचलित खुदरा एवं व्हिलिंग शुल्कों और नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वित्त वर्ष हेतु विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को आपूर्ति की गई और उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ताओं को व्हील की गई विद्युत की मात्रा के अनुमानों के आधार पर।

(iv) SLDC के मामले में, आवेदन करने की तिथि पर लागू फीस और प्रभारों तथा राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली के उपयोगकर्ताओं को आबंटित पारेषण क्षमता के आधार पर।

(v) आवेदक, अपनी MYT याचिका और वार्षिक निष्पादन समीक्षा तथा शुल्क अवधारण हेतु याचिका के साथ सभी फॉर्मूलों और लिंकिजेससहित उपरोक्त मॉडल की एक सॉफ्ट कॉपी जमा करेगा।

(4) आवेदन की जांच करने के पश्चात आयोग या तो–

(a) नियंत्रण अवधि हेतु कुल राजस्व आवश्यकता और शुल्क व प्रभारों से अपेक्षित राजस्व की फोरकास्ट को अनुमोदित करते हुए आदेश पारित करेगा जो उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट आशोधनों और शर्तों के अधीन होगा, या

(b) कारण अभिलिखित कर आवेदन को अस्वीकार करेगा।

(c) परन्तु आवेदन अस्वीकार करने से पहले आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।

(5) अपने MYT आदेश में आयोग, आवेदक की कुल राजस्व आवश्यकता और शुल्क व प्रभारों से अपेक्षित राजस्व में सम्मिलित उन परिवर्तियों को विनिर्दिष्ट करेगा, जिनकी वार्षिक निष्पादन समीक्षा के एक भाग के रुप में आयोग द्वारा समीक्षा की जायेगी,

परन्तु ऐसी परिवर्तियां आवेदक की लागत और राजस्व फोरकास्ट की उन मुख्य मदों तक सीमित रहेंगी जिनका, आयोग की राय में, नियंत्रण अवधि के दौरान राज्य के उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति की लागत पर भौतिक प्रभाव पड़ सकता है,

परन्तु आगे यह कि नीचे दिये गये विनियमों के अधीन आयोग द्वारा नियत परिवर्तियों को जब तक कि आयोग द्वारा अपने आदेश में ऐसी समीक्षा से छूट प्रदान न की गई हो, वे वार्षिक निष्पादन समीक्षा का एक भाग होगी।

11 वार्षिक लेखे, रिपोर्ट्स इत्यादि की तैयारी और उनको जमा करना :

(1) प्रत्येक आवेदक एक वार्षिक लेखा विवरण तैयार करेगा और साथ ही वर्तमान और पूर्व वर्ष के दौरान और डल्ज नियंत्रण अवधि के शेष वर्षों, जिनमें आगामी वर्ष भी सम्मिलित है, में संभावित रुप से किये जाने वाले कार्य–कलापों का विवरण प्रदान करते हुए वार्षिक रिपोर्ट और आंकड़े तैयार करेगा। विभिन्न प्रदर्शन च्तंउमजमते के संदर्भ में कार्य–कलापों की रिपोर्ट में इंगित लक्ष्यों तथा सफलताओं को भी सम्मिलित किया जायेगा।

(2) आयोग, आवेदकों को वित्तीय निष्पादन की समीक्षा हेतु आयोग द्वारा अपेक्षित अर्ध वार्षिक लेखा विवरण जमा करने के लिये भी निर्देश दे सकता है।

(3) आयोग, आवेदक को आयोग या किसी अन्य प्राधिकारी जिसे वह इस निमित्त अभिहित करे, के समक्ष ऐसी अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकता है जिसे वह अपने कृत्यों केनिष्पादन हेतु आवश्यक समझे।

(4) आयोग, एक उपयुक्त समय पर पृथक विनियामक लेखे तैयार करने के लिये प्रपत्र विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

12 वार्षिक निष्पादन समीक्षा :

(1) बहु वर्षीय शुल्क संरचना के अधीन उत्पादक कंपनी या पारेषण और वितरण अनुज्ञापी या ैस्क्ब् का निष्पादन एक वार्षिक निष्पादन समीक्षा के अधीन होगा।

(2) आवेदक शपथ पत्र के अधीन और समय–समय पर संशोधित उ.वि.नि.आ. कारोबार का संचालन विनियम के अनुसार प्रत्येक वर्ष 30 नवंबर तक वार्षिक निष्पादन समीक्षा हेतु आवेदन करेगा।

परन्तु आवेदक समय–समय पर आयोग द्वारा नियत रुप में आयोग को जानकारी प्रस्तुत करेगा जिसके साथ लेखा पत्रक, लेखों के अंश और ऐसे अन्य विवरण होंगे जिनकी आयोग को कुल राजस्व आवश्यकता और शुल्क व प्रभारों से अपेक्षित राजस्व के अनुमोदित पूर्वानुमान से वित्तीय निष्पादन में किसी अंतर के कारणों और विस्तार का आंकलन करने के लिये आवश्यकता हो।

परन्तु आगे यह कि वार्षिक निष्पादन समीक्षा हेतु आवेदन आयोग को जमा किया जायेगा और आयोग द्वारा ऐसे आवेदनों के निपटान हेतु विनियमों में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर, शुल्क अवधारण हेतु एक आवेदन के जमा करने व उसके निपटान हेतु इन विनियमों में दिये गये तरीके से आयोग उसका निपटारा करेगा।

(3) वार्षिक निष्पादन समीक्षा की परिधि, आवेदक के वास्तविक निष्पादन के साथ कुल राजस्व आवश्यकता और शुल्क व प्रभारों से अपेक्षित राजस्व की फोरकास्ट की तुलना होगी और इसमें निम्नलिखित का समावेश होगाः–

(a) पिछले वित्तीय वर्ष हेतु आवेदक के संपरीक्षित निष्पादन के साथ उस पिछले वित्त वर्ष हेतु अनुमोदित फोरकास्ट की तुलना और अनियंत्रणनीय कारकों के प्रभाव के पास थ्रू सहित कुशल जांच के अधीन व्ययों और राजस्व का सहीकरण।

(b) अनुमोदित फोरकास्ट के संदर्भ में आवेदक के नियंत्रण के भीतर के कारकों (नियंत्रणनीय कारक) और आवेदक से नियंत्रण से बाहर के कारकों (अंनियंत्रणनीय कारक) के निष्पादन में अंतरों का वर्गीकरण।

(c) पिछले वित्त वर्ष के लिये संपरीक्षित वित्तीय परिणामों के आधार पर, यदि आवश्यक हो तो वर्तमान और/या आगामी वित्त वर्ष हेतु अनुमानों का पुनरीक्षण।

(d) पिछले वर्ष के लिये नियंत्रणीय कारकों के कारण लाभों और हानियों के बंटवारे का संगणन।

(4) समीक्षा पूर्ण हो जाने पर आयोग, आवेदक से नियंत्रण के भीतर के कारकों (नियंत्रणीय कारक) और आवेदक के नियंत्रण से बाहर के कारकों (अनियंत्रणीय कारक) के लिये इस विनियम के अधीन नियत परिवर्तियों हेतु, निष्पादन में किन्हीं परिवर्तनों या अपेक्षित परिवर्तनों का आरोपण करेगा।

(5) ''अनियंत्रणीय कारको'' में ऐसे कारक सम्मिलित होंगे जो आयोग द्वारा अवधारित किये गये अनुसार आवेदक के नियंत्रण से बाहर होंगे। अनियंत्रणीय कारकों में कुछ निम्नलिखित है :–

(a) अपरिहार्य घटनाएं जैसे युद्ध की कार्रवाई, आग, प्राकृतिक आपदा इत्यादि,

(b) विधि, केन्द्र सरकार, सरकार या आयोग के न्यायिक निर्णयों में परिवर्तन,

(c) आर्थिकी के प्रभाव जैसे स्फीति दर, बाजार ब्याज दरों, करों और कानूनी लेवीज में अकल्पित परिवर्तन;

(d) वितरण अनुज्ञापियों इत्यादि के लिये ऊर्जा क्रय व्ययों में परिवर्तन,

(e) भाड़ा दरों में परिवर्तन,

(f) प्रतिकूल प्राकृतिक घटनाओं के कारण जल विद्युत ताप मिश्रण में परिवर्तन के फलस्वरुप परिवर्तन और

(g) उपभोक्ताओं की संख्या या मिश्रण में या उपभोक्ताओं को आपूर्ति की गई विद्युत की मात्राओं में परिवर्तन,

(h) प्राथमिक ईंधन लागत।

(6) आवेदक के निष्पादन में कुछ उदाहरण–स्वरुप परिवर्तन या अपेक्षित परिवर्तन, जिन्हें आयोग द्वारा नियंत्रणीय कारकों पर आरोपित किया जा सकता है, में निम्नलिखित सम्मिलित होगा किन्तु उन तक सीमित नहीं होगा :

(a) भू अधिग्रहण मुद्दों के कारण समय और/या लागत बढ़ने के फलस्वरुप पूंजीगत व्यय में परिवर्तन,

(b) एक परियोजना को लागू करने में दक्षता जिसके लिये ऐसी परियोजना की परिधि में अनुमोदित परिवर्तन, कानूनी लेवीज़ में परिवर्तन या अपरिहार्य घटनाओं और उत्पादक कंपनी या पारेषण अनुज्ञापी या वितरण अनुज्ञापी या ै स्क्ब के ठेकेदार, आपूर्तिकर्ता या एजेन्सी के कारण परियोजना के निष्पादन में विलम्ब को आरोपित नहीं किया जा सकता।

(c) तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों में परिवर्तन,

(d) अशोध्य ऋण,

(e) निष्पादन मानदंडों में परिवर्तन,

(f) कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं में परिवर्तन,

(g) समय–समय पर संशोधित उविनिआ (निष्पादन के मानक) विनियम, 2007 के विनिर्दिष्ट मानकों को पूरा करने में विफलता, सिवाय उसके जहां ऐसे विनियमों के अनुसार छूट प्राप्त हो,

(h) पूंजीगत व्ययों में परिवर्तन के कारण वित्त पोषण पद्धति में परिवर्तन,

(i) आपूर्ति की गुणवत्ता में परिवर्तन,

(j) प्रचालन और अनुरक्षण व्ययों में परिवर्तन,

(7) आवेदकों को विनियम 10(2) के अधीन पूर्वानुमान विकसित होते के समय जो उनको ज्ञात या उपलब्ध नहीं थी, ऐसी जानकारी के फलस्वरुप वे वार्षिक निष्पादन समीक्षा के एक भाग के रुप में, नियंत्रण

अवधि की शेष अवधि हेतु से कुल राजस्व आवश्यकता और शुल्क व प्रभारों से अपेक्षित राजस्व की अनुमोदित फोरकास्ट में आशोधन हेतु आवेदन कर सकते हैं।

(8) आवेदकों को विनियम 10(2) के अधीन फोरकास्ट विकसित होने के समय जो जानकारी ज्ञात या उपलब्ध नहीं थी, ऐसी जानकारी के फलस्वरुप, आयोग यदि उपयुक्त समझे तो स्वप्रेरणा से अथवा किसी हितबद्ध या प्रभावित पक्ष के आवेदन पर, वार्षिक निष्पादन समीक्षा के एक भाग के रुप में, नियंत्रण अवधि की शेष अवधि हेतु कुल राजस्व की अनुमोदित फोरकास्ट आशोधित कर सकता है।

(9) ऊपर दिये गए विनियम 8 और उप–विनियम (2) के अधीन किये गये आवेदन पर आयोग उसी प्रकार विचार करेगा जिस प्रकार शुल्क के अवधारण हेतु मूल आवेदन पर किया जाता है और ऐसी समीक्षा के पूर्ण हो जाने पर, या ऐसे परिवर्तनों जिन्हें वह उपयुक्त समझे, के साथ प्रस्तावित आशोधन को अनुमोदित करेगा या कारण अभिलिखित कर आवेदन को अस्वीकार करेगा।

(10) वार्षिक निष्पादन समीक्षा के पूरा हो जाने पर आयोग निम्नलिखित को अभिलेखित करते हुए एक आदेश पारित करेगा :

(a) अनियंत्रणीय कारकों के कारण आवेदक को अनुमोदित कुल लाभ अथवा हानि और वह तंत्र जिसके द्वारा विनियम 13 के अनुसार ऐसे लाभ या हानियां आवेदक को अनुमन्य की जायेगी।

(b) नियंत्रणीय कारकों के कारण आवेदक को अनुमोदित लाभ अथवा हानि और विनियम 14 के अनुसार बांटे जाने वाले ऐसे लाभ या ऐसी हानियों की हिस्सेदारी।

(c) वर्तमान और/या आगामी वर्ष हेतु आवेदक के पूर्वानुमान का अनुमोदित आशोधन, यदि कोई है।

आवेदन में ARR के सहीकरण के कारण इन विनियमों के अनुसार आयोग द्वारा अवधारित अधिशेष/घाटा आगामी वित्त वर्ष के लिये अग्रेनीत किया जायेगा।

13 अनियंत्रणीय कारकों के कारण लाभ और हानियों में हिस्सेदारी :

(1) अनियंत्रणीय कारकों के कारण आवेदक को अनुमोदित कुल लाभ अथवा हानि आयोग के आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि में आवेदक को शुल्क प्रभारों के समायोजन के रुप में अनुज्ञात किया जायेगा।

(2) ऊपर दिए गये उप–विनियम (1) में समावेशित कुछ भी ईंधन मूल्य में परिवर्तन के कारण किसी लाभ या हानि के संबंध में लागू नहीं होगा, जिसका निपटारा विनियमों के सुसंगत भाग के अधीन विनिर्दिष्ट रुप में किया जायेगा।

14 नियंत्रणीय कारकों के कारण लाभ और हानि में हिस्सेदारी :

(1) नियंत्रणीय कारकों के कारण आवेदक को अनुमोदित कुल लाभ और हानि का निपटारा निम्नलिखित तरीके से किया जायेगा :

(a) ऐसे लाभ या हानि का 1/3 छूट के रुप में पास ऑन किया जायेगा या उतनी अवधि, जितनी कि आयोग के आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, में वसूली हेतु अनुज्ञात किया जायेगा,

(b) ऐसे लाभ या हानि की शेष राशि आवेदक द्वारा उपयोग में लाई जायेगी या आमेलित की जायेगी।

15 शुल्क अवधारण की आवर्तिता :

(1) आयोग, निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए, नियंत्रण अवधि के दौरान प्रत्येक वित्त वर्ष के लिये एक बहु वर्षीय शुल्क संरचना के अधीन एक उत्पादक कंपनी/पारेषण अनुज्ञापी/वितरण अनुज्ञापी/ SLDC के शुल्क/प्रभार अवधारित करेगा :

(a) इन विनियमों में विनिर्दिष्ट MYT सिद्धांत, और

(b) ऐसे वित्त वर्ष के लिये कुल राजस्व आवश्यकता और शुल्क व प्रभारों से अपेक्षित राजस्व की अनुमोदित फोरकास्ट, जिसमें ऐसी फोरकास्ट का अनुमोदित आशोधन सम्मिलित है, और

(c) पिछले वित्त वर्ष हेतु सहीकरण का प्रभाव और वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिये निष्पादन समीक्षा, और

(d) शुल्कों के पाय थ्रू के रुप में अनुज्ञात करने के लिये अनुमोदित लाभ और हानियां,

(2) एक पारेषण अनुज्ञापी या एक वितरण अनुज्ञापी या एक उत्पादक कंपनी या SLDC के लिये ARR की वसूली हेतु शुल्क और प्रभार सामान्यतया वर्ष में एक बार से अधिक अवधारित नहीं होंगे, सिवाय ईंधन लागत और ऊर्जा क्रय लागत के कारण इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट ईंधन अधिभार फार्मूला के निबंधनों के अधीन व्यक्त रुप से अनुमति प्राप्त परिवर्तनों के संबंध में।

16 शुल्क के अवधारण हेतु याचिका

(1) अधिनियम के अधीन शुल्क के अवधारण हेतु आवेदन ऐसे प्रपत्र में और ऐसे तरीके से किया जायेगा जैसा कि इन विनियमों में विनिर्दिष्ट किया गया है और उसमें साथ, समय–समय पर संशोधित उविनिआ (फीस और जुर्माना) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2012 के अधीन विनिर्दिष्ट फीस संलग्न की जायेगी।

(2) नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष हेतु शुल्क के अवधारण के लिये आवेदन विनियम 10 के अधीन नियंत्रण हेतु बहुवर्षीय शुल्क याचिका के साथ किया जायेगा और नियंत्रण अवधि के पश्चात्वर्ती वर्षों के लिये शुल्क के अवधारण हेतु याचिका विनियम 12 के अधीन वार्षिक निष्पादन समीक्षा हेतु याचिका के साथ की जायेगी।

(3) आगामी वर्ष हेतु अनुज्ञापियों या SLDC द्वारा नियोजित प्रस्तावित योजनाओं/परियोजनाओं के लिये निवेश अनुमोदन हेतु आवेदन के साथ, समय–समय पर संशोधित UERC (कारोबार का संचालन) विनियम, 2014 के अध्याय V1 में विनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार आगामी वर्ष के लिये शुल्क में अवधारण हेतु आवेदन संलग्न होगा।

(4) अपेक्षित राजस्व और व्यय की गणना हेतु जानकारी प्रस्तुत करने के लिये और शुल्क अवधारण हेतु प्रारुप, उत्पादन, पारेषण, वितरण और SLDC हेतु विनिर्दिष्ट प्रारुपों में प्रस्तुत किये जायेंगे। इन प्रारुपों में प्रस्तुत जानकारी के साथ समर्थित दस्तावेज/गणनाएं और सॉफ्ट कॉपी संलग्न होनी चाहिये।

(5) शुल्क के अवधारण हेतु याचिका में निम्नलिखित सम्मिलित होगा :

(a) नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु वर्तमान शुल्क का विवरण और सभी लागू निबंधन एवं शर्तें और वर्तमान शुल्क से अपेक्षित राजस्व।

(b) प्रस्ताविक शुल्कों का विवरण, जिसमें किसी प्राप्त सहायकी, राज्य सरकार से शोध्य या शोध्य होने के लिये कल्पित सहायकी की गणना, प्रयोजन ग्राहक जिसकी ओर यह निर्देशित है तथा यह दर्शाते हुए कि उन उपभोक्ताओं पर लागू वर्तमान और प्रस्ताविक शुल्क पर सहायकी किस प्रकार प्रक्षेपित है, पूर्ण विवरण का समावेश होगा। इस विवरण में उन उपभोक्ताओं के लिये सहायकी का विचार किये बिना परिकलित शुल्क भी सम्मिलित होगा।

(c) वार्षिक राजस्वों में अनुमानित परिवर्तन का विवरण जो उस अवधि, जिसमें वे लागू होने हैं, में प्रस्तावित शुल्क परिवर्तनों से परिणामित होंगे।

(d) यदि प्रस्तावित शुल्क एक वित्त वर्ष आरम्भ होने के पश्चात प्रारम्भ होना है तो वित्त वर्ष के शेष माहों के दौरान अपेक्षित राजस्व और प्रस्तावित शुल्क आशोधन के अधीन आपूर्ति की गई विद्युत की मात्रा के अनुपात के विवरण को सम्मिलित किया जायेगा।

(e) एक वितरण अनुज्ञापी के मामले में आपूर्ति की वोल्टेज–वार लागत की विस्तृत गणनाएं जिसमें उपभोक्ता की प्रत्येक श्रेणी के संबंध में वाहय सहायकियां और प्रति सहायकियां सम्मिलित नहीं हैं।

(f) एक वितरण अनुज्ञापी के मामले में, वर्तमान शुल्क में और प्रस्ताविक शुल्क में प्रति–सहायकी की राशि की गणना दर्शाते हुए विवरण। ऐसा अवधारण आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार होगा।

(g) प्रस्तावित शुल्क परिवर्तनों के लिये औचित्य प्रदान करते हुए एक स्पष्टीकारक नोट।

(h) सुसंगत अनुज्ञापी शर्तो द्वारा अपेक्षित या आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य जानकारी।

(6) यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक अनुज्ञापी रखता है और/या वितरण अथवा पारेषण के एक से अधिक क्षेत्र का अनुज्ञापी समझा जाता है तो वह प्रत्येक अनुज्ञापी या पारेषण अथवा वितरण के क्षेत्र के संबंध में उपरोक्तानुसार पृथक गणना प्रस्तुत करेगा। इसी प्रकार एक उत्पादक कंपनी उत्पादक स्टेशन वार गणना प्रस्तुत करेगी।

(7) एक उत्पादक स्टेशन का स्वामी और प्रचालक वितरण अनुज्ञापी उत्पादन कारोबार, अपने अनुज्ञापित कारोबार और अन्य कारोबारों के लिये पृथक लेखे रखेगा और प्रस्तुत करेगा।

(8) पारेषण अनुज्ञापी या वितरण अनूज्ञापी या SLDC को ऐसी सभी परियोजनाओं/योजनाओं के 'सैद्धांतिक' अनुमोदन हेतु विनियम 21(6) में विनिर्दिष्ट तरीके से याचिका दायर करना आवश्यक है जिनकी पूंजी लागत उनके संबधित अनुज्ञापी की शर्तों में आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट राशि से अधिक हो।

परन्तु जहां आयोग ने अनुमानित पूंजी लागत और वित्त पोषण योजना को 'सैद्धांतिक' स्वीकृति दी है वहां यह वास्तविक पूंजीगत व्यय पर कुशल जांच लागू करने के लिये दिशा–निर्देशक कारक के रुप में कार्य करेगा।

(9) शुल्क याचिकाएं अंग्रेजी में प्रस्तुत की जायेंगी। याचिका की सॉफ्ट कॉपी और प्रारुप के साथ एम.एस. वर्ड और एम.एस. एक्सेल फॉर्मेट में कम्प्युटेशन शीट्स और समर्थित दस्तावेज भी आयोग के पास प्रस्तुत किये जायेंगे।

(10) इन विनियमों में किसी बात से समावेशित होते हुए भी जमा करने की अनुसूचित तिथि से एक माह के पश्चात भी शुल्क के अवधारण और वार्षिक निष्पादन समीक्षा हेतु आवेदन में विलंब/जमा न करने की दशा में आयोग उक्त आवेदनों को दायर किये जाने हेतु स्वप्रेरित कार्यवाही आरम्भ कर सकता है।

परन्तु उपर्युक्त कार्यवाही के पश्चात भी आवेदक द्वारा आवेदन दायर न करने की स्थिति में, आयोग जैसे उपयुक्त समझे वैसे उपयुक्त समायोजन सम्मिलित करने के पश्चात आयोग स्वयं उसके पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर शुल्क तय कर सकता है।

परन्तु आगे यह कि यदि आवश्यक है तो आयोग, अधिनियम की धारा 129 और/या धारा 142 के अधीन निर्देश भी पारित कर सकता है।

17 नियंत्रण अवधि के अंत में समीक्षा

(1) एक नियंत्रण अवधि की समाप्ति दूसरी नियंत्रण अवधि का आरम्भ हो सकती है, अथवा जैसा आयोग तय करे। आयोग, नियंत्रण अविध के आरम्भ में नियत किये गये लक्ष्यों के संबंध में निष्पादन का विश्लेषण करेगा और प्राप्त वास्तविक निष्पादन, अपेक्षित सुधार और अन्य सुसंगत कारकों के आधार पर अगली नियंत्रण अवधि हेतु आधार मूल्य अवधारित करेगा।

(2) आयोग, पश्चात्‌वती नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष हेतु दायर की गई ARR/शुल्क याचिका के साथ नियंत्रण अवधि के अंतिम वर्ष के निष्पादन की वार्षिक समीक्षा और नियंत्रण अवधि के ठीक पिछले अंतिम वर्ष का सहीकरण करेगा। नियंत्रण अवधि के अंतिम वर्ष के निष्पादन की वार्षिक समीक्षा और नियंत्रण अवधि के ठीक पिछले अंतिम वर्ष का सहीकरण, वित्त वर्ष हेतु प्रचलित विनियमों में परिभाषित आदर्शों के आधार पर किया जायेगा।

(3) आयोग, सभी स्टेक होल्डर्स की जानकारी के लिये, याचिका के संबंध में आवेदक से मांगी गई और प्राप्त की गई जानकारी के विवरण के साथ, अपनी वेब–साईट पर ऊपर विनियम 8, 10, 12 और 16 के अधीन दायर की गई याचिका अपलोड करेगा। आयोग, आवेदक से ऐसी जानकारी अपनी वेबसाईट पर अपलोड करने के लिये भी कह सकता है।

18 आयोग द्वारा आदेश

(1) आयोग एक पूर्ण आवेदन की प्राप्ति अर्थात इसकी स्वीकृति से एक सौ बीस (120) दिन के भीतर और जनता से प्राप्त सभी सुझाव और आपत्तियों पर विचार करने के पश्चातः

(a) ऐसे आदेश में समावेशित और आशोधनों और ऐसी शर्तों के साथ आवेदन स्वीकार करते हुए आदेश जारी करेगा, या

(b) यदि ऐसा आवेदन, अधिनियम और उसके अधीन निर्मित नियमों और विनियमों के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुरुप नहीं है तो कारण अभिलिखित कर आवेदन को अस्वीकार करेगा,

परन्तु एक आवेदक को, उसका आवेदन अस्वीकार करने से पहले, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जायेगा।

(2) आयोग द्वारा अवधारित शुल्क, शुल्क आदेश में विनिर्दिष्ट तिथि से प्रवृत्त होगा।

19 शुल्क का प्रकाशन

आवेदक, आयोग द्वारा अनुमोदित शुल्क या शुल्कों का प्रकाशन कम से कम दो (2) अंग्रेजी और दो (2) स्थानीय भाषा में ऐसे दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करायेगा जिनका/अनुमोदित शुल्क/शुल्क अनुसूची को अपनी वेब साईट में डालेगा और युक्तियुक्त रिप्रोडक्शन प्रभारों का भुगतान करने पर किसी व्यक्ति को यथा स्थिति ऐसे शुल्क या शुल्कों के समावेश के साथ एक पुस्तिका क्रय हेतु उपलब्ध करायेगा,

परन्तु जहां आवेदक एक उत्पादक कंपनी है वहां यह प्रकाशन ऐसे समाचार पत्रों में किया जायेगा, जिनका उस वितरण अनुज्ञापी, जिसको शुल्क आदेश के निबंधनों के अन्तर्गत विद्युत की आपूर्ति किया जाना प्रस्तावित है, के क्षेत्र में व्यापक प्रसार हो और ऐसा उत्पादक कंपनी की वेबसाईट में भी इसे डाला जायेगा।

20 शुल्क आदेशों की संसूचना

आयोग, आदेश पारित करने के सात दिनों के भीतर, आदेश की एक प्रति उत्तराखण्ड सरकार, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, आवेदक और उत्तरवादियों को भेजेगा।

भाग—3

लागत और रिटर्न के संगणन हेतु वित्तीय सिद्धांत

21 पूंजी लागत और पूंजी संरचना

(1) इस विनियम के अनुरुप कुशल जांच के पश्चात् आयोग द्वारा अवधारित पूंजी लागत उत्पादक कंपनी, पारेषण अनुज्ञापी, वितरण अनुज्ञापी और SLDC की वर्तमान और नई परियोजनाओं के लिये शुल्क के अवधारण का आधार निर्मित करेगी।

(2) वर्तमान परियोजना की पूंजी लागत में निम्नलिखित सम्मिलित होगा :

(a) 01.04.2019 से पूर्व आयोग द्वारा स्वीकृत पूंजी लागत 01.04.2019 को विधिवत सहीकृत,

(b) विनियम 22 के अनुसार अवधारित शुल्क के संबंधित वर्ष हेतु अतिरिक्त पूंजीकरण और पूंजीकरण निरसन, और

(c) विनियम 23 के अनुसार इस आयोग द्वारा स्वीकृत नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के कारण हुए व्यय,

(3) नयी परियोजनाओं की पूंजी लागत में निम्नलिखित सम्मिलित होगा :

(a) परियोजना के वाणित्यिक प्रचालन की तिथि तक उपगत या उपगत होने के लिये प्रक्षेपित व्यय,

(b) ऋण की वास्तविक राशि पर निर्माण की अवधि में ब्याज और वित्तीय प्रभार,

(c) निर्माण के दौरान ब्याज और निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय, जो इन विनियमों के विनियम 21(9) व 21(10) के अनुसार संगणित हो,

(d) इन विनियमों के विनियम 21(11) में विनिर्दिष्ट अधिकतम सीमा दरों के अधीन पूंजीकृत प्रारम्भिक स्पेयर्स,

(e) इन विनियमों के विनियम 22 के अनुसार अवधारित अतिरिक्त पूंजीकरण और पूंजीकरण निरसन के कारण व्यय,

(f) इन विनियमों के विनियम 45 के अधीन विनिर्दिष्ट CoD से पूर्व ईंधन लागत से अधिक अशक्त ऊर्जा के विक्रय के कारण राजस्व का समायोजन, और

(g) CoD से पहले आस्तियों का उपयोग कर उत्पादक कंपनी, पारेषण अनुज्ञापी और वितरण अनुज्ञापी द्वारा अर्जित किसी राजस्व का समायोजन।

(4) एक नये जल विद्युत उत्पादक स्टेशन के मामले में पूंजी लागत में निम्नलिखित भी सम्मिलित होगा :

(a) अनुमोदित रुप में राष्ट्रीय R&R पॉलिसी और R&R पैकेज की संपुष्टि के साथ परियोजना के अनुमोदित पुनर्वासन और पुनः स्थापन (R&R) योजना की लागत और,

(b) प्रभावित क्षेत्र में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (RGGVY) परियोजना की ओर विकासकर्ता के 10% योगदान की लागत,

(5) वर्तमान और नयी परियोजना की पूंजी लागत में से निम्नलिखित को अलग कर दिया जायेगा या हटा दिया जायेगाः

(a) परियोजना का भाग संरचित करने वाली आस्तियां जो उपयोग में नहीं है,

(b) आस्तियों का पूंजीकरण –निरसन

(c) जल विद्युत उत्पादक स्टेशन के मामलों में, द्विचरण पारदर्शी बोली प्रक्रिया अपना कर राज्य सरकार द्वारा आबंटित परियोजना स्थल प्राप्त करने के लिये परियोजना विकासकर्ता द्वारा हुए व्यय या होने के लिये प्रतिबद्ध व्यय, और

(d) उस भूमि की अनुपातिक लागत जिसे नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित उत्पादक स्टेशन से ऊर्जा के उत्पादन हेतु उपयोग में लाया जा रहा हैः

परन्तु परियोजना के निष्पादन हेतु केन्द्र या राज्य सरकार या कोई कानूनी निवाद या प्राधिकरण जिस पर पुनर्भुगतान का दायित्व नहीं है उसे ऋण पर व्याज इक्विटी पर रिटर्न और ह्रास की संगणना के प्रयोजन से पूंजी लागत से अलग रखा जायेगा,

(6) पूंजी लागत के 'सैद्धांतिक' अनुमोदन हेतु याचिका :

कोई अनुज्ञापी जो एक पारेषण प्रणाली या वितरण या SLDC की क्षमता को स्थापित, प्रचालित बनाये या वृद्धि करना चाहता है, परियोजना आरम्भ करने से पहले परियोजना की पूंजी लागत और वित्त पोषण योजना के 'सैद्धंतिक' अनुमोदन हेतु समय–समय पर संशोधित उविनिआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 2014 के अनुसार शपथ पत्र के अधीन एक आवेदन/याचिका दायर करेगा। निवेश अनुमोदन हेतु पारेषण प्रणाली या वितरण प्रणाली या SLDC का आवेदन/याचिका, परियोजना का प्रयोजन स्पष्ट रुप से निम्नानुसार उपबंधित करेगी :

(a) पारेषण आवेदन/याचिका में युटिलिटी विशेष हेतु सुसंगत प्रणाली सशक्तिकरण, भार वृद्धि इत्यादि, इसके लागत–लाभ विश्लेषण और अन्य विवरण जैसे परियोजना की अवस्थिति, स्थल विशिष्ट विशेषताएं, पूंजी लागत का ब्रेकअप, वित्तीय पैकेज, निष्पादन मानदंड, कमीशनिंग

शिड्यूल, संदर्भ मूल्य स्तर, अनुमानित पूर्णता लागत जिस में विदेशी–विनियम घटक, (यदि कोई है) निर्धारित और प्राप्त किये जाने वाले पर्यावरण मानकों, इत्यादि का समावेश होगा।

(b) वितरण आवेदन/याचिका में प्रणाली सशक्तिकरण, हानि कम करने, भार वृद्धि पूरी करने, उविनिआ (निष्पादनों के मानक) विनियम, 2007 के अधीन दायित्व पूरा करने इत्यादि, वित्तीय पैकेज, निष्पादन मानदंड, कमीशनिंग शिड्यूल, संदर्भ मूल्य स्तर, अनुमानित पूर्णता लागत जिसमें विदेशी विनिमय घटक (यदि कोई है), निर्धारित और पूरा किये जाने वाले पर्यावरणीय मानक, इत्यादि की जानकारी का समावेश होगा।

परन्तु जहां आयोग ने अनुमानित पूंजी लागत और वित्त–पोषण योजना को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया है, वहां यह एक युटिलिटी विशेष के लिये ARR और शुल्कों का अवधारण करते समय वास्तविक पूंजीगत व्यय पर कुशल जांच लागू करने के लिये एक दिशा–निर्देशक कारक के रुप में कार्य करेगा।

(7) शुल्क अवधारण के लिये अनुमोदित पूंजी लागत का विचार किया जायेगा और यदि परियोजना लागत में किसी वृद्धि हेतु पर्याप्त औचित्य प्रदान किया जाता है तो कुशल जांच के अधीन आयोग द्वारा इस पर विचार किया जायेगा :

परन्तु यदि वास्तविक पूंजी लागत अनुमोदित पूंजी लागत से कम है तो वास्तविक पूंजी लागत विचारित की जायेगी,

परन्तु एक पूंजी लागत की कुशल जांच समय–समय पर आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट बेंचमार्क मानकों के आधार पर की जायेगी,

परन्तु आगे यह कि ऐसे मामलों में जहां बेंच मार्क मानक विनिर्दिष्ट नहीं किये गये हैं, वहां कुशल जांच में पूंजीगत व्यय की संवीक्षा, वित्त पोषण योजना, निर्माण के दौरान ब्याज, इसकी युक्तियुक्तता के लिये निर्माण के दौरान हुए आकस्मिक व्यय, दक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग, लागत का बढ़ना एवं समय का बढ़ना, अधिप्राप्ति हेतु बोली और ऐसे अन्य मामले जो शुल्क अवधारण हेतु आयोग द्वारा उपयुक्त समझे जाये, सम्मिलित होंगे;

परन्तु आगे यह भी कि यदि उत्पादक स्टेशन SCOD या वास्तविक COD जो भी संबंद्ध पारेषण प्रणाली के बाद में है, पर कमीशन्ड नहीं किया जाता है तो उत्पादक स्टेशन के कमीशन्ड होने तक इन विनियमों के विनियम 3 के उप–विनियम (20) के खण्ड (c) के द्वितीय परन्तुक के अनुसार पारेषण प्रणाली द्वारा वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित किये जाने पर, उत्पादक कंपनी IDC और IEDC या पारेषण प्रभार वहन करेगी,

परन्तु यह भी कि यदि पारेषण प्रणाली को उत्पादक कंपनी से SCOD पर कमीशन्ड नहीं किया जाता तो पारेषण अनुज्ञापी अपनी स्वयं की व्यवस्था व लागत से उत्पादक स्टेशन से निष्क्रमण की व्यवस्था करवायेगा जब तक कि संबंद्ध पारेषण प्रणाली कमीशन्ड न हो जाये।

परन्तु आगे यह भी कि ऐसे मामलों में जहां बेंचमार्क मानक विनिर्दिष्ट किये गये हैं वहां उत्पादक कंपनी या पारेषण अनुज्ञापी बेंचमार्क मानकों से ऊपर की लागत की अनुमति हेतु आयोग की संतुष्टि के लिये, बेंचमार्क मानकों से पूंजी लागत अधिक होने के कारण प्रस्तुत करेंगे।

परन्तु आगे यह भी कि यदि एक जल विद्युत उत्पादक स्टेशन का स्थल, द्विचरण पारदर्शी बोली प्रक्रिया अपनाकर राज्य सरकार द्वारा एक विकासकर्ता (जो राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन कंपनी न हो) को प्रदान किया जाता है तो कोई उपगत व्यय या उपगत होने के लिये वचनबद्ध व्यय जो परियोजना विकासकर्ता द्वारा किया गया हो और जिसमें परियोजना स्थल आंबंटित कराने के लिये भुगतान की गई/देय प्रीमियम सम्मिलित है को पूंजी लागत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(8) जहां ऊर्जा क्रय करार या पारेषण या व्हीलिंग करार पूंजी लागत की अधिकतम सीमा उपबंधित करता है वहां आयोग द्वारा स्वीकृत पूंजीगत व्यय शुल्क के अवधारण हेतु ऐसी अधिकतम सीमा पर विचार करेगा।

(9) निर्माण के दौरान ब्याज (IDC)

(a) निर्माण के दौरान ब्याज का संगणन, ऋण निधि के भरने की तिथि से उधार के तद्नुरूप तथा SCOD तक निधियों की कुशल चरणबद्धता को हिसाब में लेने के पश्चात् होगा।

(b) SCOD प्राप्त करने में विलंब के कारण IOC को अमल में लाने हेतु अतिरिक्त लागतों के मामलों में यथा स्थिति उत्पादक कंपनी या पारेषण अनुज्ञापी या वितरण अनुज्ञापी या SLDC को फंड्स की कुशल चरणबद्धता सहित ऐसे विलंब हेतु समर्थक दस्तावेजों के साथ विस्तृत औचित्य प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

परन्तु यदि विलंब यथास्थिति उत्पादक कंपनी या पारेषण अनुज्ञापी या वितरण अनुज्ञापी या SLDC पर उपारोप्य नहीं है और इन विनियमों के विनियम 12(5) में विनिर्दिष्ट अनियंत्रणीय कारकों के कारण है, तो उचित कुशल जांच और फंड्स की कुशल चरणबद्धता को ध्यान में रखते हुए IDC अनुमोदित की जा सकेगी।

(10) निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय (IEDC) :

(a) निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय का संगणन शून्य तिथि से और SCOD तक प्रचालन पूर्व व्ययों को हिसाब में लेते हुए किया जायेगा :

परन्तु जमा या अग्रिमों या किन्हीं अन्य प्राप्तियों पर ब्याज के कारण SCOD तक निर्माण अवधि के दौरान अर्जित कोई राजस्व, निर्माण के दौरान हुए आकस्मिक व्यय के कारण हिसाब में लिया जायेगा।

(b) SCOD प्राप्त करने में विलंब के फलस्वरुप IEDC के कारण अतिरिक्त लागतों के मामले में यथा स्थिति उत्पादक कंपनी या पारेषण अनुज्ञापी या वितरण अनुज्ञापी या SLDC को ऐसे विलंब हेतु समर्थक दस्तावेजों के साथ विस्तृत औचित्य प्रस्तुत करना होगा जिसमें विलंब की अवधि के दौरान आकस्मिक व्यय और वसूल किये गये या तद्नुरुप वसूली योग्य तद्नुरुप विलंब सम्मिलित हैं:

परन्तु यदि विलंब यथा स्थिति उत्पादक कंपनी या पारेषण अनुज्ञापी या वितरण अनुज्ञापी या SLDC पर उपारोप्य नहीं है, और विनियम 12(5) में विनिर्दिष्ट अनियंत्रणीय कारकों के कारण है तो उचित कुशल जांच के पश्चात् IEDC अनुज्ञात की जा सकेगी।

परन्तु आगे यह कि जहां विलंब उत्पादक कंपनी या पारेषण अनुज्ञापी या वितरण अनुज्ञापी या SLDC द्वारा नियुक्त एजेन्सी या ठेकेदार या आपूर्तिकर्ता पर उपारोप्य है वहां ऐसी एजेन्सी या ठेकेदार या आपूर्तिकर्ता से वसूली गई निर्णीत नुकसान को पूंजी लागत की संगणना करने समय ध्यान में रखा जायेगा।

(c) यदि SCOD से आगे के समय हेतु वृद्धि सम्यक कुशलता के पश्चात स्वीकार्य नहीं है तो समय वृद्धि के दौरान तदनुरुप लागत परिवर्तन के कारण पूंजी लागत में वृद्धि को उत्पादक कंपनी या पारेषण अनुज्ञापी या वितरण अनुज्ञापी या SLDC के आपूर्तिकर्ता या ठेकेदार के साथ संविदाओं में मूल्य परिवर्तन उपबंधों के होते हुए भी पूंजीकरण से अलग रखा जायेगा।

(11) प्रारम्भिक स्पेयर्स : प्रारम्भिक स्पेयर्स को कट–ऑफ तिथि तक वास्तविकों के अनुसार संयंत्र और मशीनरी के प्रतिशत के रुप में निम्नलिखित अधिकतम सीमा मानकों के अधीन पूंजीकृत किया जायेगाः

(a) ताप उत्पादक स्टेशन्स – 4.0%

(b) जल विद्युत उत्पादक स्टेशन्स – 4.0%

(c) पारेषण प्रणाली

(i) पारेषण लाईन – 1.00%

(ii) पारेषण उप–स्टेशन – 4.00%

(12) इक्विटी और ऋण के सापेक्ष शेयर के रुप में पूंजी की पुनः संरचना शुल्क अवधि के दौरान अनुज्ञेय होगी बशर्ते कि इसका शुल्क पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। ऐसी पुनः संरचना से हुए किसी भी लाभ को,

एक उत्पादक कंपनी के मामले में क्षमता प्रभार शेयर करने वाले व्यक्तियों के साथ और ऐसे अनुज्ञापियों के मामले में पारेषण या वितरण अनुज्ञापी या उपभोक्ताओं के दीर्घावधि राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन ग्राहकों के साथ 2:1 के अनुपात में, 2/3rd आवेदक द्वारा रखकर और 1/3rd लाभार्थियों के पास ऑन कर शेयर किया जायेगा।

22 अतिरिक्त पूंजीकरण और पूंजीकरण निरसन

(1) वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि के पश्चात और कट–ऑफ तिथि तक वास्तव में उपगत या उपगत होने के लिये मूल परिधि के भीतर निम्नलिखित पूंजीगत व्यय, कुशल जांच के अधीन आयोग द्वारा स्वीकार किये जायेंगे :

(a) अनिष्पादित दायित्व;

(b) निष्पादन हेतु आस्थगित कार्य;

(c) विनियम 21(11) के उपबंधों के अधीन, कार्य की मूल परिधि के भीतर प्रारम्भिक पूंजीगत स्पेयर्स की अधिप्राप्ति;

(d) मध्यस्थ का अधिनिर्णय पूरा करने के लिये या किसी न्यायालय के आदेश या डिक्री के अनुपालन हेतु दायित्व, ओर

(e) विधि में परिवर्तन के कारण

परन्तु व्यय के अनुमानों, आस्थगित दायित्वों और निष्पादन हेतु आस्थगित कार्यों के साथ कार्य की मूल परिधि में सम्मिलित विवरण को, शुल्क के अवधारण हेतु आवेदन के साथ जमा किया जायेगा।

(2) कट–ऑफ तिथि के पश्चात वास्तव में उपगत निम्नलिखित प्रकृति के व्यय कुशल जांच के अधीन आयोग द्वारा स्वीकार किये जायेंगे :

(a) मध्यस्थ का अधिनिर्णय पूरा करने या किसी न्यायालय के आदेश अथवा डिक्री के अनुपालन के दायित्व,

(b) विधि में परिवर्तन,

(c) कार्य की मूल परिधि के भीतर आस्थगित कार्य,

(d) वास्तविक भुगतान द्वारा ऐसे दायित्वों के निष्पादक के विस्तार तक कट–ऑफ तिथि के पश्चात आयोग द्वारा स्वीकृत कार्यों हेतु कोई दायित्व,

(e) कोई अतिरिक्त पूंजीगत व्यय जो यथास्थिति उत्पादक स्टेशन या पारेषण प्रणाली के दक्ष प्रचालन हेतु आवश्यक हो गया हो। दावों के साथ तकनीकी औचित्य सिद्ध करना होगा जिसके

साथ उचित समर्थक दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करने होंगे जैसे आस्तियों को अवनति के मामले में एक स्वतंत्र एजेन्सी द्वारा परीक्षण के परिणाम, प्राकृतिक आपदाओं से हुई हानि, प्रौद्योगिकी के पुराने हो जाने, फॉल्ट स्तर में वृद्धि जैसे तकनीकी कारण हेतु क्षमता के उच्चीकरण के मामले में स्वतंत्र एजेन्सी की रिपोर्ट,

(f) जल विद्युत उत्पादक स्टेशनों के मामले में, किसी बीमा योजना से प्राप्तियां और सफल व दक्ष संयंत्र प्रचालन हेतु आवश्यक हो चुके किसी अतिरिक्त कार्य के कारण उपगत व्यय के लिये समायोजन के पश्चात कोई अतिरिक्त व्यय जो प्राकृतिक आपदाओं द्वारा क्षतिग्रस्त होने के कारण आवश्यक हो चुके हों (किन्तु उत्पादक स्टेशन की लापरवाही के कारण पावर हाउस में जल प्लावन के कारण नहीं) जिसमें भूगर्भीय घटनाओं के कारण सम्मिलित है,

(g) परन्तु इस अकाउंट में अतिरिक्त पूंजीकरण केवल तभी अनुज्ञात होगा जब ऊपर लिखित प्राकृतिक आपदाओं के समय उपयुक्त और पर्याप्त बीमा कवर उपलब्ध था,

(h) पारेषण और वितरण प्रणाली के मामले में, मदों पर आए कोई अतिरिक्त व्यय जैसे रिलेज़ , कन्ट्रोल व इन्स्ट्रुमेंटेशन, कम्प्यूटर सिस्टम, पावर लाईन कैरियर कम्युनिकेशन, डीसी बैटरीज, स्विचयार्ड का बदलाव, फॉल्ट स्तर में वृद्धि के कारण उपकरण, इमरजेंसी रेस्टोरेशन सिस्टम, इन्सुलेटर्स क्लीनिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर, बीमा द्वारा कवर न किये गये क्षतिग्रस्त उपकरण का बदलाव और कोई अन्य व्यय जो पारेषण और वितरण प्रणाली के सफल और दक्ष प्रचालन हेतु आवश्यक हो गया है,

(i) अनिष्पादन/अस्तियों के विफल होने/उपकरण के मामले में इसे इस जांच हेतु स्टोर में भेजा जायेगा कि क्या यह शून्य लागत पर मरम्मत योग्य है अथवा नहीं,

(ii) यदि आस्ति मरम्मत योग्य है तो ऐसी आस्ति/उपकरण को आस्तियों की पुस्तक से हटाया नहीं जायेगा,

परन्तु अवस्थिति, आस्ति संख्या इत्यादि जैसी सामग्री के लिये उचित ट्रैकिंग उपलब्ध होनी चाहिये,

(iii) यदि आस्ति मरम्मत योग्य नहीं है, तो निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी :

- आस्ति को अवक्षयित मूल्य पर आस्तियों की पुस्तिका से हटा दिया जायेगा।
- विफल आस्ति/उपकरण को विफल से स्क्रैप सामग्री में स्थानांतरित किया जाये।
- इसे लोहे, पीतल इत्यादि जैसी स्क्रैप इन्वेन्टरी में खंडित किया जाये।
- स्क्रैप इन्वेन्टरी निर्मित की जाये।

परन्तु स्क्रैप इन्वेन्टरी को खंडित करने और स्क्रैप इन्वेन्टरी निर्मित करने का कार्य एक साथ किया जायेगा। खंडित स्क्रैप मूल्य पिछले स्क्रैप विक्रय मूल्य के आधार पर तय किया जायेगा। नियंत्रण लेखा (खंडन) व्यय लेखा होगा। नियंत्रण लेखा का अंतर अर्थात लाभ अथवा हानि को तदनुसार अंकित किया जायेगा।

(iv) यदि कोई नई आस्ति/उपकरण जारी किया जाता है तो इसे भारित औसत लागत पर जारी किया जायेगा व क्रमशः पूंजीकृत किया जायेगा तथा तदनुसार नई आस्तियां संरचित की जायेगी और लेखा पुस्तकों में तदनुरुप प्रविष्टियां की जायेगी।

(3) यथास्थिति एव उत्पादक कंपनी या वितरण अनुज्ञापी या पारेषण अनुज्ञापी या SLDC की आस्तियों के पूंजीकरण–निरसन के मामले में, पूंजीकरण–निरसन की तिथि पर ऐसी आस्ति की मूल लागत सकल स्थिर आस्ति के मूल्य में से घटायी जायेगी तथा तदनुरुप ऋण और साथ ही इक्विटी को भी, इस बात का विचार करते हुए कि इसका पूंजीकरण किस वर्ष में हुआ था, ऐसा पूंजीकरण–निरसन होने के वर्ष में क्रमशः शेष ऋण और इक्विटी में से घटाया जायेगा।

23 नवीनीकरण और आधुनिकीकरण

(1) उत्पादक स्टेशन के उपयोगी जीवन के आगे के जीवन में विस्तार के उद्देश्य से नवीनीकरण और आधुनिकीकरण (R&M) पर व्यय पूरे करने के लिये उत्पादक कंपनी अपने प्रस्ताव के सैद्धांतिक अनुमोदन हेतु आयोग के समक्ष एक आवेदन करेगी जिसमें विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के साथ इसकी पूर्ण परिधि, औचित्य, लागत–लाभ विश्लेषण, संदर्भ तिथि से अनुमानित जीवन विस्तार, वित्तीय पैकेज, व्यय के चरण, पूर्णता की अनुसूची, संदर्भ मूल्य स्तर, अनुमानित पूर्णता लागत जिसमें विदेशी विनिमय घटक, यदि कोई है, लाभार्थियों के साथ परामर्श का रिकॉर्ड, और कोई अन्य जानकारी जिसे उत्पादक कंपनी द्वारा सुसंगत समझा जाये, सम्मिलित है, प्रदान की जायेगी।

(2) जहां उत्पादक कंपनी नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के लिये सैद्धांतिक अनुमोदन हेतु आवेदन करती है वहां सैद्धांतिक अनुमोदन, लागत अनुमानों की युक्तियुक्तता, वित्त पोषण योजना, पूर्णता की अनुसूची, निर्माण के दौरान ब्याज, दक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग, लागत–लाभ विश्लेषण, और अन्य ऐसे कारक जो आयोग द्वारा सुसंगत समझे जायें, का विचार करने के पश्चात प्रदान किया जायेगा।

(3) नवीनीकरण और आधुनिकीकरण व्ययों के अनुमानों व जीवन विस्तार के आधार पर कुशल जांच के पश्चात तथा बदली गई आस्ति की मूल राशि बट्टे खाते में डालने व संचित अवक्षय घटाने, जिसमें मूल परियोजना लागत से पहले ही वसूले गये अवक्षय के सापेक्ष अग्रिम सम्मिलित है, के पश्चात उपगत या उपगत होने के लिये प्रक्षेपित तथा आयोग द्वारा स्वीकृत व्यय, शुल्क अवधारण का आधार संरचित करेगा।

24 ऋण–इक्विटी अनुपात

(1) 01.04.2019 पर या उसके पश्चात वाणित्यिक प्रचालन के अधीन घोषित परियोजना के लिये ऋण–इक्विटी अनुपात 70:30 होगा। जहां नियोजित इक्विटी 30% से अधिक है वहां शुल्क के उद्देश्य से इक्विटी की राशि 30% एक मानवीय तक सीमित होगी तथा शेष राशिऋण के रुप में विचारित की जायेगी। जहां वास्तविक नियोजित इक्विटी 30% से कम है वहां वास्तविक इक्विटी का उपयोग शुल्क संगणनाओं में इक्विटी पर रिटर्न के अवधारण हेतु किया जायेगा।

स्पष्टीकरण : शेयर पूंजी जारी करते समय उत्पादक कंपनी, या पारेषण अनुज्ञापी या वितरण अनुज्ञापी या SLDC द्वारा लगाया गये प्रीमियम और खुली आरक्षितियां, यदि कोई हैं, से संरचित आंतरिक संसाधनों के निवेश की भी इक्विटी पर रिटर्न की संगणना के उद्देश्य से समादत्त पूंजी के रुप में गणना की जायेगी, बशर्ते कि ऐसी प्रीमियम राशि और आंतरिक संसाधनों का वास्तविक उपयोग पूंजी व्यय पूरा करने के लिये किया जाये।

(2) विदेशी मुद्रा में निवेश की गई इक्विटी, इसके हस्ताक्षरित होने की तिथि (यों) पर प्रचलित विनियम–दर के आधार पर रुपये में परिवर्तित की जायेगी।

(3) परियोजना के निष्पादन हेतु प्राप्त कोई अनुदान, ऋण इक्विटी अनुपात के उद्देश्य से पूंजी संरचना का भाग नहीं समझा जायेगा।

(4) उत्पादक कंपनी या पारेषण अनुज्ञापी या SLDC या वितरण अनुज्ञापी यथास्थिति अपने पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिये, उपयोग किये गये या उपयोग किये जाने के लिये प्रस्ताविक के समर्थन में आंतरिक संसाधनों के संचार संबंध में कंपनी के बोर्ड का संकल्प या राज्य सरकार का अनुमोदन प्रस्तुत करेंगे।

(5) 01.04.2019 के पश्चात उपगत या उपगत होने के लिये प्रक्षेपित कोई व्यय जिसे शुल्क के अवधारण हेतु अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के रुप में आयोग द्वारा स्वीकार किया गया हो और जीवन विस्तार हेतु नवीनीकरण और आधुनिकीकरण व्यय, इन विनियमों के विनियम 22 और 23 में विनिर्दिष्ट तरीके से सेवित किया जायेगा।

(6) उत्पादन कंपनी, पारेषण अनुज्ञापी, वितरण अनुज्ञापी, या SLDC के मामले में जहां निवेश 01.04.2019 से पहले किये गये है, ऋणः इक्विटी अनुपात पिछले आदेशों में आयोग द्वारा अनुमोदित रुप में होगा।

25 उपभोक्ता अंशदान, जमा कार्य और अनुदान/सहायकी

(1) उत्पादन कंपनी, अनुज्ञापियों या SLDC द्वारा किये गये निम्नलिखित प्रकृति के कार्य इस श्रेणी के अन्तर्गत श्रेणीबद्ध किये जायेंगे :

(a) जमा कार्यों के संदर्भ में उपयोगकर्ताओं से निधियां या उनका एक भाग प्राप्त करने के पश्चात कार्य।

(b) राज्य और केन्द्र सरकारों से प्राप्त अनुदानों, जिसमें RGGVY, APDRP, इत्यादि सम्मिलित है, के उपयोग द्वारा हाथ में लिये गये पूंजीगत कार्य।

(2) ऐसे पूंजीगत व्यय पर व्यय के व्यवहार हेतु सिद्धांत निम्नलिखित होंगे :

(a) इन विनियमों में विनिर्दिष्ट मानकीय O&M व्यय अनुज्ञात होंगे।

(b) विनियम 28 में विनिर्दिष्ट अवक्षय से संबंधित उपबंध वित्तीय समर्थन की परिधि तक लागू होंगे जिसमें यथास्थिति अनुज्ञापी या SLDC या उत्पादक कंपनी द्वारा प्रदान किये गये ऋण और इक्विटी अंशदान सम्मिलित है। उपभोक्ता अंशदान या पूंजीगत अनुदान/सहायकियों के माध्यम से निधि पोषित आस्तियों पर अवक्षय अनुज्ञात नहीं होगा।

(c) विनियम 26 में विनिर्दिष्ट, इक्विटी पर रिटर्न से संबंधित उपबंध यथास्थिति अनुज्ञापी या SLDC या उत्पादक कंपनी पर 70:30 के मानकीय ऋण इक्विटी या वास्तविक इक्विटी, जो कम हो, की परिधि तक लागू होंगे।

26 इक्विटी पर रिटर्न

(1) इक्विटी पर रिटर्न की संगणना, विनियम 24 के अनुसार अवधारित इक्विटी आधार पर की जायेगी।

परन्तु इक्विटी पर रिटर्न, प्रत्येक वितीय वर्ष के आरम्भ में उपयोग में लाई गयी आस्तियों के लिये अनुज्ञात इक्विटी पूंजी की राशि पर अनुमोदित होगा।

(2) इक्विटी पर रिटर्न की संगणना ताप उत्पादक स्टेशनों, पारेषण अनुज्ञापी, SLDC और रन ऑफ द रिवर जल विद्युत उत्पादक स्टेशन के लिये 15.5% की आधार दर पर तथा स्टोरेज प्रकार के जल विद्युत उत्पादक स्टेशनों और पैंडिज के साथ रन ऑफ रिवर उत्पादक स्टेशन और वितरण अनुज्ञापी के लिये 16.50% की आधार दर पर पोस्ट टैक्स आधार पर की जायेगी।

परन्तु

(i) 1 अप्रैल 2019 के पश्चात कमीशन्ड उत्पादन और पारेषण परियोजनाओं के मामले में 0.5% का एक अतिरिक्त रिटर्न अनुज्ञात किया जायेगा यदि ऐसी परियोजनाएं इन विनियमों के परिशिष्ट–1 में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पूर्ण कर ली जाती है।

(ii) 0.5% का अतिरिक्त रिटर्न स्वीकार्य नहीं होगा यदि परियोजना किन्हीं भी कारणों से ऊपर विनिर्दिष्ट समय रेखा के भीतर पूरी नहीं की जाती है।

(iii) 0.5% का अतिरिक्त RoE अनुज्ञात किया जायेगा यदि पारेषण परियोजना के किसी भी तत्व को विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया जाये और उत्तर क्षेत्रीय ऊर्जा समिति द्वारा यह प्रमाणित किया जाये कि तत्व विशेष की कमीशनिंग से क्षेत्रीय/राष्ट्रीय ग्रिड में प्रणाली प्रचालन को लाभ होगा :

(iv) 50 किलो मीटर्स से कम लम्बाई वाली पारेषण लाईनों के लिये अतिरिक्त RoE स्वीकार्य नहीं होगी।

27 ऋण पूंजी पर और प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज और वित्त प्रभार

(1) विनियम 24 में इंगित तरीकों से ज्ञात ऋणों को ऋण पर ब्याज की गणना हेतु सकल मानकीय ऋण के रुप में विचारित किया जायेगा।

(2) 01.04.2019 पर बकाया मानकीय ऋण, अनुमोदित सकल मानकीय ऋण से 31.03.2019 तक आयोग स्वीकृत संचयी चुकौती घटा कर ज्ञात किया जायेगा।

(3) नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु चुकौती ऐसे वर्ष के लिये अनुज्ञात अवक्षय के बराबर समझी जायेगी। आस्तियों के पूंजीकरण–निरसन के मामले में चुकौती को, आनुपातिक आधार पर संचयी चुकौती को हिसाब में लेकर समायोजित किया जायेगा और यह समायोजन, ऐसी आस्ति के पूंजीकरण निरसन की तिथि तक वसूले गये संचयी अवक्षय से अधिक नहीं होना चाहिये।

(4) यथास्थिति उत्पादक कंपनी या पारेषण अनुज्ञापी या वितरण अनुज्ञापी या SLDC द्वारा उपयोग की गई किसी अधिस्थगन अवधि के होते हुए भी ऋण की चुकौती परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन के प्रथम वर्ष से अनुज्ञात की जाएगी तथा वर्ष या वर्ष के भाग के लिए स्वीकृत अवक्षय के बराबर होगी।

(5) ब्याज दर, पूंजीकृत ब्याज हेतु उपयुक्त लेखांकन समायोजन प्रदान करने के पश्चात पिछले वर्ष में वास्तविक ऋण पोर्ट फोलियों के आधार पर परिकलित ब्याज की भारित औसत दर होगीः

परन्तु यदि किसी वर्ष विशेष के लिये कोई वास्तविक ऋण नहीं है किन्तु मानकीय ऋण अब भी बकाया है तो पिछली उपलब्ध भारित औसत ब्याज दर विचारित की जायेगी।

परन्तु आगे यह कि यदि यथा–स्थिति उत्पादक स्टेशन या पारेषण प्रणाली या वितरण प्रणाली या SLDC के पास वास्तविक ऋण नहीं है तो एक संपूर्ण रुप में उत्पादक कंपनी या पारेषण अनुज्ञापी या वितरण अनुज्ञापी या SLDC की भारित औसत ब्याज दर विचारित की जायेगी।

(6) ऋण पर ब्याज, भारित औसत ब्याज दर लागू कर वर्ष के मानकीय औसत ऋण पर परिकलित किया जायेगा।

(7) यथास्थिति, उत्पादक कम्पनी या पारेषण अनुज्ञापी या वितरण अनुज्ञापी या SLDC जहां तक ब्याज पर शुद्ध बचत होती है इसे पुनः वित्त पोषित करने का पूरा प्रयास करेंगे और ऐसी स्थिति में ऐसे

पुनः वित पोषण से संबंद्ध लागतों को लाभार्थियों द्वारा वहन किया जायेगा तथा ब्याज पर शुद्ध बचत लाभार्थियों और यथा–स्थिति उत्पादक कम्पनी या पारेषण अनुज्ञापी या वितरण अनुज्ञापी या SLDC के मध्य 1:2 के अनुपात में साझा की जायेंगी।

(8) ऋण के निबंधनों और शर्तों में परिवर्तन को ऐसे पुनः वित्त पोषण की तिथि से प्रक्षेपित किया जायेगा।

(9) समय समय पर आयोग द्वारा तय की गई ब्याज दर पर उपभोक्ताओं से वितरण अनुज्ञापी द्वारा प्रतिभूति निक्षेप के रूप में रखी गयी राशि पर ब्याज अनुज्ञात किया जायेगा।

परन्तु किसी वर्ष की सही–करण कार्यवाहियों के दौरान यह पाया जाता है कि उपभोक्ताओं को भुगतान किया गया वास्तविक ब्याज अनुज्ञापी द्वारा अपने लेखों में प्रदान किये गये से कम है तो भुगतान किया गया वास्तविक ब्याज प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज के रूप में अनुज्ञात किया जायेगा।

28 अवक्षय

(1) अवक्षय के उद्देश्य से मूल्य आधार आयोग द्वारा स्वीकृत आस्ति की पूंजी लागत होगा।

परन्तु उपभोक्ता अंशदान और पूंजी सहायकियों/अनुदानों के द्वारा निधि पोषित आस्तियों पर कोई अवक्षय अनुज्ञात नहीं होगा।

(2) आस्ति का सैल्वेज मूल्य 10% के रूप में विचारित किया जायेगा और अवश्रय आस्ति की पूंजी लागत के अधिकतम 90% तक अनुज्ञात होगा।

परन्तु उत्पादक स्टेशनों के मामले में साल्वेज मूल्य, स्थल के सृजन हेतु राज्य सरकार के साथ विकास कर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित करार में उपबंधित रूप में होगा।

परन्तु आगे यह कि इन विनियमों के अधीन, शुल्क अवधारण हेतु अवक्षीय मूल्य के संगणन के उद्देश्य से उत्पादक स्टेशन की आस्तियों की पूँजी लागत विनियमित शुल्क पर दीर्घावधि ऊर्जा क्रय करार के अधीन विद्युत के विक्रय के प्रतिशत के तदनुरूप होगी।

परन्तु यह भी कि यथास्थिति, उत्पादक स्टेशन या उत्पादक यूनिट या पारेषण प्रणाली की निम्न उपलब्धता के कारण अनानुज्ञात कोई अवक्षय उपयोगी जीवन या विस्तारित जीवन के दौरान व इसके पश्चात् के चरण पर वसूली हेतु अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

परन्त सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण और सॉफ्टवेयर हेतु साल्वेज मूल्य 'कुछ नहीं' के रूप में विचारित किया जायेगा और आस्तियों का 100% मूल्य अवक्षीय विचारित किया जायेगा।

(3) पट्टे के अधीन धारित भूमि से अन्य भूमि और जलविद्युत उत्पादक स्टेशन के मामले में जलाशय हेतु भूमि अवक्षीय आस्ति नहीं होगी तथा उसके मूल्य को, (–) आस्ति के अवक्षीय मूल्य की संगणना करते समय, पूँजी लागत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(4) अवक्षय का परिकलन स्ट्रेंथ लाईन मैथड या सीधी रेखा कार्य विधि के आधार पर और इन विनियमों के परिशिष्ट–II में विनिर्दिष्ट दरों पर वार्षिक रूप से किया जायेगा।

परन्तु वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 12 वर्ष की अवधि के पश्चात् वर्ष समाप्ति की 31 मार्च पर शेष अवक्षीय मूल्य, आस्तियों के शेष उपयोगी जीवन में विस्तारित होगा।

(5) अवक्षय वाणिज्यिक प्रचालन के प्रथम वर्ष से प्रभारित होगा। वर्ष के एक भाग हेतु आस्ति के वाणिज्यिक प्रचालन के मामले में अवक्षय आनुपातिक आधार पर प्रभारित होगा।

(6) उत्पादक स्टेशन या उसकी यूनिट या वितरण अनुज्ञापी या SLDC या पारेषण प्रणाली या उसके तत्व के संबंध में, संचयी अवक्षय, पूँजीकरण निरसित आस्ति को उपयोगी सेवाओं द्वारा शुल्क में वसूले गये अवक्षय को दृष्टिगत रखकर समायोजित किया जायेगा।

29 पट्टा प्रभार

उत्पादक कम्पनी, SLDC या पारेषण अथवा वितरण अनुज्ञापी द्वारा पट्टे पर ली गई आस्तियों के लिये पट्टा प्रभार, पट्टा करार के अनुसार विचारित किया जायेगा बशर्ते कि इन्हें आयोग द्वारा युक्तियुक्त समझा जाये।

30 प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय

(1) 'प्रचालन एवं अनुरक्षण या O&M व्ययों में जन–शक्ति, मरम्मत एवं अनुरक्षण (R&M) और प्रशासकीय व सामान्य व्ययों सहित बीमा व्ययों का समावेश होगा।

(2) प्रचालन और अनुरक्षण व्यय, पश्चातवर्ती इन विनियमों में आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट कार्य विधि पर आधारित नियंत्रण अवधि हेतु अवधारित होंगे।

(3) पट्टे पर ली गई और उपभोक्ता के अंशदान से सृजित आस्तियों पर O&M व्यय विचारित किये जायेंगे, यदि उत्पादक कंपनी या पारेषण या वितरण अनुज्ञापी या SLDC के पास इसके O&M का दायित्व है और वे O&M व्यय वहन करते हैं।

(4) वर्ष के दौरान जोड़ी गयी सकल स्थिर आस्तियों के लिये वार्षिक O&M व्यय आनुपातिक आधार पर, कमीशनिंग की तिथि से विचारित किये जायेंगे।

(5) युद्ध, विद्रोह, विधि में परिवर्तन या ऐसी घटनाओं के कारण O&M प्रभारों में वृद्धि एक विनिर्दिष्ट अवधि हेतु आयोग द्वारा विचारित की जायेगी।

(6) मानकीय O&M व्ययों और वास्तविक O&M व्ययों में परिवर्तन, नियंत्रणीय कारकों के कारण लाभ/हानि का भाग माने जायेंगे।

31 अशोध्य और संदिग्ध ऋण

(1) आयोग पिछले वर्ष में वितरण अनुज्ञापी द्वारा अशोध्य ऋणों को वास्तव में बट्टे खाते डालने की शर्त के अधीन उसके अनुमानित वार्षिक राजस्व का एक प्रतिशत (1%) तक अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिये उपबंध अनुज्ञात कर सकता है।

परन्तु जहां अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिये पूर्व वर्षों में अनुज्ञात ऐसे उपबंधीकरण की कुल राशि वर्ष के आरम्भ में प्राप्तियों के पांच (5) प्रतिशत से अधिक होता है वहां ऐसा कोई विनियोजन अनुज्ञात नहीं किया जायेगा जिसका उक्त अधिकतम से आगे उपबंधीकरण बढ़ाने का प्रभाव हो सकता है।

32 विदेशी मुद्रा विनियम दर परिवर्तन (FERV)

(1) ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती के लिये विदेशी मुद्रा विनियम दर परिवर्तन हेतु बचाव व्यवस्था की लागत वर्ष–दर–वर्ष आधार पर अनुज्ञात की जाएगी और भुगतान की देय तिथि पर देय होगी तथा आयोग की कुशल जांच के अधीन होगी। आवेदक आयोग को प्रतिरक्षा की ऐसी लागत का पूर्ण विवरण प्रदान करायेगा।

(2) यदि मान्य कारणों से प्रतिरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई है तो FERV, शुल्क अवधारण के उद्देश्य से आयोग द्वारा अस्थायी रूप से अनुमानित की जायेंगी और वास्तविक के अनुसार समायोजन के अधीन होगी।

33 कार्यशील पूँजी पर ब्याज

कार्यशील कामकाजी पूँजी पर ब्याज की दर मानकीय आधार पर होगी और टैरिफ सहीकरण और वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा के निर्धारण के लिए शुल्क के अवधारण हेतु किये जाने वाले आवेदन की तिथि पर भारतीय स्टेट बैंक की स्टेट बैंक अग्रिम दर (SBAR) के बराबर होगी।

(1) उत्पादन, पारेषण प्रणाली और **SLDC:**

(a) ओपन साईकल गैस टर्बाईन/कम्बाईन्ड साईकल ताप उत्पादक स्टेशन्स के मामले में कार्यशील पूँजी में निम्नलिखित सम्मिलित होगाः

(i) गैस ईंधन और तरल ईंधन पर उत्पादक स्टेशनों के प्रचालन की रीति को उचित रूप से हिसाब में लूते हुए NAPAF के तदनुरूप 1(एक) माह की भू–ईंधन लागत।

(ii) NAPAF के तदनुरूप 1/2 (आधे) माह के लिये तरल–ईंधन भण्डार और एक से अधिक तरल ईंधन के उपयोग के मामले में गैस और तरल ईंधन के उत्पादक स्टेशनों की प्रचालन रीति को विधिवत दृष्टिगत रखते हुए हुए मुख्य तरल ईंधन की लागत।

(iii) एक माह के लिए प्रचालन और अनुरक्षण व्यय।

(iv) प्रचालन और अनुरक्षण व्यय को 30% की दर से अनुरक्षण स्पेयर्स।

(v) गैस ईंधन और तरल ईंधन पर उत्पादक स्टेशन के प्रचालन की रीति को विधिवत हिसाब में लेते हुए NAPAF पर परिकलित विद्युत के विक्रय हेतु क्षमता प्रभार और ऊर्जा प्रभार के 2 (दो) माह के बराबर प्राप्तियां।

(b) जल विद्युत उत्पादक स्टेशनों और पारेषण प्रणाली और SLDC के मामले में कार्यशील पूँजी में निम्नलिखित सम्मिलित होगाः

(i) एक माह के लिये प्रचालन और अनुरक्षण व्यय।

(ii) प्रचालन और अनुरक्षण व्ययों का 15% की दर से अनुरक्षण स्पेयर्स, और

(iii) वार्षिक स्थिर प्रभारों के दो माह के बराबर प्राप्तियां।

(c) स्वयं के उत्पादक स्टेशन के मामले में, इन विनियमों के अनुसार कार्यशील पूँजी की संगणना में खुदरा आपूर्ति कारोबार को उत्पादन कारोबार द्वारा ऊर्जा की आपूर्ति की परिधि तक, प्राप्तियों के लिये कोई राशि अनुज्ञात नहीं होगी।

(d) उपरोक्त उप विनियम 1(a) के अधीन आच्छादित मामलों में ईंधन की लागत, उत्पादक कम्पनी द्वारा उपगत भू लागत (मानकीय ट्रांजिट और हैंडलिंग हानियों को हिसाब में लेते हुए) और शुल्क अवधारित किये जाने वाले माह से पूर्व के तीन माहों के लिये वास्तविकों के अनुसार ईंधन के सकल कैलोरिफिक मूल्य पर आधारित होगी और शुल्क अवधि के दौरान कोई ईंधन मूल्य वृद्धि प्रदान नहीं की जायेगी।

परन्तु ऊपर उप–विनियम के 1(a) अधीन आच्छादित नये उत्पादक स्टेशन्स के मामले में, जहां पिछले तीन माह के लिये डाटा उपलब्ध नहीं है वहां ईंधन की भू लागत और ईंधन का कैलोरिफिक सकल मूल्य वह लिया जायेगा जो उत्पादक स्टेशन द्वारा वास्तव में उपगत किया गया है।

(2) वितरण

(a) वितरण अनुज्ञापी को वितीय वर्ष हेतु कार्यशील पूँजी के अनुमानित स्तर पर ब्याज अनुज्ञात होगा, जिसे निम्नानुसार संगणित किया जायेगाः

(i) एक माह के लिए प्रचालन और अनुरक्षण व्यय;

(ii) प्रचालन और अनुरक्षण व्यय का 15% की दर से अनुरक्षण स्पेयर्स; धन

(iii) प्रचलित शुल्कों पर विद्युत के विक्रय से अपेक्षित राजस्व के दो माह के बराबर;

(iv) आयोग द्वारा अनुज्ञात वर्तमान देयोंके संग्रहण में ऐसी कमी के वित पोषण हेतु आवश्यक पूँजी; ऋण

(v) उपभोक्ताओं और वितरण प्रणाली उपयोग कर्ताओं से अधिनियम की धारा 47 की उप–धारा (1) के खण्ड (a) और खण्ड (b) के अधीन प्रतिभूति निक्षेप के रूप में धारित राशि; ऋण

(vi) वार्षिक ऊर्जा अधिप्राप्ति योजना पर आधारित, क्रय की गई ऊर्जा की लागत के एक माह के बराबर।

34 आय पर कर

उत्पादक कंपनियों, पारेषण अनुज्ञापियों वितरण अनुज्ञापियों और SLDC के विनियमित कारोबार की आय शाखा पर आयकर की, यदि कोई है, तो उसकी कुशल जांच के अधीन, नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के सहीकरण के समय पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर, वास्तव में भुगतान किये गये आय कर के अनुसार उत्पादक कंपनियों, पारेषण अनुज्ञापियों, वितरण अनुज्ञापियों और SLDC को प्रतिपूर्ति की जायेगी।

35 विनियामक आस्तियां

आय और व्यय के असामान्य परिवर्तन के फल–स्वरूप पर्याप्त राजस्व अंतर है, जिसकी पूरी वसूली एक वर्ष में व्यवहार्य नहीं है, के मामले में, आयोग शुल्क नीति के खण्ड 8.2.2 में उपबंधित दिशा–निर्देशों के अनुसार विनियामक आस्तियों का सृजन अनुज्ञात कर सकेगा और शुल्क या अधिभार के माध्यम से इसकी वसूली अधिकरण सात वर्ष की अवधि तक उपयुक्त रूप से उपबंधित कर सकता है।

इस प्रकार सृजित विनियामक आस्तियों का परिशोधन शुल्क नीति के अनुसार किया जायेगा बशर्ते कि आयोग ऐसी दरों पर विनियामक आस्ति पर वह लागत अनुज्ञात करे जिसे वह उचित समझे।

भाग IV

राजस्व

36 शुल्क आय

यथास्थिति विद्युत के उत्पादन, पारेषण, व्हीलिंग और खुदरा आपूर्ति, SLDC प्रभारों के लिये आयोग द्वारा अवधारित सभी प्रभारों से उत्पन्न उत्पादक कंपनी, पारेषण अनुज्ञापी, वितरण अनुज्ञापी और SLDC की आय शुल्क आय के रूप में विचारित की जाएगी।

37 अन्य राजस्व

(1) शुल्क राजस्व से अन्य सभी राजस्व जिनमें विद्युत के अनाधिकृत उपयोग हेतु प्रभार और कंपाउंडिंग के माध्यम से वसूली गई धन–राशि सम्मिलित है, को अन्य राजस्व के रूप में समूहबद्ध किया जायेगा।

(2) पावर स्टेशन/उप–स्टेशन बस बार से ली गई, अपने प्रचालन स्टाफ हेतु आवासीय कॉलोनी या टाउन–शिप्स को आपूर्ति की गई ऊर्जा के लिये उत्पादन कंपनी/पारेषण अनुज्ञापी/वितरण अनुज्ञापी/SLDC द्वारा एक पृथक अकाउंट रखा जायेगा और लागू शुल्क के अनुसार मान्य दर से प्राप्त राजस्व, जहां लागू हो, वहां ARR/शुल्क याचिका में आयोग को वार्षिक रूप से रिपोर्ट किया जायेगा।

(3) उत्पादन/पारेषण शुल्क का अवधारण करते समय, इस प्रकार प्राप्त किया गया राजस्व, अर्थात् उत्पादक कंपनी के मामले में वितरण अनुज्ञापी के सम्बन्ध में श्रेणीवार उपभोक्ताओं के लिए शुल्क या पारेषण अनुज्ञापी के मामले में जहां उप–स्टेशन स्थित है, को आयोग द्वारा उत्पादक कंपनी/पारेषण अनुज्ञापी/SLDC की अन्य आय के एक घटक के रूप में समझा जायेगा और उसे वार्षिक स्थिर प्रभारों में से घटाया जायेगा।

38 अधिभार और अतिरिक्त अधिभार

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 39, 40, 42 के अधीन अधिभार और अतिरिक्त अधिभार को आय के रूप में विचारित किया जायेगा और आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से व्यवहारित किया जायेगा

39 अन्य कारोबार से राजस्व

(1) अन्य कारोबार से राजस्व को, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 41 और 51 के अधीन, आयोग द्वारा प्राधिकृत परिधि तक आय के रूप में माना जायेगा।

(2) उत्पादक कंपनी, पारेषण अनुज्ञापी, वितरण अनुज्ञापी और SLDC, याचिका के साथ आयोग को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेंगेः

क्या उत्पादक कंपनी या SLDC या अनुज्ञापी EA 2003 की धारा 41 और 51 के अधीन निर्धारित अभिप्राय के भीतर किसी अन्य कार्य में संलिप्त है?

यदि हां, तो आवेदक निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा।

(a) उन सभी अन्य कारोबारों का नाम और विवरण जिन में आवेदक संलिप्त है;

(b) प्रत्येक ऐसे अन्य कारोबार के लिये पिछले वर्ष में उत्पादित, वर्तमान वर्ष में अनुमानित और आगामी वर्ष के लिये प्रक्षेपित राजस्व की राशि;

(c) उपरोक्त राजस्व उत्पन्न करने के लिये आवेदक द्वारा उपयोग में लायी गई कारोबार की आस्तियां।

(d) उपरोक्त राजस्व उत्पन्न करने के लिए हुए व्यय, प्रत्येक अन्य कारोबार के लिए पृथक रूप से,

(e) क्या ये व्यय पूर्ण अथवा आंशिक रूप से आवेदक के ARR में पहले से सम्मिलित किये गये हैं? यदि आंशिक रूप से, तो प्रभाजन का अनुपात और आधार प्रस्तुत किया जाये।

40 स्वच्छ विकास तंत्र **(CDM)** क्रेडिट को साझा किया जाना

अनुमोदित CMD परियोजना से कार्बन क्रेडिट की प्राप्तियों को निम्नलिखित तरीके से साझा किया जाएगा, यथा–

(a) CMD के कारण सकल प्राप्तियों का 100% यथास्थिति, उत्पादक स्टेशन या पारेषण प्रणाली के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि के पश्चात् प्रथम वर्ष में परियोजना विकासकर्ता द्वारा रखा जायेगा;

(b) द्वितीय वर्ष में लाभार्थियों का अंश 10% होगा जिसे क्रमशः 10% प्रति वर्ष बढ़ाया जायेगा जब तक कि यह 50% तक न पहुंच जाये। उसके पश्चात् प्राप्तियां यथा स्थिति उत्पादक कंपनी या पारेषण अनुज्ञापी, और लाभार्थियों द्वारा बराबर अनुपात में बांटी जायेगा।

भाग–**V**

उत्पादन शुल्क का संगणन

41 प्रयोज्यता

(1) इस भाग में विनिर्दिष्ट विनियम, उत्तराखण्ड मे अवस्थित पारंपरिक उत्पादक स्टेशनों से वितरण अनुज्ञापी को विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क के अवधारण के लिये लागू होंगे।

(2) आयोग को, उत्पादक कंपनी द्वारा एवं वितरण अनुज्ञापी को विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क के अवधारण में, इस भाग में समावेशित निबंधनों और शर्तों से दिशा–निर्देशित किया जाएगा।

42 उत्पादन शुल्क के अवधारण हेतु याचिका

(1) एक उत्पादक कंपनी, इन विनियमों के भाग II के उपबंधों का अनुपालन कर वितरण अनुज्ञापियों को विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क के अवधारण के लिये याचिका फाईल कर सकेगी।

(2) इन विनियमों के अधीन उत्पादक कंपनी के संबंध में शुल्क चरण–वार, यूनिट–वार या संपूर्ण उत्पादक स्टेशन के लिये अवधारित किया जायेगा। इस भाग में विनिर्दिष्ट उत्पादक यथा स्थिति चरणों या यूनिटों पर उसी तरीके से लागू होगी जिस तरीके से उत्पादक स्टेशन पर लागू हो।

(3) जहां उत्पादक स्टेशन के चरण या यूनिट हेतु शुल्क का अवधारण किया जा रहा है वहां उत्पादक कंपनी, यथास्थिति, सामान्य सुविधाओं संबंधित पूंजी लागत का आबंटन तथा संयुक्त व सामान्य मूल्यों का आबंटन, सभी चरणों या यूनिटों हेतु, एक युक्तियुक्त आधार अपनायेगी।

परन्तु उत्पादक कंपनी ऐसी लागतों के आवंटन हेतु आधार प्रदान करते हुए एक आवंटन विवरण रखेगी और शुल्क अवधारण हेतु आवेदन के साथ इसे आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

(4) एक उत्पादक कंपनी एक उत्पादक स्टेशन की कमीशनिंग की पूर्वानुमानित तिथि से अग्रिम में अस्थायी शुल्क के अवधारण की तिथि या याचिका करने से पूर्व की तिथि तक वास्तव में हुए पूँजीगत व्यय पर धारित होगी जिन्हें विधिक संपरीक्षकों द्वारा विधिवत संपरीक्षित व प्रमाणित होना चाहिये तथा अस्थायी शुल्क, उत्पादक स्टेशन में वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से प्रभारित होगा।

(5) एक उत्पादक कंपनी जिसके लिये आयोग ने अस्थायी शुल्क अवधारित किया है, उसे वार्षिक संपरीक्षित लेखों जो विधिक संपरीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित हो, के आधार पर उत्पादक स्टेशन के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि तक हुए वास्तविक पूँजीगत व्यय पर आधारित अंतिम शुल्क के अवधारण हेतु इन विनियमों के अनुसार एक नई याचिका दायर करनी होगी।

43 शुल्क के घटक

(1) एक ताप ऊर्जा उत्पादक स्टेशन से विद्युत के विक्रय हेतु शुल्क में दो भागों का समावेश होगा, यथा, वार्षिक स्थायी प्रभारों की वसूली और ऊर्जा (परिवर्तन) प्रभार (प्राथमिक ईंधन लागत की वसूली हेतु)।

(2) एक जल विद्युत उत्पादक स्टेशन से विद्युत के विक्रय हेतु शुल्क में दो भागों का समावेश होगा, यथा, वार्षिक क्षमता प्रभार की वसूली और ऊर्जा प्रभार।

(3) उत्पादक कंपनी द्वारा क्षमता प्रभार, ऊर्जा प्रभार की वसूली और इन्सेन्टिव विनियम 47 में विनिर्दिष्ट प्रचालन मानकों की प्राप्ति पर आधारित होंगे।

44 वार्षिक स्थिर प्रभार

वार्षिक स्थिर प्रभारों में निम्नलिखित तत्वों का समावेश होगाः

(a) ऋण पूँजी पर ब्याज और वितीय प्रभार;

(b) अवक्षय;

(c) पट्टा प्रभार–

(d) प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय;

(e) इक्विटी पर रिटर्न;

(f) कार्यशील पूँजी पर ब्याज;

ऋण घटा करः

(g) गैर–शुल्क आय

परन्तु ताप एवं जलविद्युत उत्पादक स्टेशनों के लिये अवक्षय, ऋण पूँजी पर ब्याज और वित्त प्रभार, कार्यशील पूँजी पर ब्याज और इक्विटी पर रिटर्न इन विनियमों के भाग III में विनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार अनुज्ञात होंगे।

45 अशक्त ऊर्जा का विक्रय

अशक्त शक्ति की आपूर्ति को विचलन के रूप में माना जायेगा और राज्य विचलन पूल खाते में उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (विचलन निपटान तंत्र और संबंधित मामलों) विनियम, 2017 के अनुसार समय–समय पर संशोधित अथवा अधिनियमित किया जायगा।

परन्तु अशक्त ऊर्जा के विक्रय से उत्पादक कंपनी द्वारा अर्जित ईंधन लागत की वसूली से अन्य कोई राजस्व, पूँजी लागत में घटाव के लिये उपयोग में लाया जायेगा और उसे राजस्व के रूप में नहीं माना जायेगा।

46 गैर शुल्क आय

आयोग द्वारा अनुमोदित उत्पादन कारोबार से संबंधित गैर शुल्क आय की राशि को उत्पादक कंपनी के शुद्ध वार्षिक स्थिर प्रभारों के अवधारण में वार्षिक स्थिर प्रभारों में से घटाया जायेगा।

परन्तु उत्पादक कंपनी आयोग को गैर शुल्क आय के अपने पूर्वानुमान का पूर्ण विवरण ऐसे स्वरूप में प्रस्तुत करेगी जैसा कि समय–समय पर आयोग द्वारा नियत किया जाये।

गैर शुल्क आय हेतु विचारित किये जाने वाले विभिन्न शीर्षों की सांकेतिक सूची निम्नलिखित रूप में होगीः

(a) भूमि या भवन के किराये से आय

(b) स्क्रैप के विक्रय से आय

(c) सांविधिक निवेशों से आय

(d) बिलों पर विलंबित या आस्थगित भुगतान पर ब्याज

(e) आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों को अग्रिमों पर ब्याज

(f) स्टाफ क्वाटर्स से किराये की राशि

(g) ठेकेदारों से किराये की राशि

(h) ठेकेदारों और अन्यों से भाड़ा प्रभारों से आय

(i) विज्ञापनों इत्यादि से आय

(j) कोई अन्य गैर शुल्क आय

परन्तु उत्पादक कंपनी के विनियमित कारोबार के तदनुरूप इक्विटी पर रिटर्न से किये गये निवेशों से अर्जित ब्याज को गैर शुल्क आय में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

47 उत्पादक स्टेशनों के लिये प्रचालन के मानक

ताप उत्पादक स्टेशनों के लिये नीचे दिये गये प्रचालन के मानक लागू होंगेः

(1) मानकीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक **(NAPAF):**

(a) सभी ताप उत्पादक स्टेशनों के लियेः 85%

(b) वर्तमान जल विद्युत उत्पादक स्टेशनों के लियेः

पिछली नियंत्रण अवधि में, वर्तमान जल–विद्युत उत्पादक स्टेशनों के मामले में, आयोग द्वारा तय की गई NAPAF हेतु ट्रेजेक्टरी का लागू रहना जारी रहेगा। तथापि RMU के अधीन स्टेशन्स के NAPAF का समायोजन RMU के प्रभाव का विचार करते हुए तदनुसार किया जायेगा।

(c) नये जल–विद्युत उत्पादक स्टेशनों के लियेः

विवरण	मानकीय संयंत्र उपलब्धता कारक
पूर्ण जलाशय स्तर (FRL) और 8% तक के न्यूनतम ड्रॉ डाउन स्तर (MDDL) के मध्य शीर्ष परिवर्तन के साथ स्टोरेज और पाँडेज प्रकार के संयंत्र और जहां संयंत्र उपलब्धता सिल्ट द्वारा प्रभावित न हो।	90%
8% से अधिक के FRL और MDDL के मध्य शीर्ष परिवर्तन के साथ स्टोरेज और पाँडेज प्रकार के संयंत्र और जहां संयंत्र उपलब्धता सिल्ट द्वारा प्रभावित न हो।	परियोजना प्राधिकारियों द्वारा प्रधान DPR में सम्मिलित माहवार पीकिंग सामर्थ्य (सी0ई0ए0 या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित) NAPAF को तय करने का आधार बनाएगी।
पाँडेज प्रकार के संयंत्र जहां संयंत्र उपलब्धता सिल्ट द्वारा पर्याप्त रूप से प्रभावित हो।	85%

रन–आफ रिवर प्रकार के संयंत्र	10 दिन के डिज़ाईन एनर्जी डाटा, (जहां उपलब्ध/सुसंगत हो) पूर्व अनुभव द्वारा आधुनिकीकृत, के आधार पर संयंत्र वार अवधारित किया जाये।

(i) विशेष परस्थितियों जैसे असामान्य स्थल समस्याएं या अन्य प्रचालन स्थितियां और ज्ञात संयंत्र स्थितियों के अधीन NAPAF निर्धारण में आयोग द्वारा और छूट दी जा सकती है।

परन्तु एक नये जल विद्युत उत्पादक स्टेशन के मामले में विकासकर्ता के पास ऊपर सारणी में दिये गये सिद्धांत के आधार पर NAPAF तय करने के लिये अग्रिम में आयोग से संपर्क करने का विकल्प रहेगा।

परन्तु आगे यह कि उत्पादक कंपनियां, आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने के लिये, इन विनियमों के परिशिष्ट–III में नियत किये गये NAPAF के परिकलन हेतु दिशा निर्देशों के अनुसार विस्तृत परिकलन और उनके कारणों के साथ संयंत्रवार NAPAF प्रस्तुत करेगी।

(2) इन्सेन्टिव हेतु ताप उत्पादक स्टेशनों के लिए मानकीय वार्षिक संयंत्र भार कारक **(NAPLF) 85%** होगा।

(3) गैस–आधारित/तरल–आधारित ताप उत्पादक यूनिट (यूनिटों) के लिये सकल स्टेशन ताप दरः

= 1.05x प्राकृतिकगैस एवं RLNG (Kcal/kwh) हेतु यूनिट की डिजाईन ताप दर

= 1.071x तरल ईंधन (kcal/kwh) हेतु यूनिट की डिजाईन ताप दर

जहाँ एक यूनिट की डिजाईन ताप दर से अभिप्राय होगा 100% MCR पर एक यूनिटके लिये गारंटीड ताप दर और स्थल पर परिवेशी स्थितियां; और एक ब्लॉक की डिजायन ताप दर से अभिप्राय होगा 100% MCR पर एक ब्लॉक के लिये गारंटीड ताप दर, स्थल परिवेशी स्थितियां, शून्य प्रतिशत मेक अप डिजाईन कूलिंग जल तापमान बैक प्रेशर।

(4) अनुषंगी ऊर्जा उपयोग

i. गैस टर्बाईन/कंबाइन्ड साईकल उत्पादक स्टेशन्सः

- कम्बाइन्ड साईकल : 2.5%
- ओपन साईकल : 1.0%

ii. जल विद्युत उत्पादक स्टेशन्सः

(a) सतह जल विद्युत ऊर्जा उत्पादक स्टेशन्स

i. जनेरेटर शैफ्ट पर माउंटेड, रोटेटिंग एक्साइटर्स के साथः 0.7%

ii. स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम के साथः 1%

(b) भूमिगत जल विद्युत उत्पादक स्टेशन

i. जनरेटर शैफ्ट पर माउंटेड, रोटेटिंग एक्साइटर्स के साथः 0.9%

ii. स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम के साथः 1.2%

48 प्रचालन और अनुरक्षण व्यय

प्रचालन और अनुरक्षण व्यय निम्नानुसार होंगे, यथाः

(1) ओपन साईकल गैस टार्बाइन/कम्बाइन्ड साईकल उत्पादक स्टेशनों के लिये मानकीय ओ एंड एम व्यय निम्नानुसार होंगेः

(रू0 लाख/MW में)

वर्ष	गैस टर्बाईन/कम्बाइन्ड सायकल उत्पादक स्टेशन		लघु गैस टर्बाईन ऊर्जा उत्पादक स्टेशन (50 मेगावाट यूनिट आकार से छोटे)	अग्रिम एफ क्लास मशीनें
	10 वर्षों के लिये वारंटी स्पेयर्स के साथ	वारंटी स्पेयर्स के बिना		
2018–19	11.22	16.82	20.41	34.56
2019–20	11.97	17.94	21.76	36.92
2020–21	12.76	19.13	23.21	39.44
2021–22	13.61	20.41	24.75	42.14

(2) जल विद्युत उत्पादक स्टेशन्स

(a) आधार वर्ष से पूर्व पांच वर्ष से अधिक के लिये प्रचालन में उत्पादक स्टेशनों के लिये

नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष हेतु प्रचालन एवं अनुरक्षण व्ययों को संपरीक्षित तुलन पत्र पर आधारित, आधार वर्ष तक पिछले पांच वर्षों के लिये वास्तविक ओ एंड एम व्ययों को हिसाब में लेते हुए आयोग द्वारा अनुमोदित किया जायेगा, जिसमें असामान्य प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय, यदि कोई है, सम्मिलित नहीं है तथा ये अनुमोदन कुशल जॉच और आयोग द्वारा विचारित किन्हीं अन्य कारकों के अधीन होगा।

(b) आधार वर्ष से पूर्व 5 वर्ष से कम प्रचालन में उत्पादक स्टेशन्स के लियेः

ऐसे जल विद्युत उत्पादक स्टेशनों के मामले में जो कि आधार वर्ष, अर्थात वितीय वर्ष 2017–18 से पूर्व पांच वर्ष की अवधि के लिये विद्यमान नहीं रहे हैं, वितीय वर्ष 2017–18 के आधार वर्ष हेतु प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय, प्रचालन के प्रथम वर्ष हेतु 200 मेगावाट से कम परियोजनाओं के लिए और 200 मेगावाट से अधिक स्टेशनों के लिए आयोग द्वारा स्वीकृत पूंजी लागत (पुनर्वास और पुनर्वास कार्यों की लागत को छोड़ कर) 4% और 2.5% पर तय किया जायेंगे तथा पश्चातवर्ती वर्ष में, नीचे खण्ड (e) में विनिर्दिष्ट वृद्धि सिद्धांतों के अनुसार बढ़ाये जायेंगे।

(c) 1.4.2019 को या उसके पश्चात वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित उत्पादक स्टेशनों के लिये :नये जल विद्युत उत्पादक स्टेशनों, अर्थात 1.4.2019 को या उसके पश्चात् वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित जल विद्युत उत्पादक स्टेशनों के मामले में, कमीशनिंग के वर्ष के लिये आधार प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय, 200 MW परियोजनाओं से कम स्टेशनों और 200 MW से अधिक स्टेशनों के लिये आयोग द्वारा स्वीकृत वास्तविक पूंजी लागत (पुनर्वासन और पुनः स्थापन कार्यों को छोड़कर) क्रमशः 4% और 2.5% पर तय किया जायेगा तथा पश्चातवर्ती वर्ष में, नीचे खण्ड (e) में उल्लिखित वृद्धि सिद्धांतों के अनुसार बढ़ाये जायेंगे।

(d) आधार वर्ष अर्थात वितीय वर्ष 2017–18 के लिये आधार O&M व्ययों, nवें वर्ष के लिये और साथ ही नियंत्रण अवधि अर्थात 2018–19 से ठीक पहले वर्ष के लिये O&M व्ययों का पश्च निर्धारण नीचे दिये गये फॉर्मूला के आधार पर अनुमोदित किया जायेगाः–

$$O\&M_n = R\&M_n + EMP_n + A\&G_n$$

जहाँ –

- O&Mn – nवें वर्ष के लिये प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय;
- EMPn – nवें वर्ष के लिये कर्मचारी लागतें;
- R&Mn – nवें वर्ष के लिये मरम्मत और अनुरक्षण लागतें;
- A&Gn – nवें वर्ष के लिये प्रशासकीय और सामान्य लागतें;

उपरोक्त घटकों की संगणना निम्नलिखित तरीके से की जायेगीः

$$EMP_n = (EMP_{n-1}) \times (1+G_n) \times (1+CP\ Inflation)$$

$$R\&M_n = K \times (GFA_{n-1}) \times (1+WP\ Inflation)$$ तथा

$$A\&G_n = (A\&G_{n-1}) \times (1+WP\ Inflation) + Provision$$

जहाँ–

- EMPn-1-(n-1) वें वर्ष के लिये कर्मचारी लागतें ;
- A & Gn-1(n-1)वें वर्ष के लिये प्रशासकीय और सामान्य लागतें;
- प्रावधानः उत्पादक कंपनी द्वारा प्रस्तावित और कुशल जांच के पश्चात आयोग द्वारा अनुमोदित पहलों या अन्य एक बारी व्ययों के लिये लागत
- 'K' आयोग द्वारा % में विनिर्दिष्ट किया जाने वाला स्थिरांक है। नियंत्रण अवधि, के प्रत्येक वर्ष हेतु k का मूल्य, उत्पादक कंपनी की फाईलिंग, मरम्मत और अनुरक्षण व्ययों की बेंच मार्किंग, पूर्व में आयोग द्वारा अनुमोदित GFA के मुकाबले अनुमोदित मरम्मत और अनुरक्षण व्यय और

कोई अन्य कारक जो आयोग द्वारा उपयुक्त समझे गये हों, के आधार पर MYT शुल्क आदेश में आयोग द्वारा अवधारित किया जायेगा।

परन्तु उन परियोजनाओं, जिनका नवीकरण और आधुनिकीकरण किया जा रहा है, के nवें वर्ष हेतु O&M व्यय आयोग द्वारा स्वीकृत पूंजी लागत के 4% से अधिक नहीं होगा।

- CP इन्फ्लेशन–तीन वर्षों से ठीक पहले के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में औसत वृद्धि है;
- GFAn-1- nवें वर्ष के लिये उत्पादन कंपनी की सकल स्थिर आस्ति;
- Gnवें वर्ष के लिये वृद्धि कारक है और यह वास्तविक प्रदर्शन के आधार पर शून्य से अधिक या कम हो सकता है। Gn का मूल्य, कंपनी की फाईलिंग, बेंच मार्किंग और कोई अन्य कारक जिन्हें आयोग उपयुक्त समझे और यह वास्तविक प्रदर्शन के आधार पर के आधार पर अतिरिक्त जनशक्ति आवश्यकता को पूरा करने के लिये MYT शुल्क आदेश में आयोग द्वारा अवधारित होगा।

  परन्तु अवधारित मरम्मत और अनुरक्षण व्ययों का उपयोग केवल मरम्मत और अनुरक्षण कार्यों पर किया जायेगा।

(e) ऊपर उप–विनियम 2(b) व 2(c) में अवधारित O&M व्ययों में नियंत्रण अवधि के लिये O&M व्ययों पर पहुंचने के लिये, पश्चातवर्ती वर्षों में वृद्धि की जायेगी जिसके लिये वर्ष विशेष (kवां वर्ष) हेतु वृद्धि कारक (EFk) लागू किया जायेगा जिसका परिकलन निम्नलिखित फॉर्मूला का प्रयोग कर किया जायेगाः

$$EF_k = 0.55xWPI_{Inflation} + 0.45xCPI_{Inflation}$$

(f) सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और ऊर्जा घटकों के साथ बहु–उद्देशीय जल विद्युत स्टेशनों के मामले में स्टेशन के ऊर्जा घटक पर प्रभारित O&M व्यय ही शुल्क के अवधारण हेतु विचारित किये जायेंगे।

49 ताप उत्पादक स्टेशनों के लिये वार्षिक स्थिर प्रभार और ऊर्जा प्रभारों का संगणन और भुगतान

(1) ताप उत्पादक स्टेशन की स्थिर लागत इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट मानकों के आधार पर और क्षमता प्रभार के अधीन मासिक आधार पर वसूली गई, वार्षिक आधार पर संगणित की जायेगी। एक उत्पादक स्टेशन हेतु देय कुल क्षमता प्रभार उत्पादक स्टेशन की क्षमता में उनके संबंधित प्रतिशत अंश/आवंटन के अनुसार इसके लाभार्थियों द्वारा शेयर किया जायेगा।

(2) एक कैलेंडर माह हेतु एक ताप उत्पादक स्टेशन को देय क्षमता प्रभार निम्नलिखित फॉर्मूला के अनुसार परिकलित किया जायेगा:

$CC_1 = (AFC/12)\ (PAF_1 / NAPAF)$ *के अधीन अधिकतम सीमा* $(AFC/12)$

$CC_2 = (AFC/6)\ (PAF_2 / NAPAF)$ *के अधीन अधिकतम सीमा* $((AFC/6) - CC_1)$

$CC_3 = (AFC/4)\ (PAF_3 / NAPAF)$ *के अधीन अधिकतम सीमा* $((AFC/4) - (CC_1+CC_2))$

$CC_4 = (AFC/3)\ (PAF_4 / NAPAF)$ *के अधीन अधिकतम सीमा* $((AFC/3) - (CC_1+CC_2+CC_3))$

$CC_5 = (AFC\ x\ 5/12)\ (PAF_5\ /\ NAPAF)$ *के अधीन अधिकतम सीमा* $((AFC\ x\ 5/12) - (CC_1+CC_2+CC_3+CC_4))$

$CC_6 = (AFC/2)(PAF_6/NAPAF)$ *के अधीन अधिकतम सीमा* $((AFC/2) - (CC_1+CC_2+CC_3+CC_4+CC_5))$

$CC_7 = (AFCx7/12)\ (PAF_7/NAPAF)$ *के अधीन अधिकतम सीमा* $((AFCx7/12) - (CC_1+CC_2+CC_3+CC_4+CC_5+CC_6))$

$CC_8 = (AFCx2/3)(PAF_8/NAPAF)$ *के अधीन अधिकतम सीमा* $((AFCx2/3) - (CC_1+CC_2+CC_3+CC_4+CC_5+CC_6+CC_7))$

$CC_9 = (AFCx3/4)\ (PAF_9/NAPAF)$ *के अधीन अधिकतम सीमा* $((AFCx3/4)) - (CC_1+CC_2+CC_3+CC_4+CC_5+CC_6+CC_7+CC_8))$

$CC_{10} = (AFCx5/6)\ (PAF_{10}/NAPAF)$ *के अधीन अधिकतम सीमा* $((AFCx5/6) - (CC_1+CC_2+CC_3+CC_4+CC_5+CC_6+CC_7+CC_8+CC_9))$

$CC_{11} = (AFCx11/12)(PAF_{11}/NAPAF)$ *के अधीन अधिकतम सीमा* $((AFCx11/12) - (CC_1+CC_2+CC_3+CC_4+CC_5+CC_6+CC_7+CC_8+CC_9+CC_{10}))$

$CC_{12} = (AFC)(PAF_Y/NAPAF)$ *के अधीन अधिकतम सीमा* $((AFC) - (CC_1+CC_2+CC_3+CC_4+CC_5+CC_6+CC_7+CC_8+CC_9+CC_{10}+CC_{11}))$

परन्तु नवीकरण और आधुनिकीकरण के कारण बंदी के अधीन यथास्थिति उत्पादक स्टेशन या उसकी यूनिट अथवा पारेषण प्रणाली या उसके किसी तत्व के मामले में उत्पादक कंपनी या पारेषण अनुज्ञापी को AFC के एक भाग की वसूली करना अनुज्ञात होगा जिसमें केवल O&M व्यय और ऋण पर ब्याज सम्मिलित होगा।

जहाँ,

AFC= वार्षिक निर्दिष्ट तय लागत, रूपये में।

NAPAF= प्रतिशत में सामान्य वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक।

PAFN= प्रतिशत संयंत्र उपलब्धता कारक महीने के अन्त तक प्राप्त किया गया।

PAFY= वर्ष के दौरान प्राप्त प्रतिशत संयंत्र उपलब्धता कारक।

CC1, CC2, CC3, CC4, CC5, CC6, CC7, CC8, CC9, CC10, CC11 और CC12 क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें और 12वें महीने की क्षमता शुल्क है।

(3) PAFM की संगणना एक विशेष महीने के अन्त तक निम्नलिखित फॉर्मूला के अनुसार की जायेगीः

$$PAFM \text{ or } PAFY = 10000 \times \sum_{i=1}^{N} DCi \; / \; \{ N \times IC \times (100 - AUX) \} \; \%$$

जहाँ,

AUX = प्रतिशत में मानकीय अनुषंगी ऊर्जा उपभोग।

DCi = दिन की समाप्ति के पश्चात राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्रमाणित, अवधि के iवें दिन के लिए, अर्थात, यथास्थिति, माह या वर्ष औसत घोषित क्षमता। (एक्स–वस मेगावॉट में)।

IC = उत्पादक स्टेशन की संस्थापित क्षमता (मेगावॉट में)

N = अवधि, अर्थात, यथास्थिति माह या वर्ष के दौरान दिनों की संख्या।

नोटः DCi और IC में वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित न की गई उत्पादक यूनिटों की क्षमता सम्मिलित नहीं होगी। संबंधित अवधि में IC में किसी परिवर्तन की दशा में इसका औसत मूल्य लिया जायेगा।

(4) एक उत्पादक स्टेशन या उसकी यूनिट को इन्सेन्टिव, विनियम 47(2) में विनिर्दिष्ट मानकीय वार्षिक संयंत्र भार कारक (NAPAF) के तदनुरूप एक्स–बस ऊर्जा से अधिक अनुसूचित उत्पादन के तदनुरूप एक्स–बस अनुसूचित ऊर्जा के लिये 50 पैसा/ kWh की समान दर से देय होगा।

(5) ऊर्जा प्रभार में प्राथमिक ईंधन लागत सम्मिलित होगी और यह माह की ऊर्जा प्रभार दर (ईंधन मूल्य समायोजन के साथ) पर एक्स ऊर्जा संयंत्र आधार पर कैलेंडर माह के दौरान ऐसे लाभार्थियों को आपूर्ति किये जाने हेतु अनुसूचित कुल ऊर्जा के लिये प्रत्येक लाभार्थी द्वारा देय होगा।

एक माह के लिये उत्पादक कंपनी को देय कुल ऊर्जा प्रभार होगा :–

(रु0 में ऊर्जा प्रभार दर/kWh) X {kWh में माह हेतु अनुसूचित ऊर्जा (एक्स–बस)}

(6) एक्स–ऊर्जा संयंत्र आधार पर रुपये प्रति kWh में ऊर्जा प्रभार दर (ECR) निम्नलिखित फार्मूला के अनुसार तीन दशमलव स्थान तक अवधारित की जायेगी :

(a) गैस और तरल ईंधन आधारित स्टेशनों के लिये

$$ECR = GHR \times LPPF \times 100 / \{CVPF \times (100 - AUX)\}$$

जहां,

AVX = प्रतिशत में मानकीय अनुषंगी ऊर्जा उपभोग

CVPF = गैस और तरल ईंधन आधारित स्टेशनों के लिये लागू kCal प्रति किलो, प्रति लीटर या प्रति मानक घन मीटर में प्राप्त प्राथमिक ईंधन का भारित औसत सकल कैलोरिफिक मूल्य।

ECR = रुपये प्रति kWh सेंट आउट में ऊर्जा प्रभार दर

GHR = kCal प्रति kWh में सकल स्टेशन हीट दर

LPPF = माह के दौरान लागू रुपये प्रति किलो, प्रति लीटर या प्रति घन मीटर में, प्राथमिक ईंधन का भारित औसत भू मूल्य।

(7) उत्पादक कंपनी, उत्पादक स्टेशन के लाभार्थियों को इन विनियमों के संलग्नक–I में विनिर्दिष्ट प्रपत्रों के अनुसार GCV के मानदंडों और ईंधन, अर्थात प्राकृतिक गैस, RLNG, तरल ईंधन, इत्यादि के मूल्य का विवरण प्रदान करेगी।

परन्तु बिल्स की प्रतियां और GCV के मानदंडो का विवरण तथा ईंधन अर्थात प्राकृतिक गैस, RLNG, तरल ईंधन इत्यादि का मूल्य उत्पादक कंपनी की वेबसाईट पर भी प्रदर्शित किये जायेंगे। यह विवरण तीन माह की अवधि के लिये मासिक आधार पर वेबसाईट पर उपलब्ध होना चाहिये।

(8) ईंधन की भू–लागत में लागू रॉयल्टी, कर, ड्यूटी, रेल/सड़क/गैस पाईप लाईन या ऊर्जा प्रभारों की संगणना के उद्देश्य से किन्हीं अन्य साधनों सहित ईंधन के ग्रेड/गुणवत्ता/केलोरिफिक मूल्य के तदनुरूप ईंधन का मूल्य सम्मिलित होगा।

50 जल विद्युत उत्पादक स्टेशनों के लिये क्षमता प्रभारों और ऊर्जा प्रभारों की संगणना और भुगतान

(1) जल विद्युत उत्पादक स्टेशन के वार्षिक स्थिर प्रभार, इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट मानकों पर आधारित, वार्षिक आधार पर संगणित किये जायेंगे और क्षमता प्रभार (इन्सेन्टिव सहित) और ऊर्जा प्रभार के अधीन मासिक आधार पर वसूल किये जायेंगे, जो उत्पादक कंपनी की विक्रय योग्य क्षमता, अर्थात गृह राज्य को निःशुल्क ऊर्जा को सम्मिलित न की हुई क्षमता में लाभर्थियों को संबंधित प्रतिशत शेयर/आवंटन के अनुपात में उनके द्वारा देय होगा।

(2) एक कैलेंडर माह हेतु एक जल विद्युत उत्पादक स्टेशन को देय क्षमता प्रभार (इन्सेन्टिव सहित) इस प्रकार होंगेः

$$AFC \times 0.5 \times NDM / NDY \times (PAFM / NAPAF) \text{ (रूपयों में)}$$

जहां,

AFC = वर्ष हेतु विनिर्दिष्ट वार्षिक स्थिर लागत, (रूपयों में)

NAPAF = प्रतिशत में मानकीय संयंत्र उपलब्धता कारक

NDM = माह में दिनों की संख्या

NDY= वर्ष में दिनों की संख्या

PAFM = माह के दौरान प्राप्त संयंत्र उपलब्धता कारक (प्रतिशत में)

(3) PAFM की संगणना निम्नलिखित फार्मूला के अनुसार की जायेगीः

$$PAFM = 10000 \times \sum_{i=1}^{N} DCi / \{ N \times IC \times (100 - AUX) \} \%$$

जहां,

AUX = प्रतिशत में मानकीय अनुषंगी ऊर्जा उपभोग

DCi = माह के iवें दिन के लिये घोषित क्षमता (एक्स बस MW में) जिसे दिन के पूरा होने के पश्चात उत्तराखण्ड राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्रमाणित रूप में कम से कम तीन घंटे के लिये स्टेशन डिलीवर कर सके।

IC = पूर्ण उत्पादक स्टेशन की संस्थपित क्षमता (MW में)

N = माह में दिनों की संख्या

(4) ऊर्जा प्रभार, संगणित ऊर्जा प्रभार दर पर, एक्स ऊर्जा संयंत्र आधार पर, कैलेंडर माह के दौरान, लाभार्थियों को आपूर्ति की गयी कुल ऊर्जा के लिये प्रत्येक लाभार्थी द्वारा देय होगा। एक माह हेतु उत्पादक कंपनी को देय कुल ऊर्जा प्रभार इस प्रकार होगाः–

(ऊर्जा प्रभार दर रू0 में/kWh) x [माह हेतु आपूर्ति की गई ऊर्जा (एक्स–बस) kWh में] x 100-FEHS)/100

(5) एक उत्पादक स्टेशन के लिये एक्स–ऊर्जा संयंत्र आधार पर रूपये प्रति KWh में ऊर्जा प्रभार दर (EcR), उप–विनियम (7) के उपबंधों के अधीन निम्नलिखित फॉर्मूला के आधार पर तीन दशमलव स्थानों तक अवधारित की जायेगीः

$$ECR = AFC \times 0.5 \times 10 / \{DE \times (100 - AUX) \times (100 - FEHS)\}$$

जहां,

DE = जल विद्युत उत्पादक स्टेशन हेतु विनिर्दिष्ट वार्षिक डिजाईन ऊर्जा MWh में

FEHS = लागू रूप में, प्रतिशत में, गृह राज्य हेतु निःशुल्क ऊर्जा।

(6) यदि एक वर्ष के दौरान एक जल विद्युत उत्पादक स्टेशन द्वारा उत्पादित वास्तविक कुल ऊर्जा, उत्पादक कंपनी के नियंत्रण से बाहर के कारणों से डिजाईन ऊर्जा से कम है, तो उत्पादक कंपनी द्वारा दायर किये गये आवेदन पर रोलिंग आधार निम्नलिखित उपचार लागू होगाः

(a) यदि ऊर्जा में घटत उत्पादक स्टेशन के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से दस वर्ष के भीतर होता है तो ऊर्जा में घटत के अगले वर्ष हेतु ECR का संगणन ऊपर उप–विनियम (5) में विनिर्दिष्ट फॉर्मूला के आधार पर इस आशोधन के साथ किया जायेगा कि उस वर्ष के लिये DE पिछले वर्ष की ऊर्जा प्रभार घटत को पूरा कर लिये जाने तक घटत के वर्ष के दौरान उत्पादित वास्तविक ऊर्जा के बराबर समझी जायेगी और उसके पश्चात सामान्य ECR लागू होगा;

यदि जल विद्युत स्टेशन से वास्तविक उत्पादन, हाईड्रोलॉजी कारक कारणों से 4 वर्ष की निरंतर अवधि हेतु डिजाईन ऊर्जा से कम है तो उत्पादक स्टेशन उस स्टेशन की डिजायन ऊर्जा के पुनरीक्षण हेतु सुसंगत हायड्रोलॉजी डाटा के साथ CEA से संपर्क कर सकता है।

(b) यदि एक उत्पादक स्टेशन के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से दस वर्ष के पश्चात ऊर्जा में कमी होती है तो निम्नलिखित लागू होगाः

स्पष्टीकरणः मान लिया जाये कि स्टेशन के लिये विनिर्दिष्ट वार्षिक डिजायन ऊर्जा (DE) DE MWh है और संबंधित (प्रथम) और अगले (द्वितीय) वित्तीय वर्षों के दौरान उत्पादित वास्तविक ऊर्जा क्रमशः A1 और A2 MWh है, और A1, DE से कम है, तब तृतीय वित्तीय वर्ष के लिये ECR का परिकलन करने के लिये ऊपर उप–विनियम (5) में फॉर्मूला में विचारित की जाने वाली डिजायन एनर्जी को DE MWh के अधिकतम और A1 MWh के न्यूनतम के अधीन (A1+A2-DE) MWh के रूप में मॉडरेटेड किया जायेगा।

(c) उत्पादित वास्तविक ऊर्जा (उदाहरणार्थ A1,A2) स्टेशन से बाहर भेजी गई शुद्ध मीटर्ड ऊर्जा को 100/(100-AUX) से गुणा कर ज्ञात किया जायेगा ।

(7) यदि एक जल विद्युत स्टेशन के लिये ऊर्जा प्रभार दर (ECR) उपरोक्त संगणना के अनुसार नब्बे पैसे प्रति kWh से अधिक होती है और वर्ष में वास्तविक विक्रय योग्य ऊर्जा {DE x (100- AUX) x (100-FEHS)/10000} MWh से अधिक होती है तो उपरोक्त से अधिक में ऊर्जा के लिये ऊर्जा प्रभार केवल नब्बे पैसा प्रति kWh पर बिल्ड किया जायेगा।

परन्तु एक वर्ष जिसमें उत्पादित कुल ऊर्जा, उत्पादक कंपनी के नियंत्रण से बाहर के कारणों से डिजायन ऊर्जा से कम थी, से अगले वर्ष में ऊर्जा प्रभार दर, पिछले वर्ष की ऊर्जा प्रभार घटत को पूरा करने के पश्चात, नब्बे पैसे प्रति kWh कर दिया जायेगा।

(8) उत्तराखण्ड राज्य भार प्रेषण केन्द्र, उपलब्ध होने के लिये घोषित सभी ऊर्जा के अधिकतम उपयोग हेतु, लाभार्थियों के साथ परामर्श कर, जल विद्युत उत्पादक स्टेशनों के लिये अनुसूची को अंतिम रूप देगा जिसे सभी लाभार्थियों के लिये, उत्पादक–स्टेशन में उनके संबंधित आवंटन के अनुपात में अनुसूचित किया जायेगा।

(9) उत्तराखण्ड राज्य भार प्रेषण केन्द्र उत्पादक स्टेशनों की घोषित क्षमता को दैनिक आधार पर प्रमाणित करेगा और वर्ष के दौरान PAFY को प्रमाणित करते हुए वर्ष के अंत में उत्पादक स्टेशन को एक प्रमाण पत्र भी जारी करेगा।

51 घोषित क्षमता का प्रदर्शन

(1) उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (विचलन निपटान तंत्र और संबंधित मामलों) विनियम, 2017 द्वारा इसे पूर्ण किया जायेगा।

52 अनुसूचीकरण

उत्पादक स्टेशन के लिये अनुसूचीकरण और प्रेषण हेतु कार्य–विधि ग्रिड संहिता में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होगी।

53 मीटरिंग और लेखाकरण

समय–समय पर संशोधित उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (राज्य ग्रिड संहिता) विनियम, 2016 और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का संस्थापन और प्रचालन) विनियम, 2006 लागू होंगे।

54 प्रभारों की बिलिंग और भुगतान

प्रभारों की बिलिंग और भुगतान मासिक आधार पर निम्नलिखित तरीके से किया जायेगा :–

(1) उत्पादक स्टेशनों के लिये वार्षिक स्थिर प्रभार, ऊर्जा प्रभार और इन्सेन्टिव की बिलिंग और भुगतान वर्ष के अंत में समायोजन के अधीन मासिक आधार पर किया जायेगा।

(2) वितरण अनुज्ञापी और ऐसे व्यक्ति जिनके पास एक वर्ष से अधिक के लिये फर्म ऊर्जा हेतु ऊर्जा क्रय करार हो, उत्पादक स्टेशन को संस्थापित क्षमता में अपने प्रतिशत शेयर, आवंटन या संविदा के अनुपात में स्थिर/क्षमता प्रभारों का भुगतान करेंगे।

(3) यदि किसी अवधि में कोई क्षमता अनध्यपेक्षित (un-requisitioned) रह जाती है तो पूर्ण क्षमता प्रभार उप–विनियम (4) के अधीन उप–विनियम (2) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा साझा किये जायेंगे।

(4) यदि किसी अवधि में कोई क्षमता अनध्यपेक्षित (un-requisitioned) रह जाती है तो उत्पादन स्टेशन राज्य से बाहर के किसी व्यक्ति सहित किसी भी व्यक्ति को विद्युत का विक्रय करने के लिये स्वतंत्र होगा और ऐसा व्यक्ति जिसे विद्युत का विक्रय किया गया है वह भी, उप–विनियम (2) में उल्लिखित व्यक्तियों के अतिरिक्त, उस के द्वारा उपयोग की गई क्षमता के अनुपात में स्थिर/क्षमता प्रभारों को साझा करेगा।

55 उत्पादक कंपनी/स्टार्ट अप ऊर्जा द्वारा विद्युत का क्रय :–

(1) कोई व्यक्ति एक उत्पादक स्टेशन स्थापित करता है, उसका रखरखाव और प्रचालन करता है तथा उसे सामान्यतया वर्ष भर अनुज्ञापी से ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात जो अनुज्ञापी का उपभोक्ता नहीं है, किसी भी उत्पादक कंपनी या वितरण अनुज्ञापी से विद्युत क्रय कर सकता है यदि उसका संयंत्र अपनी स्वयं की आवश्यकताओं का पूरा करने या स्टार्ट अप के लिये विद्युत उत्पादन करने की स्थिति में नहीं है और फल स्वरूप वितरण अनुज्ञापी से ऊर्जा की निकासी आवश्यक है।

(2) यदि संयंत्र से उत्पादित विद्युत का राज्य वितरण अनुज्ञापी की विक्रय किया जाता है तो स्टार्ट अप ऊर्जा की अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिये राज्य वितरण अनुज्ञापी से उत्पादक स्टेशन द्वारा अधिप्राप्त ऊर्जा (kWh) को वितरण अनुज्ञापी को विक्रय की गई ऊर्जा से समायोजित किया जायेगा। वितरण अनुज्ञापी, उत्पादक कंपनी द्वारा उसको विक्रय की गई शुद्ध ऊर्जा, अर्थात वितरण अनुज्ञापी को उत्पादक कंपनी द्वारा आपूर्ति की गई कुल ऊर्जा और उत्पादक कंपनी को वितरण अनुज्ञापी द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा के अंतर हेतु भुगतान करेगा।

(3) यदि संयंत्र से उत्पादित विद्युत का राज्य वितरण अनुज्ञापी से अन्य किसी तृतीय पक्ष को विक्रय किया जाता है तो राज्य वितरण अनुज्ञापी से उत्पादक कंपनी द्वारा विद्युत का ऐसा क्रय, उस माह के लिये संविदाकृत मांग के रूप में माह के दौरान अधिकतम मांग का विचार करते हुए औद्योगिक उपभोक्ता के लिये उपयुक्त ''शुल्क की दर अनुसूची'' के अधीन अस्थायी आपूर्ति हेतु आयोग द्वारा अवधारित शुल्क के अनुसार प्रभारित होगा। उस माह के लिये स्थिर/मांग प्रभार उतने दिनों के लिये देय होंगे जिस दौरान ऐसी आपूर्ति की निकासी की गई। तथापि, ऐसी कंपनी को मासिक न्यूनतम प्रभार या मासिक न्यूनतम उपभोग गारंटी प्रभार या किन्हीं अन्य प्रभारों के भुगतान से छूट प्राप्त होगी।

भाग – VI

पारेषण हेतु शुल्क

56 प्रयोज्यता

इस भाग में समावेशित विनियम, पारेषण अनुज्ञापी के साथ पारेषण प्रणाली उपयोगकर्ता द्वारा किये गये थोक ऊर्जा पारेषण करार या अन्य किसी व्यवस्था के अनुसरण में पारेषण अनुज्ञापी की राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली तक पहुंच और उसके उपयोग हेतु शुल्क के अवधारण में लागू होंगे।

परन्तु आयोग इस भाग में समावेशित मानकों में विचलन करता है या कुछ विशेष मामलों के लिये वैकल्पिक मानक तय कर सकता है जहां मामलो की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसे ऐसा उपयुक्त लगे; परन्तु आगे यह भी कि ऐसे विचलन के कारणों को लिखित में रिकॉर्ड किया जाएगा।

परन्तु आगे यह भी कि एक वर्तमान पारेषण प्रणाली के संबंध में, आयोग, ऐसी पारेषण प्रणाली के ऐतिहासिक निष्पादन को ध्यान में रखते हुए और निष्पादन में सुधार के युक्तियुक्त अवसर, यदि कोई हैं, के साथ नियंत्रण अवधि के आरम्भ में पारेषण अनुज्ञापियों द्वारा प्रस्तुत कारोबार योजना और बहु वर्षीय शुल्क याचिका के आधार पर शुल्क अवधारित करेगा।

आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 36 के परन्तुक के अधीन अनुज्ञापी द्वारा इस संबंध में किये गये आवेदन के अनुसरण में मध्यवर्ती पारेषण सुविधाओं के उपयोग हेतु दरें, प्रभार, निबंधन एवं शर्तें विनिर्दिष्ट किए जाने हेतु इस भाग में समाहित निबंधनों एवं शर्तों से दिशा निर्देशित होगा।

57 नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वित्त वर्ष हेतु वार्षिक पारेषण प्रभार

नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वित्त वर्ष हेतु वार्षिक पारेषण प्रभार, आयोग द्वारा अनुमोदित गैर शुल्क आय, अन्य कारोबार और लघु–अवधि उन्मुक्त अभिगमन प्रभारों से आय की राशि से कम कर नियंत्रण अवधि से संबंधित वित्त वर्ष हेतु पारेषण अनुज्ञापी की कुल राजस्व आवश्यकता की वसूली हेतु उपबंध करेंगे और इनका संगणन निम्नलिखित तरीको से किया जायेगाः

कुल राजस्व आवश्यकता निम्नलिखित का योग हैः

(a) प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय;

(b) पट्टा प्रभार;

(c) ऋृण पूंजी पर ब्याज और वित्त प्रभार;

(d) इक्विटी पूंजी पर रिटर्न;

(e) आय–कर;

(f) अवक्षय;

(g) कार्यशील पूंजी और पारेषण प्रणाली उपयोग कर्ताओं से जमा राशि पर ब्याज, और पारेषण अनुज्ञापी के वार्षिक पारेषण प्रभार = कुल राजस्व आवश्यकता उपरोक्तानुसार ;

घटा कर :

(h) गैर–शुल्क आय;

(i) लघु–अवधि उन्मुक्त अभिगमन प्रभार और;

(j) इन विनियमों में विनिर्दिष्ट परिधि तक अन्य कारोबार से आय।

परन्तु अधिनियम की धारा 63 के अनुसरण में और पारेषण हेतु प्रतिस्पर्धात्मक बोली के लिये दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक रूप से प्रदान पारेषण प्रणाली परियोजनाओं के मामले में, वार्षिक पारेषण प्रभार ऐसे प्रतिस्पर्धात्मक रूप से प्रदान पारेषण परियोजनाओं द्वारा उद्धरित किये गये वार्षिक पारेषण सेवा प्रभारों (TSC) के अनुसार होंगे।

पारेषण अनुज्ञापी के वार्षिक पारेषण प्रभारों का अवधारण आयोग द्वारा इन विनियमों के भाग–II के अनुसार पारेषण अनुज्ञापी द्वारा किये गये, यथास्थिति, कुल राजस्व आवश्यकता के अवधारण हेतु आवेदन या प्रतिस्पर्धात्मक रूप से प्रदान पारेषण प्रणाली परियोजना के मामले में, वार्षिक पारेषण प्रभारों को अपनाने हेतु आवेदन के आधार पर किया जायेगा।

58 पूंजी निवेश योजना

(1) पारेषण अनुज्ञापी, भार वृद्धि, पारेषण हानियों में कमी, आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार, विश्वसनीयता, मीटरिंग, संकुलता में कमी इत्यादि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये व्यापार योजना के एक भाग के रूप में नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वित्त वर्ष हेतु एक विस्तृत पूंजी निवेश योजना, वित्त पोषण योजना और भौतिक लक्ष्य दायर करेगा। व्यापार योजना के साथ पूंजी निवेश योजना, इन विनियमों के भाग–II में समावेशित विनियम 8 में विनिर्दिष्ट सभी पहलुओं का विवरण देते हुए, नियंत्रण अवधि के आरंभ में दायर की जानी चाहिये।

(2) भार वृद्धि, पारेषण हानियों में कमी, आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार, विश्वसनीयता, मीटरिंग, संकुलता में कमी, इत्यादि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण और संवर्धन पर हाथ में लिये गये निवेश हेतु निवेश योजना एक न्यूनतम लागत योजना होगी।

(3) निवेश योजना में, MYT अवधि में पारेषण अनुज्ञापी द्वारा हाथ में ली गई सभी पूंजीगत व्यय परियोजनाएँ सम्मिलित होंगी और ऐसे स्वरूप में होंगी जिसे समय–समय पर आयोग द्वारा नियत किया जाये।

(4) पारेषण अनुज्ञप्ति में आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकतम सीमा से अधिक मूल्य की सभी पूंजीगत व्यय योजनाओं के लिये आयोग का पृथक पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा।

(5) निवेश योजना के साथ ऐसी जानकारी, विवरण और दस्तावेज संलग्न किये जायेंगे जैसा कि आवश्यक हो, प्रस्तावित निवेश की आवश्यकता, विचारित विकल्प, लागत/लाभ विश्लेषण और अन्य पहलू जिनका पारेषण प्रभारों पर प्रभाव पड़ता हो, दर्शाये जायेंगे। निवेश योजना में पूंजीकरण अनुसूची और वित्त–पोषण योजना भी सम्मिलित होगी।

(6) पारेषण अनुज्ञापी, यथास्थिति MYT याचिका के साथ या वार्षिक निष्पादन समीक्षा हेतु याचिका के साथ पूंजीगत व्यय परियोजनाओं की प्रगति का विवरण तथा ऐसी अन्य जानकारी, विवरण या दस्तावेज जो ऐसी प्रगति के मूल्यांकन हेतु आयोग द्वारा अपेक्षित हों, प्रस्तुत करेगा।

(7) यदि आवश्यकता हो तो आयोग आशोधनों के साथ पारेषण अनुज्ञापी की पूंजी निवेश योजना का अनुमोदन करेगा। एक वर्ष हेतु दी गयी पारेषण अनुज्ञापी की अनुमोदित निवेश योजना के तदनुरूप लागतें उसकी राजस्व आवश्यकताओं हेतु विचारित की जायेंगी।

59 पूंजी लागत

(1) शुल्क उद्देश्यों हेतु कुशल जांच के पश्चात ही ऐसे पूंजीगत व्यय पर विचार किया जायेगा जो आयोग के अनुमोदन के अनुमोदन से उपगत हुए हों या उपगत होने के लिये प्रस्तावित हों, इसमें उविनिआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 2014 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया अनुसार पूर्व अनुमोदन से छूट प्राप्त पूंजीगत व्यय भी सम्मिलित हैं।

(2) अंतिम शुल्क, पारेषण प्रणाली के स्वीकृत पूंजीगत व्यय के आधार पर तय किया जायेगा और इसमें अधिकतम सीमा मानकों के अधीन पूंजीकृत प्रारम्भिक रिपेयर्स सम्मिलित होंगे।

(3) लेखांकन मानकों (AS 10) के उपबंध : समय–समय पर संशोधित इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया की IAS16 लेखा मानक बोर्ड द्वारा जारी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण स्थिर आस्तियों हेतु लेखांकन, पूंजीगत व्यय परियोजनाओं और/या पूंजीकृत स्थिर आस्तियों की मूल लागत के अवधारण में, इन विनियमों से असंगत न हो उस परिधि तक लागू होगी।

60 पारेषण शुल्क के अवधारण हेतु याचिका

पारेषण अनुज्ञापी, ऐसी पारेषण प्रणाली के एतिहासिक निष्पादन के अनुसार और प्रस्तुत की गई व्यापार योजना याचिका पर आयोग के आदेश के आधार पर अपनी राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली के लिये शुल्क तय करने हेतु एक आवेदन कर सकता है जो विनियम के अनुसार ऐसे प्रारूप में और ऐसी जानकारी के साथ होगा जिसे इन विनियमों के भाग–II के उपबंधों के अनुपालन में आयोग द्वारा समय–समय पर पैसा आवश्यक हो, मांगा जाए।

61 प्रचालन के मानक

समय–समय पर उनके आशोधन के अधीन, प्रचालन के मानक निम्नलिखित होंगे:–

(1) उप–स्टेशन में अनुषंगी ऊर्जा उपभोग

a. AC प्रणाली

एयर कंडीशनिंग, प्रकाश, उपभोग इत्यादि के प्रयोजन से AC उप–स्टेशन में अनुषंगी ऊर्जा उपभोग हेतु प्रभार पारेषण अनुज्ञापी द्वारा वहन किये जायेंगे और मानकीय प्रचालन तथा अनुरक्षण व्ययों में सम्मिलित किये जायेंगे तथा संचालन और रखरखाव व्यय के तहत अनुज्ञापी द्वारा अलग से दावा प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) पूर्ण पारेषण प्रभारों की वसूली हेतु लक्ष्य उपलब्धता

a) AC प्रणाली : 98%

नोटः–

(a) उपलब्धता लक्ष्य के स्तर से नीचे स्थिर प्रभारों की वसूली आनुपातिक आधार पर होगी। शून्य उपलब्धता पर कोई पारेषण प्रभार देय नहीं होंगे।

(b) लक्ष्य उपलब्धता का परिकलन इन विनियमों के परिशिष्ट–IV में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा और उत्तराखण्ड राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।

परन्तु 99.75% से अधिक की उपलब्धता हेतु कोई इन्सेन्टिव देय नहीं होगा।

परन्तु आगे यह भी कि AC प्रणाली के लिये प्रति वर्ष दो ट्रिपिंग अनुज्ञात होंगी। एक वर्ष में दो ट्रिपिंगस के पश्चात 12 घंटे की अतिरिक्त आउटेज, वास्तविक आउटेज के अतिरिक्त विचारित की जायेगीः

परन्तु यह भी कि एक उत्पादक स्टेशन से ऊर्जा के निष्क्रमण को प्रभावित करने वाले पारेषण तत्व के आउटेज के मामले में आउटेज घंटे को 2 के फैक्टर से गुणा किया जायेगा।

62 प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय

(1) नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष हेतु O&M व्यय, कुशल जांच और कोई अन्य कारकों जो आयोग द्वारा उपयुक्त समझे जायें, के अधीन आधार वर्ष तक पिछले पांच वर्षों के लिये वास्तविक O&M व्ययों को हिसाब में लेते हुए आयोग द्वारा अनुमोदित किये जायेंगे।

(2) नवें वर्ष के लिये और साथ ही नियंत्रण अवधि से ठीक पहले के वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिये O&M व्यय नीचे दिये गये फॉर्मूला के आधार पर अनुमोदित किये जायेंगे :–

O&Mn = R&Mn + EMPn + A&Gn

जहाँ –

- O&Mn – nवें वर्ष के लिये प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय;
- EMPn – nवें वर्ष के लिये कर्मचारी लागतें;
- R&Mn – nवें वर्ष के लिये मरम्मत और रखरखाव लागते;
- A&Gn – nवें वर्ष के लिये प्रशासकीय और सामान्य लागतें;

(3) उपरोक्त घटकों का संगणन निम्नलिखित तरीके से किया जायेगा;

EMPn = (EMPn-1) x (1+Gn) x (1+CPI इन्फ्लेशन)

R&Mn = K x (GFAn-1) x (1+WPI इन्फ्लेशन) और

A&Gn = (A&Gn-1) x (1+WPI इन्फ्लेशन) + प्रावधान

जहॉ,

- EMP_{n-1} – (n-1)वें वर्ष के लिये कर्मचारी लागतें;
- $A\&G_{n-1}$ – (n-1)वें वर्ष के लिये प्रशासकीय और सामान्य लागतें;
- प्रावधान : पारेषण अनुज्ञापी द्वारा प्रस्तावित और कुशल जांच के पश्चात् आयोग द्वारा अनुमोदित पहलों हेतु लागत या एक–बारी व्यय।
- 'K' आयोग द्वारा % में विनिर्दिष्ट स्थिरांक है। नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु K का मूल्य, पारेषण अनुज्ञापी की फाईलिंग, मरम्मत और रखरखाव व्ययों की बेंच मार्किंग, अनुमोदित मरम्मत और रखरखाव व्ययों के मुकाबले पूर्व में आयोग द्वारा अनुमोदित GFA और आयोग द्वारा उपयुक्त समझे गये किन्हीं अन्य कारकों पर आधारित MYT शुल्क आदेश में आयोग द्वारा अवधारित किया जायेगा।
- CPI इन्फ्लेशन – ठीक पिछले तीन वर्षों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में औसत वृद्धि है;
- WPI इन्फ्लेशन – ठीक पिछले तीन वर्षों के लिये थोक मूल्य सूचकांक (WPI) में औसत वृद्धि है;
- GFAn-1 – n-1वें वर्ष के लिये पारेषण अनुज्ञापी की सकल स्थिर आस्ति;
- Gn, n-1वें वर्ष के लिये एक वृद्धि कारक है और यह वास्तविक प्रदर्शन के आधार पर शून्य से अधिक या उससे कम हो सकता है। Gn का मूल्य, पारेषण अनुज्ञापी की फाईलिंग, बेंच–मार्किंग और अन्य किसी कारक, जिसे जिन्हें आयोग उपयुक्त समझता हो, पर आधारित

अतिरिक्त जन–शक्ति आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये MYT शुल्क आदेश में आयोग द्वारा अवधारित किया जायेगाः

परन्तु अवधारित मरम्मत और रखरखाव व्ययों का उपयोग केवल मरम्मत और रखरखाव कार्यों के लिये किया जायेगा।

63 गैर शुल्क आय

(1) आयोग द्वारा अनुमोदित पारेषण कारोबार से संबंधित गैर–शुल्क आय की राशि, पारेषण अनुज्ञापी के वार्षिक पारेषण प्रभारों के अवधारण में कुल राजस्व आवश्यकता में से घटायी जायेंगी :

परन्तु पारेषण अनुज्ञापी अपनी गैर शुल्क आय के पूर्वानुमान का पूर्ण विवरण आयोग को प्रस्तुत करेगा जो ऐसे स्वरूप में होगा जैसा समय–समय पर आयोग द्वारा नियत किया जाये।

(2) गैर शुल्क आय हेतु विचारित किये जाने वाले विभिन्न शीर्षों की सांकेतिक सूची निम्नलिखित होगीः

(a) भूमि या भवन पर किराये से आय;
(b) स्क्रैप के विक्रय से आय;
(c) संविधिक निवेशों से आय;
(d) बिलों पर विलंबित या आस्थगित भुगतान पर ब्याज;
(e) आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों की अग्रिमों पर ब्याज;
(f) स्टाफ क्वाटर्स से किराया आय;
(g) ठेकेदारों से किराया आय;
(h) ठेकेदारों और अन्यों से भाड़ा प्रभार से आय;
(i) विज्ञापनों इत्यादि से आय;
(j) विविध प्राप्तियां;
(k) भौतिक सत्यापन पर प्राप्त आधिक्य;
(l) निवेशों, सावधि–जमा व कॉल जमाओं और बैंक के अतिशेष पर ब्याज;
(m) पूर्व अवधि आय;

परन्तु पारेषण अनुज्ञापी के विनियमित कारोबार के तदनुरूप इक्विटी पर रिटर्न से किये गये निवेश से अर्जित ब्याज को गैर शुल्क आय में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

64 अन्य कारोबार से आय

जहां पारेषण अनुज्ञापी अधिनियम की धारा 41 के अधीन अन्य कारोबार में संलग्न है, वहां ऐसे अन्य कारोबार पर हुई सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागतें घटाने के पश्चात ऐसे अन्य कारोबार से प्राप्त राजस्व के एक तिहाई के बराबर राशि को, पारेषण अनुज्ञापी के वार्षिक पारेषण प्रभारों का परिकलन करते समय कुल राजस्व आवश्यकताओं में से घटाया जायेगाः

परन्तु पारेषण अनुज्ञापी, पारेषण कारोबार और अन्य कारोबार के मध्य सभी संयुक्त और सामान्य लागतों के आबंटन के लिये एक युक्तियुक्त आधार अपनायेगा तथा शुल्क के अवधारण हेतु अपने आवेदन के साथ आयोग को विधिक लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत् संपरीक्षित और प्रमाणित कर आवंटन पत्रक प्रस्तुत करेगा;

परन्तु आगे यह कि जहां ऐसे कारोबार की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागतों का कुल योग किन्हीं भी कारणों से ऐसे अन्य कारोबार से प्राप्त राजस्व से अधिक होता है, वहां ऐसे अन्य कारोबार के कारण पारेषण अनुज्ञापी की कुल राजस्व आवश्यकताओं में किसी राशि को जोड़ना अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

65 पारेषण प्रभारों का संगणन और भुगतान

(1) पारेषण अनुज्ञापी के लिये वार्षिक पारेषण प्रभार इन विनियमों में विनिर्दिष्ट मानकों के आधार पर अवधारित होगा और उपयोगकर्ताओं से पारेषण प्रभार के रूप में मासिक आधार पर वसूला जायेगा जो आवंटित पारेषण क्षमता के अनुपात में पारेषण प्रभार साझा करेंगे।

परन्तु पारेषण प्रणाली उपयोगकर्ता द्वारा देय प्रभारों में, वोल्टेज, दूरी, दिशा, प्रवाह की मात्रा और उपयोग का समय जैसे कारकों पर भी आयोग द्वारा अपने आदेश में विनिर्दिष्ट रूप से विचार किया जायेगा।

(2) एक कैलेंडर माह हेतु AC प्रणाली या उसके भाग के लिये देय पारेषण प्रभार (इन्सेन्टिव सहित) निम्नलिखित समीकरणों के अनुसार संगणित किये जायेंगे:

(a) **For TAFM ≤ 98%**
ATC X (NDM/NDY) X (TAFM/ 98%)

(b) **For TAFM: 98% < TAFM ≤ 98.5%**
ATC X (NDM/NDY) X (1)

(c) **For TAFM : 98.5% < TAFM ≤ 99.75%**
ATC X (NDM/NDY) X (TAFM/ 98.5%)

(d) **For TAFM : ≥ 99.75%**
ATC X [NDM/NDY] X [99.75%/ 98.5%]

जहाँ,

- ATC = वर्ष हेतु विनिर्दिष्ट वार्षिक पारेषण प्रभार, रूपयों में।
- NATAF = मानकीय वार्षिक पारेषण उपलब्धता कारक, प्रतिशत में।
- NDM = माह में दिनों की संख्या।
- NDY = वर्ष में दिनों की संख्या।
- TAFM = परिशिष्ट **IV** के अनुसार संगणित, माह हेतु पारेषण प्रणाली उपलब्धता कारक, प्रतिशत में।

(3) ऊपर उप–विनियम (2) के अनुसार आयोग द्वारा अवधारित रूप में मासिक पारेषण शुल्क, अपनी आवंटित क्षमताओं के अनुपात में मासिक आधार पर सभी दीर्घावधि और मध्यम–अवधि उन्मुक्त अभिगमन ग्राहकों (वर्तमान वितरण अनुज्ञापियों सहित) द्वारा साझा किया जायेगा।

(4) पारेषण अनुज्ञापी अपने TAFM के अनुमान पर आधारित एक माह के लिये पारेषण प्रभार (इन्सेन्टिव सहित) हेतु बिल जारी करेगा। यदि कोई समायोजन हैं तो वे TAFM के आधार पर किये जायेंगे जिसे सुसंगत माह के अंतिम दिन से 30 दिन के भीतर SLDC द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।

(5) पारेषण प्रभारों का परिकलन, विभिन्न NATAF वाली पारेषण प्रणाली के भाग हेतु पृथक रूप से किया जायेगा, और उसके पश्चात दीर्घावधि पारेषण ग्राहकों DICs द्वारा अपनी शेयरिंग के अनुसार संकलित किया जायेगा।

66 उन्मुक्त अभिगमन लेनदेन

उन्मुक्त अभिगमन से संबंधित सभी मामलों का निपटारा समय–समय पर लागू और संशोधित उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन हेतु निबंधन और शर्तें) विनियम, 2015 के अनुसार किया जायेगा।

67 पारेषण हानियां

राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा अवधारित और आयोग द्वारा अनुमोदित, पारेषण अनुज्ञापी की पारेषण प्रणाली में ऊर्जा हानियां, राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली के उनके उपयोग के अनुपात में पारेषण प्रणाली उपयोगकर्ताओं द्वारा वहन की जायेंगी।

परन्तु आयोग, पारेषण अनुज्ञापी को लागू बहु वर्षीय शुल्क संरचना के भाग के रूप में, विनियम 9 के अनुसार पारेषण हानियों में कमी के लिये एक ट्रेजेक्टरी नियत करेगा।

भाग – **VII**

वितरण खुदरा आपूर्ति हेतु शुल्क

68 प्रयोज्यता

(1) ये विनियम, अपने उपभोक्ताओं को वितरण अनुज्ञापी द्वारा विद्युत के खुदरा विक्रय हेतु शुल्क के अवधारण के लिये लागू होंगेः

परन्तु अपनी प्रणाली के उपयोग हेतु उन्मुक्त अभिगमन ग्राहकों द्वारा वितरण अनुज्ञापी को देय व्हीलिंग प्रभार और वितरण हानियों का अवधारण, समय–समय पर लागू और संशोधित उविनिआ राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन अधिनियम के अनुसार होगा।

69 नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वित्त वर्ष हेतु कुल राजस्व आवश्यकता

(1) नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वित्त वर्ष हेतु कुल वार्षिक व्यय और इक्विटी पर रिटर्न इन विनियमों के निबंधनों में अनुज्ञात व्यय और रिटर्न के आधार पर ज्ञात किये जायेंगे।

(2) नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वित्त वर्ष हेतु एक वितरण अनुज्ञापी की खुदरा आपूर्ति शुल्क आयोग द्वारा अनुमोदित सुसंगत वर्ष हेतु गैर शुल्क आय, उन्मुक्त अभिगमन के मामले में व्हीलिंग से आय, अन्य कारोबार से आय, प्रति सहायकी अधिभार और अतिरिक्त अधिभार से प्राप्तियों की राशि और राज्य सरकार से इस वित्तीय वर्ष हेतु यदि कोई सहायकी प्राप्त है, को कम कर नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वित्त वर्ष हेतु वितरण अनुज्ञापी के कुल राजस्व आवश्यकता की वसूली उपबंधित करेगा और इसमें निम्नलिखित का समावेश होगाः

(a) ऊर्जा क्रय की लागत;

(b) पारेषण प्रभार;

(c) प्रणाली प्रचालन प्रभार, अर्थात NLDC/RLDC/SLDC को भुगतान की गई फीस और प्रभार;

(d) ऋण पूंजी और उपभोक्ता प्रतिभूति जमा पर ब्याज और वित्त प्रभार;

(e) अवक्षय, जिसमें अमूर्त आस्तियों का परिशोधन सम्मिलित है;

(f) पट्टा प्रभार;

(g) प्रचालन और अनुरक्षण व्यय;

(h) कार्यशील पूंजी पर ब्याज; और

(i) इक्विटी पूंजी पर व्याज;

(j) आय कर;

(k) अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिये प्रावधान;

(3) विद्युत के विक्रय से शुद्ध राजस्व आवश्यकता = कुल राजस्व आवश्यकता उपरोक्तानुसार, में से निम्नलिखित घटा कर :

(a) गैर शुल्क आय;

(b) उन्मुक्त अभिगमन ग्राहकों से वसूली गयगए व्हीलिंग प्रभारों से आय;

(c) इन विनियमों में विनिर्दिष्ट परिधि तक अन्य कारोबार से आय;

(d) उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ताओं से प्रति सहायकी अधिभार से प्राप्तियां; और

(e) उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ताओं से व्हीलिंग के प्रभारों पर अतिरिक्त अधिभार से प्राप्तियां।

(f) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 65 के अधीन सहायकी से अन्य राज्य सरकार से प्राप्त कोई राजस्व सहायकी या अनुदान।

70 व्यापार योजना

(1) प्रत्येक वितरण अनुज्ञापी, समय–समय पर आयोग द्वारा नियत और इन विनियमों के भाग–II में समावेशित विनियम 8 में विनिर्दिष्ट तरीके से, पूर्ण विवरण के साथ 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2022 तक तीन (3) वित्तीय वर्षों की नियंत्रण अवधि हेतु 30 नवंबर, 2018 तक एक व्यापार योजना प्रस्तुत करेगा।

(2) व्यापार योजना में अन्य विवरणों के साथ–साथ, समय–समय पर आयोग द्वारा नियत दिशा निर्देशों और प्रारूपों के अनुसार पूंजी निवेश योजना, वित्त पोषण योजना और भौतिक लक्ष्यों का समावेश होगा।

71 पूंजी निवेश योजना

(1) वितरण अनुज्ञापी, व्यापार योजना के भाग के रूप में अनुमोदन हेतु आयोग के पास भार वृद्धि, वितरण हानियों में कमी, आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार, विश्वसनीयता, मीटरिंग, उपभोक्ता सेवाएं, इत्यादि में सुधार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये, नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वित्त वर्ष हेतु एक विस्तृत पूंजी निवेश योजना, वित्त पोषण योजना और भौतिक लक्ष्य दायर करेगा।

(2) भार वृद्धि, वितरण हानियों में कमी, आपूर्ति, विश्वसनीयता, मीटरिंग इत्यादि की गुणवत्ता में सुधार, इत्यादि की आवश्यकता को पूरा करने के लिये वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण और संवर्धन हेतु निवेश योजना, एक न्यूनतम लागत योजना होगी।

(3) निवेश योजना में, नियंत्रण अवधि में वितरण अनुज्ञापी द्वारा हाथ में ली जाने वाली सभी पूंजीगत व्यय परियोजनाएं सम्मिलित होंगी और वे ऐसे स्वरूप में होंगी जैसा समय–समय पर आयोग द्वारा नियत किया जाये।

(4) वितरण अनुज्ञप्ति में आयोग विनिर्दिष्ट अधिकतम सीमा से अधिक की सभी पूंजीगत व्यय योजनाओं के लिये आयोग की पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा।

(5) निवेश योजना के साथ ऐसी जानकारी, विवरण और दस्तावेज संलग्न किये जायेंगे जो प्रस्तावित निवेश की आवश्यकता, विचारित विकल्प, लागत/लाभ विश्लेषण और अन्य पहलू जिनका व्हीलिंग शुल्क और खुदरा शुल्कों पर प्रभाव हो, दर्शातें हुए अपेक्षित हों। निवेश योजना में पूंजीकरण अनुसूची और वित्त पोषण योजना भी सम्मिलित होगी।

(6) वितरण अनुज्ञापी, MYT के साथ या वार्षिक निष्पादन समीक्षा हेतु आवेदन के साथ पूंजीगत व्यय परियोजनाओं की प्रगति तथा साथ ही ऐसी अन्य जानकारी, विवरण या दस्तावेज प्रस्तुत करेगा जो ऐसी प्रगति के मूल्यांकन हेतु आयोग द्वारा अपेक्षित हों।

72 ऊर्जा अधिप्राप्ति दिशा–निर्देश

(1) वितरण अनुज्ञापी, नियंत्रण अवधि हेतु ऊर्जा अधिप्राप्ति योजना के अनुसार वर्ष के दौरान अपनी ऊर्जा अधिप्राप्ति का उत्तरदायित्व लेगा जिसमें इन विनियमों के अनुसार आयोग द्वारा अनुमोदित लघु–अवधि, मध्यम–अवधि और दीर्घावधि ऊर्जा अधिप्राप्ति सम्मिलित होगी।

(2) वितरण अनुज्ञापी निम्नलिखित के संबंध में इस भाग में समाहित दिशा निर्देशों को अपनायेगा;

(a) सात (7) वर्षो से अधिक (अर्थात दीर्घावधि ऊर्जा अधिप्राप्ति) की अवधि के साथ किसी व्यवस्था या करार के अधीन ऊर्जा की अधिप्राप्ति;

(b) एक (1) वर्ष से अधिक किंतु अधिकतम सात वर्ष (अर्थात मध्यम अवधि ऊर्जा अधिप्राप्ति) की अवधि के साथ किसी व्यवस्था या करार के अधीन ऊर्जा की अधिप्राप्ति; और

(c) एक (1) वर्ष के बराबर या उस से कम अवधि (अर्थात लघु अवधि ऊर्जा अधिप्राप्ति) के साथ किसी व्यवस्था या करार के अधीन ऊर्जा की अधिप्राप्ति;

73 ऊर्जा अधिप्राप्ति योजना

(1) वितरण अनुज्ञापी, अपने आपूर्ति क्षेत्र में विद्युत की मांग की सेवा हेतु ऊर्जा की अधिप्राप्ति के लिये एक योजना तैयार करेगा और उस योजना को आयोग के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगाः

परन्तु ऐसी ऊर्जा अधिप्राप्ति योजना 1 अप्रैल, 2019 से प्रारम्भ होने वाली द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिये प्रस्तुत की जायेगीः

परन्तु आगे यह भी कि व्यापार योजना के एक भाग के रूप में अनुमोदित ऊर्जा अधिप्राप्ति योजना, शुल्क के अवधारण हेतु आवेदन के साथ प्रस्तुत की जायेगी।

परन्तु वितरण अनुज्ञापी द्वारा प्रस्तुत ऊर्जा अधिप्राप्ति योजना में इन विनियमों के अनुसार ऊर्जा के दीर्घावधि, मध्यम–अवधि और लघु–अवधि ऊर्जा अधिप्राप्ति स्रोत सम्मिलित हो सकेंगे। तथापि, वितरण अनुज्ञापी को, जहां तक संभव हो, सिवाय विनियम 75 में विनिर्दिष्ट शर्तों के लघु–अवधि क्रयों के लिये योजना नहीं बनानी चाहिये और दीर्घावधि तथा मध्यम अवधि ऊर्जा अधिप्राप्तियों से अपनी आवश्यकता पूरी करने का प्रयास करना चाहिये तथा तदनुसार योजना बनानी चाहिये।

(2) वितरण अनुज्ञापी की ऊर्जा अधिप्राप्ति योजना में निम्नलिखित का समावेश होगाः

(a) नियंत्रण अवधि के दौरान आपूर्ति के क्षेत्र के भीतर प्रत्येक शुल्क श्रेणी हेतु विद्युत के लिये अबाधित मांग का मात्रात्मक पूर्वानुमान ;

(b) उत्पादन और ऊर्जा क्रय के चिह्नित स्रोतों से विद्युत आपूर्ति की मात्राओं का एक अनुमान;

(c) आधार भार और पीक भार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये ऊर्जा की उपलब्धता का एक अनुमान;

परन्तु वह अनुमान मेगा वॉट (MW) और साथ ही मिलियन यूनिट्स (MUs) दोनों में अभिव्यक्त मांग और आपूर्ति का मासिक प्राक्कलन होना चाहिये।

(d) समय–समय पर संशोधित उविनिआ (मानकों का निष्पादन) विनियम, 2007 के अनुसार आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता के संबंध में मानकों को बनाये रखना;

(e) ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता के संदर्भ में क्रियान्वित किये जाने के लिये प्रस्तावित उपाय;

(f) ऊपर (a) से (d) पर आधारित ऊर्जा उत्पादन और/या अधिप्राप्ति, जिसमें उत्पादन क्षमता का संवर्धन और आपूर्ति के नये चिन्हित स्रोत सम्मिलित हैं, के नये स्रोतों की आवश्यकता;

(g) ऊर्जा की अधिप्राप्ति हेतु योजना जिसमें ऐसी अधिप्राप्ति के लिये मात्राएं और लागत अनुमान सम्मिलित है;

परन्तु दीर्घावधि अधिप्राप्ति योजना में समाहित पूर्वानुमान/अनुमान, अधिप्राप्त की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा (विद्युत की मिलियन यूनिट्स में) और अधिकतम मांग (MW/MVA में) के संबंध में पीक और ऑफ–पीक अवधि पृथक रूप से उल्लिखित की जायेगी।

परन्तु आगे यह कि पूर्वानुमान/अनुमान, नियंत्रण अवधि के प्रत्येक माह हेतु तैयार किये जायेंगें;

परन्तु यह भी कि दीर्घावधि अधिप्राप्ति योजना, आपूर्ति के विभिन्न स्रोतों की लागतों के संबंध में उपलब्ध जानकारी के आधार पर लागत–प्रभावी योजना होगी।

(h) प्रस्तावित लघु–अवधि ऊर्जा अधिप्राप्ति इन विनियमों के विनियम 75 के अनुसार होगी।

(3) पूर्वानुमान/अनुमान पूर्व डाटा और भविष्य के संबंध में युक्तियुक्त धारणाओं पर आधारित पूर्वानुमान तकनीकों का उपयोग कर तैयार किये जायेंगे।

परन्तु पूर्वानुमान/अनुमान हेतु ये कारक अमल में लाये जायेंगे जैसे–कुल आर्थिक संवृद्धि, विद्युत–सघन क्षेत्रों की उपभोग संवृद्धि, विद्युत उद्योग में प्रतिस्पर्धा का आगमन, कैप्टिव ऊर्जा में चलन, हानि घटाने हेतु की गयई पहलों का प्रभाव, उत्पादक स्टेशन संयंत्र भार कारकों में सुधार और अन्य सुसंगत कारक।

(4) जहां आयोग ने वितरण अनुज्ञापी के क्षेत्र में विद्युत के कुल उपभोग का प्रतिशत सह–उत्पादन और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से क्रय करना नियत किया है, वहां ऐसे वितरण अनुज्ञापी की ऊर्जा अधिप्राप्ति योजना में कम से कम नियत स्तर तक ऐसे स्रोतों से अधिप्राप्ति की योजना सम्मिलित होगी।

(5) वितरण अनुज्ञापी के लिये, राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली हेतु पारेषण प्रणाली योजना के साथ अपनी सुसंगतता के सत्यापन हेतु राज्य पारेषण युटिलिटी को ऊर्जा अधिप्राप्ति योजना की एक प्रति अग्रसरित करना आवश्यक होगा;

परन्तु वितरण अनुज्ञापी, पारेषण प्रणाली योजना के साथ ऐसी योजना की सुसंगत्ता सुनिश्चित करने के लिये ऊर्जा अधिप्राप्ति योजना की तैयारी के समय पर राज्य पारेषण युटिलिटी से भी परामर्श कर सकेगा।

(6) वितरण अनुज्ञापी, ऊपर उप–विनियम (1) के अधीन अधिप्राप्ति योजना की प्रस्तुति के समय पर उसको अतिरिक्त जानकारी पहले से ज्ञात या उपलब्ध न होने के फल–स्वरूप वार्षिक निष्पादन समीक्षा हेतु आवेदन के भाग के रूप में नियंत्रण अवधि के शेष भाग के लिये ऊर्जा अधिप्राप्ति योजना में आशोधन हेतु आवेदन करेगाः

(7) आयोग, उप–विनियम (1) के अधीन अधिप्राप्ति योजना की प्रस्तुति के समय पर आयोग को अतिरिक्त जानकारी पहले से ज्ञात या उपलब्ध न होने के फलस्वरूप, यदि वह ऐसा समझे, तो स्वप्रेरणा आधार पर या किसी हितबद्ध अथवा प्रभावित व्यक्ति द्वारा किये गये आवेदन पर, वार्षिक निष्पादन समीक्षा के भाग के रूप में नियंत्रण अवधि के शेष भाग हेतु वितरण अनुज्ञापी की अधिप्राप्ति योजना का आशोधन कर सकता है;

(8) आयोग, वितरण अनुज्ञापी की ऊर्जा अधिप्राप्ति योजना, या उसके किसी प्रस्तावित आशोधन की समीक्षा करेगा, और ऐसी समीक्षा पूरी हो जाने पर आयोग–

(a) जैसा कि उपयुक्त समझे, ऐसे आशोधनों और शर्तों के अधीन ऊर्जा अधिप्राप्ति योजना, या उसके आशोधनों को अनुमोदित करते हुए आदेश जारी करेगा; या

(b) यदि ऐसी योजना इस भाग मे समाहित दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं है तो कारण अभिलिखित कर ऊर्जा अधिप्राप्ति योजना या उसके आशोधन हेतु आवेदन को अस्वीकार करेगा और वितरण अनुज्ञापी को, आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रतिफल पर आधारित एक संशोधित योजना प्रस्तुत करने का निर्देश देगाः

परन्तु वितरण अनुज्ञापी को उसकी ऊर्जा अधिप्राप्ति योजना के अस्वीकार किये जाने से पहले युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जायेगा।

74 ऊर्जा क्रय करार/व्यवस्था का अनुमोदन

(1) इन विनियमों के प्रभावी होने के पश्चात उत्पादक कंपनी से या अनुज्ञापी से या आपूर्ति के अन्य स्रोत से वितरण अनुज्ञापी द्वारा ऊर्जा अधिप्राप्ति हेतु प्रत्येक करार या व्यवस्था केवल आयोग के पूर्वानुमोदन से ही प्रभावी होंगे;

परन्तु आपाती आधार पर उत्पादक कंपनी से या अनुज्ञापी से या आपूर्ति के किसी अन्य स्रोत से वितरण अनुज्ञापी द्वारा ऊर्जा की अधिप्राप्ति हेतु किसी करार या व्यवस्था के संबंध में आयोग की पूर्वानुमति आवश्यक होगीः

परन्तु आगे यह कि ऊर्जा अधिप्राप्ति हेतु वर्तमान व्यवस्था या करार में किसी परिवर्तन के लिये आयोग की पूर्वानुमति की आवश्यकता होगी, चाहे ऐसा वर्तमान करार/व्यवस्था आयोग द्वारा अनुमोदित की गई थी या नहीं।

(2) आयोग, वितरण अनुज्ञापी की अनुमोदित ऊर्जा अधिप्राप्ति योजना और निम्नलिखित कारकों को दृष्टिगत रखते हुए ऊर्जा अधिप्राप्ति करार/व्यवस्था के अनुमोदन हेतु आवेदन की समीक्षा करेगाः

(a) अनुमोदित ऊर्जा अधिप्राप्ति योजना के अधीन ऊर्जा अधिप्राप्ति के लिये आवश्यकता;

(b) केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार बोली की पारदर्शी प्रक्रिया का अनुसरण;

(c) जहां ऊपर (b) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी है, वहां इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट शुल्क के अवधारण हेतु निबंधन और शर्तों का अनुपालन;

(d) करार/व्यवस्था के अधीन अधिप्राप्त ऊर्जा की आपूर्ति और निष्क्रमण हेतु राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली में क्षमता की उपलब्धता (या अपेक्षित उपलब्धता)।

(e) ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत के सह–उत्पादन और उत्पादन को प्रोन्नत करने की आवश्यकता।

75 अतिरिक्त लघु–अवधि ऊर्जा अधिप्राप्ति

(1) वितरण अनुज्ञापी वर्ष के दौरान इन विनियमों के अनुसार आयोग द्वारा अनुमोदित नियंत्रण अवधि के लिये ऊर्जा अधिप्राप्ति योजना से अधिक अतिरिक्त लघु–अवधि ऊर्जा अधिप्राप्ति का उत्तरदायित्व ले सकता है।

(2) जहां वित्त वर्ष के दौरान आपूर्ति के किसी अनुमोदित स्रोत से विद्युत की आपूर्ति में कमी या विफलता रही है, वहां वितरण अनुज्ञापी ऊर्जा की अधिप्राप्ति हेतु अतिरिक्त लघु–अवधि व्यवस्था या करार कर सकता है (लघु अवधि से अभिप्राय है एक वर्ष की अवधि तक);

परन्तु यदि कुल ऊर्जा क्रय लागत या छः माह के किसी ब्लॉक की मात्रा जिसमें ऐसी लघु–अवधि ऊर्जा अधिप्राप्ति सम्मिलित है, ऊर्जा क्रय लागत या छः माह के संबंधित ब्लॉक हेतु आयोग द्वारा अनुमोदित मात्रा के 105% से अधिक होती है तो वितरण अनुज्ञापी आयोग का पूर्वानुमोदन प्राप्त करेगा;

(3) जहां वितरण अनुज्ञापी ने आपूर्ति का एक नया लघु–अवधि स्रोत चिन्हित किया है जिससे ऐसे शुल्क पर ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है जिससे इसकी अनुमोदित कुल ऊर्जा अधिप्राप्ति लागत कम होती है तो वितरण अनुज्ञापी, आयोग की पूर्वानुमति के बिना ऐसे आपूर्तिकर्ता के साथ एक लघु–अवधि ऊर्जा अधिप्राप्ति करार या व्यवस्था कर सकेगा।

(4) वितरण अनुज्ञापी के समक्ष यदि ऐसी आपातकालीन स्थितियां आती है जिससे वितरण प्रणाली के स्थायित्व को खतरा पैदा हो या ग्रिड की विफलता को रोकने के लिये राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा ऐसा निर्देश दिया जाये तो वितरण अनुज्ञापी आयोग की पूर्वानुमति के बिना ऊर्जा की अधिप्राप्ति हेतु एक लघु–अवधि व्यवस्था या करार कर सकता है।

(5) लघु–अवधि ऊर्जा अधिप्राप्ति हेतु एक करार या व्यवस्था, जिस के लिये पूर्वानुमति आवश्यक नहीं है, करने की तिथि से पन्द्रह (15) दिन पहले वितरण अनुज्ञापी आयोग को ऐसे करार या व्यवस्था का पूर्ण विवरण प्रदान करेगा जिसमें मात्रा, शुल्क परिकलन, अवधि, आपूर्तिकर्ता का विवरण, आपूर्तिकर्ता के चयन का तरीका और ऐसे अन्य विवरण जो ऐसे करार/व्यवस्था के संबंध में यह मूल्यांकन करने के लिये आवश्यक हों कि विनियम में विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन किया गया हैः

परन्तु जहां आयोग के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि वितरण अनुज्ञापी द्वारा की गई व्यवस्था या करार ऊपर उप–विनियम (2) से उप–विनियम (4) तक में विनिर्दिष्ट मानदंड को पूरा नहीं करते हैं वहां आयोग, उससे उत्पन्न अनुमोदित स्तर के ऊपर ऊर्जा अधिप्राप्ति की कुल लागत (अतिरिक्त राजस्व का शुद्ध) में वृद्धि अथवा वितरण अनुज्ञापी की उपगत कोई हानि जो फलस्वरूप उपभोक्ताओं के ऊपर डाली जा रही हो, को नामंजूर कर सकेगा।

(6) ऊपर उप–विनियम (2) से उप–विनियम (4) में विनिर्दिष्ट मामलों के अधीन जहां वितरण अनुज्ञापी आयोग के अनुमोदन के बिना लघु–अवधि ऊर्जा अधिप्राप्ति हेतु करार या व्यवस्था करता है, वहां उससे उत्पन्न अनुमोदित स्तर के ऊपर ऊर्जा अधिप्राप्ति की कुल लागत (अतिरिक्त राजस्व का शुद्ध) में किसी वृद्धि को निष्पादन में ऐसा परिवर्तन समझा जायेगा जो संपूर्ण रूप से नियंत्रणीय कारकों के कारण हो।

76 वितरण खुदरा आपूर्ति शुल्क के अवधारण हेतु याचिका

(1) एक वितरण अनुज्ञापी इन विनियमों के भाग–II के उपबंधों का अनुपालन करते हुए वितरण के खुदरा शुल्क के अवधारण हेतु याचिका करेगा।

(2) आगामी वर्ष के लिये शुल्क के अवधारण हेतु वितरण अनुज्ञापी द्वारा दायर की गई शुल्क याचिका में, वितरण अनुज्ञापी की व्यापार योजना और इन विनियमों मे समाहित सिद्धातों पर आधारित आधार वर्ष हेतु डाटा, वर्तमान वर्ष के लिये वास्तविक और अनुमानित डाटा, और नियंत्रण अवधि के सभी वर्षों के लिये पूर्वानुमान और लक्ष्यों का समावेश होगा।

(3) आयोग, इन विनियमों में विनिर्दिष्ट नियंत्रण अवधि हेतु, इन विनियमों में नियत किये गये MYT सिद्धांतों पर वितरण अनुज्ञापी की कुल राजस्व आवश्यकता का निर्धारण करेगा।

77 विक्रय पूर्वानुमान

(1) मौसमी परिवर्तनों की पकड़ के महत्व का विचार करते हुए नियंत्रण अवधि के लिये मासिक विक्रय पूर्वानुमान, जहां तक संभव हो पिछले चलनों पर आधारित, प्रत्येक उपभोक्ता श्रेणी/उप–श्रेणी के संबंध में और ऐसी उपभोक्ता श्रेणी/उप–श्रेणी के भीतर शुल्क स्लैब के लिये की जायेगी तथा व्यापार योजना के साथ अनुमोदन हेतु आयोग को प्रस्तुत की जायेगी। पिछले डाटा में किसी असामान्यता को दूर करते हुए, उपभोक्ताओं की संख्या, संयोजित भार और ऊर्जा उपभोग के संबंध में ज्ञात और मापीय परिवर्तनों का प्रभाव प्रक्षेपित करने के लिये उपयुक्त समायोजन किये जायेंगे;

परन्तु जहां आयोग ने किसी विशेष शुल्क श्रेणी के पूर्वानुमान हेतु कार्यविधि नियत कर रखी है, वहां वितरण अनुज्ञापी ऐसी शुल्क श्रेणी हेतु विक्रय पूर्वानुमान विकसित करने में ऐसी कार्यविधि को सम्मिलित करेगा।

(2) विक्रय पूर्वानुमान, इन विनियमों के अधीन व्यापार योजना के भाग के रूप में प्रस्तुत दीर्घावधि ऊर्जा अधिप्राप्ति योजना के एक भाग के रूप में तैयार भार पूर्वानुमान से सुसंगत होगा और पूर्व डाटा तथा भविष्य के संबंध में युक्तियुक्त धारणाओं पर आधारित होगा।

(3) आयोग, उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि, पिछले वर्षों में संयोजित भार और ऊर्जा उपभोग तथा अगले वर्ष में अपेक्षित वृद्धि और कोई अन्य कारक जिसे आयोग सुसंगत समझे, के आधार पर युक्तियुक्तता के पूर्वानुमान की जांच करेगा और ऐसे आशोधनों, जिन्हें वह उचित समझे, के साथ उपभोक्ताओं को विद्युत का प्रक्षेपित विक्रय अनुमोदित करेगा।

78 उपभोक्ताओं को विद्युत के विक्रय का अनुश्रवण

(1) वितरण अनुज्ञापी, अनुमोदित विक्रय पूर्वानुमान के आधार पर वर्ष के दौरान मांग में मौसमी परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों को मासिक विक्रय की आवश्यकता ज्ञात करेगा।

(2) वितरण अनुज्ञापी विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों को विक्रय का अनुश्रवण करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उपभोक्ता की किसी श्रेणी को विक्रय अनुचित रूप से प्रतिबंधित न हो।

(3) वितरण अनुज्ञापी, विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों को विद्युत के विक्रय के संबंध में आयोग के समक्ष मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

79 वितरण हानियाँ

(1) वितरण प्रणाली में ऊर्जा हानि से वितरण हानि अभिप्रेत होगा।

(2) एक विशेष वोल्टेज स्तर तक और उस से ऊपर वितरण हानि का परिकलन वितरण प्रणाली में आरम्भ में इन्जेक्टेड ऊर्जा तथा उस स्तर तक विक्रय की गई ऊर्जा और अगले वोल्टेज स्तर तक भेजी की गई ऊर्जा के योग के मध्य अंतर के रूप में किया जायेगा।

एक विशेष वोल्टेज स्तर तक और उस से ऊपर % वितरण हानि, वितरण प्रणाली में आरम्भ में इन्जेक्टेड ऊर्जा के प्रतिशत के रूप में उस स्तर तक वितरण हानि के रूप में अभिव्यक्त की जायेगी।

(3) आयोग सर्किल–वार/डिवीजन–वार और/या माह–वार वितरण हानि परिकलन पर जानकारी मांग सकता है।

(4) वितरण हानि परिकलनों को सिद्ध करने के लिये आयोग वितरण अनुज्ञापी से उचित और विश्वसनीय ऊर्जा संपरीक्षित करवाने के लिये कह सकता है।

(5) वितरण अनुज्ञापी, आपूर्ति की वोल्टेज–वार लागत के अवधारण हेतु आगे नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिये वोल्टेज–वार हानियां भी प्रस्तावित करेगा। आयोग, नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु वितरण हानि ट्रेजेक्टरी के लिये अनुज्ञापी द्वारा की गई फाईलिंग्स की जांच करेगा और जैसे आवश्यक समझे वैसे आशोधन के साथ अनुमोदित करेगा।

(6) आयोग वितरण अनुज्ञापी से, तकनीकी हानि (अर्थात लाईनों, उप–स्टेशनों और उपकरण में ओहमिक/कोर हानि) तथा वाणिज्यिक हानि (अर्थात मीटरिंग अशुद्धता/अपर्याप्तता, ऊर्जा की चोरी, इत्यादि के कारण अलेखीकृत ऊर्जा) को पृथक करते हुए वोल्टेज–वार हानियों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करने के लिये कह सकता है। आयोग, वितरण हानि (तकनीकी हानि और वाणिज्यिक हानि को पृथक कर) के संबंध में वितरण अनुज्ञापी द्वारा की गई फाईलिंग्स की जांच करेगा और जैसे आवश्यक समझे वैसे आशोधन के साथ उसे अनुमोदित करेगा।

(7) आयोग, दक्षता के स्वीकार्य मानकों तक वितरण हानि स्तरों (तकनीकी और वाणिज्यिक दोनों) को क्रमिक रूप से नीचे लाने के लिये, हानि में कमी हेतु नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिये दीर्घावधि और लघु–अवधि लक्ष्य तय कर सकता है।

80 ऊर्जा की उपलब्धता

(1) शुल्क वर्ष के लिये, ऊर्जा की मासिक उपलब्धता निम्नलिखित के आधार पर सुनिश्चित की जायेगी:

i. केन्द्र/राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशनों से

a) केन्द्र/राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशनों में आवंटित और अनावंटित क्षमता में वितरण अनुज्ञापी का शेयर;

b) उत्पादकों द्वारा प्रदान प्रक्षेपणों और उत्पादकों से आपूर्ति के ऐतिहासिक डाटा पर आधारित प्रत्येक उत्पादक स्टेशन से ऊर्जा की संभावित उपलब्धता; या

c) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निर्धारित स्टेशन के लिये PLF/उत्पादन लक्ष्य; या

d) किसी नियोजित अनुरक्षण या बंदी के लिये समायोजित स्टेशन का ऐतिहासिक निष्पादन।

ii. अन्य स्रोतों से :

a) किसी अन्य वितरण अनुज्ञापी, बोर्ड या ट्रेडिंग अनुज्ञापी के साथ वितरण अनुज्ञापी की बैंकिंग व्यवस्था।

b) ऊर्जा के क्रय के संबंध मे किसी वितरण अनुज्ञापी, बोर्ड, उत्पादक कंपनी या ट्रेडिंग अनुज्ञापी के साथ वितरण अनुज्ञापी का करार।

(2) वितरण अनुज्ञापी, आयोग द्वारा अपने समय–समय पर संशोधित उविनिआ (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादक स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एवं अन्य निबंधन) विनियम, 2013 में विनिर्दिष्ट नवीकरणीय क्रय दायित्व की अपनी वार्षिक आवश्यकता और नियंत्रण अवधि हेतु अपने RPO का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उपाय भी सम्मिलित करेगा।

81 ऊर्जा क्रय लागत

(1) आयोग द्वारा अनुमोदित ऊर्जा क्रय/बैकिंग/ट्रेडिंग करारों का, वितरण अनुज्ञापी की ऊर्जा क्रय लागत के अवधारण हेतु विचार किया जायेगा।

(2) नियंत्रण अवधि हेतु वितरण अनुज्ञापी की अपने उपभोक्ताओं को विक्रय किए जाने हेतु ऊर्जा क्रय की आवश्यकता, नियंत्रण अवधि हेतु विक्रय पूर्वानुमान, पारेषण हानि और वितरण हानि स्तर के लक्ष्य के आधार पर अनुमानित की जायेगी।

(3) नियंत्रण अवधि के लिये राज्य उत्पादक स्टेशनों से अधिप्राप्त विद्युत की लागत ऐसे उत्पादक स्टेशनों से विद्युत के क्रय हेतु आयोग द्वारा अनुमोदित दरों के आधार पर अवधारित होगी और केन्द्रीय क्षेत्र के उत्पादक स्टेशन से अधिप्राप्त विद्युत का अवधारण, ऐसे उत्पादक स्टेशनों के लिये केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित शुल्कों के आधार पर किया जायेगा। अन्य स्रोतों से ऊर्जा की लागत आयोग द्वारा अनुमोदित ऊर्जा क्रय/बैंकिंग/ट्रेडिंग करारों के अनुसार होगी।

(4) नियंत्रण अवधि के अधीन विभिन्न वर्षों के लिये वितरण अनुज्ञापी की ऊर्जा क्रय लागत योग्यता क्रम सिद्धांत के आधार पर आंकलित की जायेगी। सभी ऊर्जा क्रय लागतों को वैध समझा जायेगा जब

तक यह स्थापित नहीं हो जाता कि योग्यता क्रम सिद्धांत का भौतिक रूप से उल्लंघन हुआ है या ऊर्जा का क्रय अनुचित दरों पर हुआ है।

(5) नियंत्रण अवधि के विभिन्न वर्षों के लिये वितरण अनुज्ञापी की कुल ऊर्जा क्रय लागत अवधारित करने के लिये आयोग वितरण अनुज्ञापी के नवीकरणीय क्रय दायित्व और सुसंगत विनियमों/आदेशों के अधीन विभिन्न प्रकार के नवीकरणीय स्रोतों हेतु आयोग द्वारा अवधारित शुल्कों का भी विचार करेगा।

(6) जबकि अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभारों का प्राक्कलन केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के आदेशों के अनुसार किया जायेगा, वहीं राज्यान्तर्गत पारेषण प्रभार का प्राक्कलन समय–समय पर आयोग द्वारा अनुमोदित पारेषण शुल्कों के अनुसार किया जायेगा। इसके अतिरिक्त भार प्रेषण सेवाओं का उपयोग करने के लिये प्रणाली प्रचालकों (राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र, क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र, राज्य भार प्रेषण केन्द्र इत्यादि) को देय भार प्रेषण प्रभारों का प्राक्कलन समय–समय पर उपयुक्त आयोग द्वारा अनुमोदित फीस एवं प्रभारों के अनुसार किया जायेगा। राज्य से बाहर विक्रय की गई ऊर्जा के लिये भुगतान किये गये SLDC प्रभारों का शुल्क अवधारण हेतु विचार नहीं किया जायेगा।

82 ऊर्जा क्रय में परिवर्तन

(1) आयोग द्वारा अनुमोदित ऊर्जा की आवश्यकता से अधिक वितरण अनुज्ञापी द्वारा क्रय की गई ऊर्जा या किसी भी वर्ष में क्रय की ऊर्जा के मिश्रण में परिवर्तन पर आयोग द्वारा विचार किया जायेगा यदि ऐसा वितरण अनुज्ञापी के युक्तियुक्त नियंत्रण के बाहर के कारणों से हुआ हो और इसके फलस्वरूप हुए वित्तीय हानि या लाभ अगले वर्ष के शुल्क में समायोजित किये जायेंगे।

83 ईंधन प्रभार समायोजन (एफ.सी.ए.)

(1) FCA प्रभार, उपभोक्ता को कोई छूट दिये बिना वितरण अनुज्ञापी के संपूर्ण विक्रय पर लागू होंगे।

(2) FCA प्रभारों को, इन विनियमों के अनुसार, स्वयं के उत्पादक स्टेशनों से उत्पादित ऊर्जा से संबंधित ईंधन लागतों में और ऐसी लागतें उपगत होने के पश्चात किसी माह के दौरान अधिप्राप्त ऊर्जा में वास्तविक परिवर्तन के आधार पर, संगणित और प्रभारित किया जायेगा तथा ईंधन लागतों में अनुमानित या अपेक्षित परिवर्तनों के आधार पर संगणित नहीं किया जायेगा।

(3) तिमाही के लिये FCA प्रभार तिमाही समाप्ति के 15 दिन के भीतर संगणित किये जायेंगे और दूसरी तिमाही के ही पहले माह से तिमाही हेतु, आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना और कम या अधिक वसूली को अगली तिमाही हेतु अग्रेनीत किया जायेगा।

(4) वितरण अनुज्ञापी, आयोग के कार्योत्तर अनुमोदन के लिये तिमाही के अंत के 30 दिनों के भीतर आयोग द्वारा सत्यापन हेतु अपेक्षित विस्तृत संगणन और समर्थक दस्तावेजों के साथ, सम्पूर्ण तिमाही

के लिये सभी उपभोक्ताओं को प्रभारित या वापस किये जाने वाले प्रभार और उपगत हुई ईंधन लागत का विवरण प्रस्तुत करेगा।

(5) आयोग FCA संगणनाओं की जांच करेगा और यदि आवश्यक हो तो द्वितीय तिमाही के अंत से पहले इसे आशोधनों के साथ अनुमोदित करेगा। वितरण अनुज्ञापी द्वारा प्रभारित या लौटाये गये FCA और आयोग द्वारा अनुमोदित FCA में किसी भी परिवर्तन को आगे की तिमाही की FCA संगणनाओं में समायोजित किया जायेगा।

(6) यदि वितरण अनुज्ञापी, नियमित रूप से उपभोक्ताओं पर अनुचित FCA प्रभारित करने का दोषी पाया जाता है तो आयोग उन अनुचित प्रभारों पर ब्याज के साथ उनका समायोजन करेगा।

(7) वितरण अनुज्ञापी, शुल्क डिजाईन में एक घटक के रूप में FCA प्रभार सम्मिलित करने के लिये बिलिंग और IT प्रणाली का उच्चीकरण करेगा।

(8) FCA के परिकलन हेतु निम्नलिखित फॉर्मूला होगाः

FCA (करोड़ रूपये) = C+B,

जहां,

FCA = ईंधन लागत समायोजन

C= ईंधन लागत में परिवर्तन के कारण स्वयं के उत्पादन और ऊर्जा क्रय की लागत में परिवर्तन,

B = पिछली तिमाही हेतु अधिक वसूली/कम वसूली के लिये समायोजन कारक

C (करोड़ रूपये) = $A_{FC, Gen}$ +$AF_{C, PP}$,

जहांः

$A_{FC, Gen}$: स्वयं के उत्पादन की ईंधन लागत में परिवर्तन। इसका संगणन आयोग के मानकों और निर्देशों के आधार पर किया जायेगा जिनमें ताप दर, अनुषंगी उपभोग, उत्पादन और ऊर्जा क्रय मिश्रण, इत्यादि सम्मिलित है।

$A_{FC, PP}$: अन्य स्रोतों से अधिप्राप्त बिजली के ऊर्जा प्रभारों में परिवर्तन। यह परिवर्तन प्रयोज्य मानकों के अधीन उस परिधि तक अनुज्ञात होगा जिस तक यह इन विनियमों में निर्धारित मानदंड और प्रचलित शुल्क आदेश को संतुष्ट करता हो।

(9) किसी भी श्रेणी के लिये FCA प्रभार, संबंधित श्रेणी के लिये आधार बिजली प्रभार के 10% या ऐसी अन्य अधिकतम सीमा जो समय–समय पर आयोग द्वारा नियत की जाये, से अधिक नहीं होंगे;

परन्तु अधिकतम सीमा से अधिक कोई FCA प्रभार वितरण अनुज्ञापी द्वारा अग्रेतीत किये जायेंगे और ऐसी भविष्य अवधि में वसूल किये जायेंगे जो आयोग द्वारा निर्देशित की जाये।

(10) FCA प्रभार का परिकलन निम्नलिखित फॉर्मूला के अनुसार किया जायेगाः

औसत FCA प्रभार (रू0/kWh) = (FCA/(शुल्क आदेश में आयोग द्वारा अनुमोदित अगली तिमाही के लिये राज्य के भीतर अनुमानित विक्रय) *10

(11) श्रेणीवार FCA प्रभार (रू0/kWh) निम्नलिखित फॉर्मूला के अनुसार परिकलित किया जायेगाः

वर्ष के लिये शुल्क आदेश में अनुमोदित उपभोक्ता श्रेणी (रू0/kWh में)की औसत बिलिंग दर (ABC)/वर्ष शुल्क आदेश में अनुमोदित वितरण अनुज्ञापी की औसत बिलिंग दर (ABR) (रू0 /KWh में) x औसत FCA (रू0/kWh) में।

84 प्रचालन और अनुरक्षण व्यय

(1) नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष हेतु O&M व्यय, कुशल जांच और कोई अन्य कारक जिन्हें आयोग उपयुक्त समझे, के अधीन, आधार वर्ष तक पिछले पांच वर्षों हेतु वास्तविक O&M व्ययों को दृष्टिगत रखते हुए आयोग द्वारा अनुमोदित किये जायेंगे।

(2) nवें वर्ष के लिये और साथ ही नियंत्रण अवधि से ठीक पहले वर्ष अर्थात 2018–19 के लिये O&M व्यय निम्नलिखित फॉर्मूला के आधार पर अनुमोदित किये जायेंगेः

O&Mn = R&Mn+EMPn+A&Gn

जहां–

- O&Mn = nवें वर्ष के लिये प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय;
- EMPn = nवें वर्ष के लिये कर्मचारी लागतें;
- R&Mn = nवें वर्ष के लिये मरम्मत और रखरखाव लागतें;
- A&Gn = nवें वर्ष के लिये प्रशासकीय और सामान्य लागतें;

(3) उपरोक्त घटकों को निम्नांकित विनिर्दिष्ट तरीके से संगणित किया जायेगाः

EMPn = (EMPn-1) x (1+Gn) x (1+CPI इन्फ्लेशन)

R&Mn = K x (GFAn-1) x (1+WPI इन्फ्लेशन) और

A&Gn = (A&Gn-1) x (1+WPI इन्फ्लेशन)+प्रावधान

जहां–

- EMPn-1 = (n-1)वें वर्ष के लिये कर्मचारी लागतें;
- A&Gn-1 = (n-1)वें वर्ष के लिये प्रशासकीय और सामान्य लागतें;

प्रावधानः वितरण अनुज्ञापी द्वारा प्रस्तावित और आयोग द्वारा प्रमाणीकृत पहलों या अन्य एकबारी व्ययों के लिये लागत।

- 'K' % में आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट स्थिरांक है। नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु K का मूल्य, अनुज्ञापी की फाईलिंग, मरम्मत और रखरखाव व्ययों की बेंचमार्किंग, अनुमोदित मरम्मत और रखरखाव व्ययों के मुकाबले पूर्व मे आयोग द्वारा अनुमोदित GFA और कोई अन्य कारक जो आयोग द्वारा उपयुक्त समझे जायें, पर आयोग के आदेश द्वारा अवधारित MYT शुल्क आदेश के आधार पर किया जायेगा;

- CPI इन्फ्लेशन– ठीक पिछले तीन वर्षों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में औसत वृद्धि है;

- WPI इन्फलेशन – ठीक पिछले तीन वर्षों के लिये थोक मूल्य सूचकांक (WPI) में औसत वृद्धि है;

- GFAn-1 – nवें वर्ष के लिये वितरण अनुज्ञापी की सकल स्थिर आस्ति;

- Gn nवें वर्ष के लिये एक वृद्धि कारक है और यह वास्तविक प्रदर्शन के आधार पर शून्य से अधिक या उससे कम हो सकता है। Gn का मूल्य अनुज्ञापी की फाईलिंग, बेंचमार्किंग, और कोई अन्य कारक जिन्हें आयोग उपयुक्त समझे, पर आधारित अतिरिक्त जनशक्ति की आवश्यकता पूरी करने के लिये MYT शुल्क आदेश में आयोग द्वारा अवधारित किया जायेगाः

परन्तु अवधारित मरम्मत और रखरखाव व्ययों का उपयोग केवल मरम्मत और रखरखाव कार्यों के लिये किया जायेगा।

85 गैर शुल्क आय

आयोग द्वारा अनुमोदित वितरण कारोबार और/या खुदरा आपूर्ति कारोबार से संबंधित गैर शुल्क आय की राशि, वितरण अनुज्ञापी के विद्युत के खुदरा विक्रय से राजस्व आवश्यकता का परिकलन करते समय कुल राजस्व आवश्यकता में से घटायी जायेगीः

परन्तु वितरण अनुज्ञापी, शुल्क के अवधारण हेतु अपने आवेदन के साथ आयोग को गैर शुल्क आय के अपने पूर्वानुमान फोरकास्ट का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करेगा।

गैर शुल्क हेतु विचार किये जाने वाले विभिन्न शीर्षों की सांकेतिक सूची निम्नलिखित रूप से होगीः

(a) भूमि या भवन के किराये से आय;

(b) स्क्रैप के विक्रय से आय;

(c) विलंबित भुगतान अधिभार ;

(d) बिलों के समय पर भुगतान हेतु छूट;

(e) सांविधिक निवेशों से आय;

(f) बिलों पर बिलंबित या अस्थगित भुगतान पर ब्याज;

(g) आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों को अग्रिमों पर ब्याज;

(h) स्टाफ क्वाटर्स से किराया आय;

(i) ठेकेदारों से किराया आय;

(j) ठेकेदारों और अन्यों से किराया प्रभारों से आय;

(k) विज्ञापनों इत्यादि से आय;

(l) विविध प्राप्तियां;

(m) आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिमों पर ब्याज;

(n) भौतिक सत्यापन पर प्राप्त आधिक्य;

(o) पूर्व अवधि आय;

86 व्हीलिंग प्रभारों से आय

व्हीलिंग प्रभारों से कोई आय, जो समय–समय पर संशोधित उविनिआ (राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन की निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2015 के अनुसार आयोग द्वारा अनुमोदित की गई है, को वितरण अनुज्ञापी की विद्युत के खुदरा विक्रय से राजस्व आवश्यकता के परिकलन में कुल राजस्व आवश्यकता में से घटाया जायेगा।

87 अन्य व्यापारों से आय

जहां वितरण अनुज्ञापी किसी अन्य कारोबार में संलग्न है वहां ऐसे अन्य कारोबार की सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागतों को घटाने के पश्चात ऐसे अन्य अन्य कारोबार से प्राप्त राजस्व के एक तिहाई के बराबर राशि को, वितरण अनुज्ञापी की विद्युत के खुदरा विक्रय से राजस्व आवश्यकता के परिकलन में कुल राजस्व आवश्यकता में से घटाया जायेगाः

परन्तु वितरण अनुज्ञापी, वितरण कारोबार और अन्य कारोबार के मध्य सभी संयुक्त और सामान्य लागतों के आवंटन के लिये एक युक्तियुक्त आधार अपनायेगा और शुल्क के अवधारण हेतु अपने आवेदन के साथ आयोग को विधिक लेखा परीक्षाओं द्वारा विधिवत संपरीक्षित और प्रमाणित आवंटन पत्रक प्रस्तुत करेगा।

परन्तु आगे यह कि आयोग द्वारा विनियामक लेखों की प्रस्तुति हेतु विनियम अधिसूचित कर दिये जाने पर शुल्क अवधारण और सहीकरण हेतु आवेदन, विनियामक लेखों पर आधारित होंगेः

परन्तु आगे यह कि जहां ऐसे अन्य कारोबार की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागतों का कुल योग ऐसे अन्य कारोबार से प्राप्त राजस्व से या किसी अन्य कारण से अधिक हो जाता है तब ऐसे अन्य कारोबार के कारण वितरण अनुज्ञापी की कुल राजस्व आवश्यकता में किसी भी राशि को जोड़ने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

88 प्रति–सहायकी अधिभार और अतिरिक्त अधिभार के कारण हुई प्राप्तियां

(1) वितरण अनुज्ञापी द्वारा, समय–समय पर संशोधित उविनिआ राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन विनियम के अनुसार आयोग द्वारा अनुमोदित प्रति–सहायकी अधिभार द्वारा प्राप्त राशि, ऐसे वितरण अनुज्ञापी के विद्युत के खुदरा विक्रय से राजस्व आवश्यकता का परिकलन करते समय कुल राजस्व आवश्यकता में से घटायी जायेंगी।

(2) ऐसे वितरण अनुज्ञापी जिसने एक उत्पादक कंपनी से विद्युत की आपूर्ति प्राप्त करना चयनित किया है या ऐसे अनुज्ञापी से, अन्यथा कोई अनुज्ञापी, जो समय–समय पर संशोधित उविनिआ (राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन के निबन्धन एवं शर्तें) विनियम, 2015 के अनुसार आयोग द्वारा अनुमोदित हो, के उपभोक्ताओं से अतिरिक्त अधिभार के रूप में वितरण अनुज्ञापी द्वारा प्राप्त की गई राशि, ऐसे वितरण अनुज्ञापी के विद्युत के खुदरा विक्रय से राजस्व आवश्यकता का परिकलन करते समय कुल राजस्व आवश्यकता में से घटायी जायेगी।

89 राजस्व सरकार की सहायकी

(1) यदि राज्य सरकार अग्रिम में अथवा शुल्क फाईलिंग की कार्यवाही के दौरान उपभोक्ताओं की निश्चित श्रेणियों के लिये विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 65 के अधीन सहायकी घोषित करती है तो आयोग दो शुल्क अनुसूचियां जारी करेगा, एक सहायकी के साथ और दूसरी बिना सहायकी के।

(2) यदि राज्य सरकार शुल्क आदेश जारी करने के पश्चात उपभोक्ताओं की निश्चित श्रेणी के लिये सहायकी घोषित करती है तो अनुज्ञापी इसे शुल्क में सम्मिलित कर आयोग के अनुमोदन हेतु संशोधित शुल्क अनुसूची प्रस्तुत करेगा।

परन्तु सरकार की घोषित या उपबंधित सहायकी, भुगतान की समय अनुसूची, सहायकी के भुगतान के तरीके और सहायकी प्राप्त श्रेणियों में सहायकी राशि की श्रेणीबद्धता के दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्पित होगी।

(3) सरकार द्वारा सहायकी के अनावंटन या आवंटन के मामले में अनुज्ञापी ऐसी शुल्क अनुसूची के अनुसार उपभोक्ताओं पर प्रभार लगायेगा जिसे आयोग द्वारा बिना सरकारी सहायकी के अनुमोदित किया गया हो।

90 वर्तमान शुल्क पर राजस्व

(1) उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति से प्राप्त राजस्व का आंकलन उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों पर लागू वर्तमान शुल्क और उनको विक्रय किये जाने के लिये अनुमानित विद्युत की मात्रा के आधार पर किया जायेगा।

(2) शुल्क वर्ष के लिये, शुद्ध ARR और प्रचलित शुल्क पर पूर्वानुमान किया गया राजस्व का अंतर राजस्व–अंतर कहलायेगा।

(3) राजस्व अंतर को आयोग द्वारा अनुमोदित उपायों जैसे–दक्षता में सुधार, आरक्षितियों का उपयोग, शुल्क परिवर्तन इत्यादि द्वारा पूरा किया जायेगा।

91 आपूर्ति की लागत

विभिन्न श्रेणियों/वोल्टेजेज के लिये शुल्कों को बेंचमार्क किया जायेगा और ये वितरण अनुज्ञापी के प्रचालन में उसके द्वारा कुशलता पूर्वक उपगत हुई लागतों पर आधारित आपूर्ति की लागत को उत्तरोत्तर प्रक्षेपित करेंगे। आपूर्ति की श्रेणी–वार/वोल्टेज–वार लागत, भार कारक, वोल्टेज, तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों की परिधि इत्यादि जैसी विशेषताओं में प्रभाव डालेगी। उच्च वोल्टेज पर विद्युत प्राप्त करने वाले उपभोक्ता आयोग द्वारा नियत किये गये अनुसार छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे। तथापि, ऐसी जानकारी, जिससे आपूर्ति की श्रेणीवार/वोल्टेज–वार लागत युक्तियुक्त रूप से स्थापित होती हो, की उपलब्धता लंबित रहने पर आपूर्ति की औसत लागत का शुल्क अवधारण हेतु बेंच–मार्क के रूप में उपयोग किया जायेगा।

92 खुदरा आपूर्ति शुल्क का अवधारण

(1) विद्युत की खुदरा आपूर्ति हेतु शुल्क का अवधारण करते समय आयोग, अधिनियम की धारा 61 और 62 के उपबंधों से दिशा निर्देश प्राप्त करेगा।

(2) शुल्क का अवधारण करते समय आयोग विद्युत के किसी भी उपभोक्ता के प्रति अनुचित प्राथमिकता नहीं दर्शायेगा किन्तु उपभोक्ता के भार कारक, वोल्टेज, किसी विनिर्दिष्ट अवधि या समय जब विद्युत आवश्यक हो, पर विद्युत के कुल उपभोग या किसी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, आपूर्ति की प्रकृति और विद्युत की आवश्यकता के उद्देश्य के अनुसार भेद कर सकेगा।

(3) शुल्क याचिका में वितरण अनुज्ञापी उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणी के लिये उपयुक्त शुल्क संरचना प्रस्तावित करेगा। विवरण अनुज्ञापी ऐसे क्रियान्वयन हेतु इसके द्वारा उपयुक्त विचारित श्रेणियों के लिये आगे kVAh/ToD आधारित शुल्क प्रस्तावित कर सकता है।

(4) आयोग एक सरल, समझने में आसान और तर्क संगत शुल्क संरचना विकसित करने के लिये श्रेणियों और उप–श्रेणियों का मेल कर सकता है।

93 वितरण अनुज्ञापी का निष्पादन

(1) वितरण अनुज्ञापी आपूर्ति प्रणाली और वितरण संहिता के अनुरूप अनुपालन में अपने सिस्टम का संचालन करेगा।

(2) अपने उपभोक्ताओं को वितरण अनुज्ञापी द्वारा प्रदान की गई सेवाएं एक महत्वपूर्ण प्रतिफल होंगी और इसका निर्णय आयोग द्वारा नियत किये निष्पादन के मानकों का वितरण अनुज्ञापी द्वारा अनुपालन किये जाने की परिधि से होगा।

(3) आयोग एक पृथक आदेश द्वारा आपूर्ति उपलब्धता, वायर्स की उपलब्धता, ट्रांसफॉर्मर की विफलता दर में कमी, वोल्टेज असंतुलन में कमी, अकार्यशील/त्रुटिपूर्ण मीटरों में कमी जैसे वितरण प्रणाली में तकनीकी सुधार हेतु दीर्घावधि लक्ष्य तय कर सकता है।

भाग – IX

SLDC प्रभार

94 प्रयोज्यता

इस भाग के विनियम राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली के उपयोग–कर्ताओं (अर्थात उत्पादक कंपनी, अनुज्ञापियों (अर्थात पारेषण, वितरण व ट्रेडिंग कंपनियों) और उन्मुक्त अभिगमन ग्राहकों) जो राज्य भार प्रेषण केन्द्र (SLDC) द्वारा अनुश्रवित/सेवित होते हैं और जिनका उपयोग SLDC द्वारा संग्रहित की जाने वाली फीस और प्रभारों के अवधारण हेतु किया जाता है।

95 SLDC के साथ पंजीकरण के लिये आवेदन

(1) राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली का प्रत्येक उपयोगकर्ता, अर्थात सभी उत्पादक स्टेशन्स, वितरण अनुज्ञापी राज्यान्तर्गत पारेषण अनुज्ञापी, ट्रेडर्स और ग्रिड पहुंच का उपयोग करने के आशयित क्रेता व विक्रेता, रू0 10,000 (रू0 दस हजार मात्र) या समय–समय पर आयोग द्वारा तय संशोधित फीस के साथ SLDC को एक आवेदन दायर कर इन विनियमों के प्रवृत होने के एक माह के भीतर स्वयं को SLDC के साथ पंजीयन करवायेंगे।

परन्तु उत्पादक कंपनियां, अनुज्ञापी, क्रेता और विक्रेता जो उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (शुल्क के अवधारण हेतु निबंधन और शर्तें) विनियम, 2011 और 2015 के अनुसार पंजीकृत हुए हैं, उन्हें इन विनियमों के अधीन SLDC के साथ पंजीकृत हुआ समझा जायेगा और उन्हें ऊपर उप–विनियम (1) के अधीन अपेक्षित पंजीकरण फीस का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(2) SLDC के सीमा क्षेत्र के अधीन आने वाले राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली के नये उपयोगकर्ता उक्त लिखित फीस के साथ संयोजन की प्रस्तावित तिथि से कम से कम एक माह पूर्व SLDC के पास आवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(3) आवेदन में प्रस्तुत जानकारी की पूर्णता और उसके सही होने की संतुष्टि हो जाने के पश्चात, SLDC अपने रिकार्डस में आवेदन को पंजीकरण करेगा और आवेदक को इस पंजीकरण के संबंध में विधिवत सूचित करेगा।

(4) SLDC, राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली से जुड़े और इसके द्वारा अनुश्रवित सेवित सभी उपयोगकर्ताओं के संबंध में समेकित जानकारी अपनी वेबसाईट के एक पृथक वेब पेज पर रखेगा।

96 SLDC प्रभारों के अवधारण हेतु याचिका

(1) SLDC, आयोग को आगामी वित वर्ष हेतु अपनी कुल राजस्व आवश्यकता के अपने परिकलनों का पूर्ण विवरण प्रदान करेगा जिसे उक्त आगामी वर्ष के आरम्भ होने से अधिकतम चार माह पूर्व प्रदान किया जायेगा।

(2) नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वित वर्ष हेतु SLDC के कुल वार्षिक व्यय और इक्विटी पर रिटर्न को इन विनियमों के निबंधनों के अनुसार अनुज्ञात व्ययों और रिटर्न के आधार पर ज्ञात किया जायेगा।

(3) SLDC, इन विनियमों के अनुसार इसके द्वारा अनुश्रवित और सेवित हो रहे राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली के सभी उपयोगकर्ताओं को प्रस्तावित प्रभारों का आवंटन भी दायर करेगा। इसके साथ–साथ SLDC उसके द्वारा अनुश्रवित और सेवित हो रहे राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली के सभी उपयोगकर्ताओं को प्रभार के आवंटन हेतु प्रस्ताव के साथ कुल राजस्व आवश्यकता के अवधारण हेतु याचिका की एक प्रति भी अग्रसारित करेगा।

(4) SLDC, समय–समय पर आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में व्ययों के परिकलन और अन्य संबंधित जानकारी का विवरण प्रदान करेगा।

(5) SLDC, नियंत्रण अवधि के लिये पूंजी निवेश योजना का विवरण भी प्रस्तुत करेगा। आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट राशि से अधिक की पूंजी निवेश योजना के लिये, कार्य आरम्भ होने से पूर्व ऐसी प्रत्येक योजना के संबंध में आयोग का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(6) SLDC द्वारा दायर की गई कुल राजस्व आवश्यकता और अन्य विवरणों की संवीक्षा की जायेगी और ऐसी संवीक्षा के फलस्वरूप, आयोग ऐसी जानकारी और स्पष्टीकरण मांग सकता है जिसे वह आवश्यक समझे।

(7) SLDC द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर और विधिवत जांच, संवीक्षा और परामर्श के पश्चात आयोग के SLDC व्ययों को कवर करते हुए कुल राजस्व आवश्यकता का अनुमोदन करेगा और SLDC प्रभारों का अवधारण करेगा।

(8) किसी वर्ष में SLDC प्रभारों का पुनरीक्षण न होने की स्थिति में SLDC प्रभारों की वसूली में किसी परिवर्तन (कमी या आधिक्य) को अगले वित्त वर्ष के लिए अग्रेनीत किया जायेगा और आयोग द्वारा तय किये गये अनुसार समायोजित किया जायेगा।

(9) SLDC आयोग द्वारा निर्धारित आवधिक रिटर्न प्रस्तुत करेगा जिस में प्रचालन संबंधी और लागत डाटा का समावेश होगा।

(10) SLDC प्रभारों के लिये सभी फाईलिंग्स और आवेदन इन विनियमों में नियत किये गये अनुसार किये जायेंगे।

97 SLDC प्रभारों का उद्ग्रहण

अधिनियम की धारा 31 के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्थापित, SLDC द्वारा उपगत सभी व्ययों को पृथक रूप से लेखीकृत किया जायेगा।

परन्तु यदि इन विनियमों की प्रकाशन की तिथि पर राज्य पारेषण युटिलिटी (STU) राज्य भार प्रेषण केन्द्र को प्रचालित कर रही है और अधिनियम की धारा 31 के उप–खण्ड (2) के अधीन उपबंधित किये गये अनुसार, अधिनियम के अधीन कार्य निष्पादित कर रही है तो STU, राज्य भार प्रेषण केन्द्र के प्रचालन से संबंधित व्ययों के लिये पृथक लेखे रखेगी;

परन्तु आवंटन पत्रक के आधार पर, जो आयोग को प्रस्तुत किया जायेगा, यह कि जब तक लेखों को पृथक नहीं कर लिया जाता तब तक STU, सभी सुसंगत विवरणों के साथ लागतों का प्रभाजन करेगा।

98 LDC विकास निधि

(1) SLDC भार प्रेषण केन्द्र विकास निधि (LDCD निधि) नाम से एक पृथक निधि का सृजन एवं इसका रखरखाव करेगा।

(2) SLDC की सभी अन्य आय जैसे–लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन प्रभार, पंजीकरण प्रभार, अनुसूचीकरण और प्रचालन प्रभार, इत्यादि LDCD निधि में जमा किये जायेंगे।

(3) SLDC, LDCD निधि में उपलब्ध धन को नई आस्तियों के सृजन, आस्ति सृजन मे नियत इक्विटी भाग को पूरा करने, वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये मार्जिन राशि और R&D परियोजनाओं के निधि पोषण हेतु उपयोग करने का पात्र होगा।

(4) LDCD निधि का उपयोग आयोग द्वारा अनुज्ञात वार्षिक प्रभारों में किसी कमी, यदि है, को पूरा करने या उन आकस्मिक व्ययों, जो फीस और प्रभारों हेतु आवेदन करते समय पूर्व कल्पित नहीं किये गये थे किन्तु अब दक्ष ऊर्जा प्रणाली प्रचालन के लिये आवश्यक रूप से विचारित हैं, के सिवाय राजस्व व्यय हेतु नहीं किया जायेगा। तथापि उक्त निधि में से ऐसी निकासी, सहीकरण के समय संबंधित शीर्षों के अधीन आयोग द्वारा अनुज्ञात व्ययों से भरी जायेगी।

(5) LDCD निधि में जमा की गई धनराशि से सृजित कोई आस्ति, इक्विटी पर रिटर्न, ऋण पर ब्याज और उन्हीं सिद्धान्तों, जो अनुदान से संबंधित है, पर अवक्षय के लिये पात्र नहीं होगी। SLDC ऐसी आस्तियों का विवरण CAPEX योजना में प्रस्तुत करेगा।

(6) SLDC, उन स्रोतों जिन से निधि प्राप्त की गई, के ब्रेक–अप के साथ संचित धनराशि को LDC विकास निधि में जमा करेगा। आयोग प्रत्येक वर्ष LDC विकास निधि की समीक्षा करेगा और यदि आवश्यक हो तो निधियों के प्रभावी उपयोग हेतु SLDC को निर्देश जारी करेगा।

99 वार्षिक **SLDC** प्रभार

SLDC द्वारा वसूल किये जाने वाले वार्षिक प्रभारों में इक्विटी पर रिटर्न के घटक और निम्नलिखित व्यय भी सम्मिलित होंगेः

(a) O&M व्यय;
(b) इक्विटी पर रिटर्न;
(c) अवक्षय;
(d) पट्टा प्रभार;
(e) ऋण पूंजी पर ब्याज और वित प्रभार;
(f) आय कर, यदि है;
(g) कार्यशील पूंजी पर ब्याज, यदि है;
(h) कोई अन्य व्यय जो SLDC के कार्यों के निष्पादन में प्रासंगिक हो और आयोग द्वारा उपयुक्त समझे गये हों;

100 प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय

(1) नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष हेतु O&M व्यय, कुशल जांच और कोई अन्य कारक, जो आयोग उपयुक्त समझे, के अधीन आधार वर्ष तक पिछले पांच वर्षों के लिये वास्तविक O&M व्ययों को हिसाब में लेते हुए आयोग द्वारा अनुमोदित किये जायेंगे।

(2) nवें वर्ष के लिये और साथ ही नियंत्रण अवधि के ठीक पिछले वर्ष अर्थात 2018–19 के लिये भी निम्नलिखित फॉर्मूला के आधार पर O&M व्यय अनुमोदित किये जायेंगेः–

$$O\&M_n = R\&M_n + EMP_n + A\&G_n$$

जहां,

- O&Mn - nवें वर्ष के लिये प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय;
- EMPn – nवें वर्ष के लिये कर्मचारी लागत;
- R&Mn - nवें वर्ष के लिये मरम्मत और रखरखाव लागतें;
- A&Gn – nवें वर्ष के लिये प्रशासकीय और सामान्य लागतें;

(3) उपरोक्त घटकों का संगणन निम्नांकित विनिर्दिष्ट तरीके से किया जायेगाः

EMPn = (EMPn-1) x (1+Gn) x (1+CPI इन्फ्लेशन)

R&Mn = K x (GFAn-1) x (1+WPI इन्फ्लेशन) और

A&Gn = (A&Gn-1) x (1+WPI इन्फ्लेशन) $\pm$ प्रावधान

जहां–

- EMPn.1. (n-1) कें वर्ष के लिये कर्मचारी लागतें;
- A&Gn-1- (n-1) वें वर्ष के लिये प्रशासकीय और सामान्य लागते;
- प्रावधान : (SLDC द्वारा प्रस्तावित और आयोग द्वारा मान्य किये गये अनुसार) पहलो या अन्य एक–बारी व्ययों के लिये लागत।
- óKó% में आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट एक स्थिरांक है। नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु K का मूल्य SLDC की फाईलिंग, मरम्मत और रखरखाव व्ययों की बेंचमार्किंग, अनुमोदित मरम्मत और रखरखाव व्ययों के मुकाबले में पूर्व में आयोग द्वारा अनुमोदित GFA और कोई अन्य कारक, जिसे आयोग द्वारा उपयुक्त समझा जाये, पर आधारित MYT शुल्क आदेश में आयोग द्वारा अवधारित किया जायेगा ;
- CPI इन्फ्लेशन – ठीक पिछले तीन वर्षों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में औसत वृद्धि है ;
- WPI इन्फ्लंशन – ठीक पिछले तीन वर्षों के लिये थोक मूल्य सूचकांक (WPI) में औसत वृद्धि है ;
- GFAn-1- n-1 वें वर्षों के लिये पारेषण अनुज्ञापी की सकल स्थिर आस्ति ;
- Gn- n वें वर्ष के लिये एक वृद्धि कारक है और यह वास्तविक प्रदर्शन के आधार पर शून्य से अधिक या उससे कम हो सकता है। Gn का मूल्य, SLDC की फाईलिंग, बेंचमार्किंग और कोई

अन्य कारक, जिसे आयोग उपयुक्त समझे, पर आधारित अतिरिक्त जन शाक्ति आवश्यकता को पूरा करने के लिये MYT शुल्क आदेश में आयोग द्वारा अवधारित किया जायेगा :

परन्तु अवधारित मरम्मत एवं रखरखाव व्ययों का उपयोग केवल मरम्मत और रखरखाव कार्यों पर ही किया जायेगा।

101 SLDC प्रभारों के संकलन हेतु आधार

(1) आयोग द्वारा अवधारित वार्षिक SLDC प्रभार, राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली का उपयोग करने वाले लाभार्थियों के मध्य संविदाकृत पारेषण क्षमता के आधार पर आवंटित किये जायेंगे।

परन्तु SLDC, किन्हीं अन्य विनियमों में विनिर्दिष्ट की गयी कोई अन्य सेवाएं जो उपयोगकर्ता और ऊर्जा विनिमयों को प्रदान की गई हों, के लिये फीस और प्रभार उद्‌ग्रहित करने और उनका संकलन करने का पात्र होगा।

(2) तथापि, लघु–अवधि उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता जो राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं , SLDC को केवल उन्हीं अनुसूचीकरण प्रभारों का भुगतान करेगा जिन्हें आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो।

102 SLDC प्रभारों की बिलिंग

(1) SLDC, पिछले माह के अंतिम दिन के पश्चात सात दिन के भीतर प्रत्येक बिलिंग माह हेतु उसके द्वारा अनुश्रवित और सेवित किये जा रहे राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली के उपयोगकर्ताओं को, आयोग द्वारा अनुमोदित वार्षिक प्रभारों के बाहर की दर पर आवश्यक मासिक बिल्स प्रस्तुत करेगा।

परन्तु निर्धारित प्रभारों की बिलिंग एवं संकलन के उद्‌देश्य से MW का एक अंश भी एक पूर्ण MW माना जायेगा।

(2) लाभार्थी, SLDC के देय राशि का भुगतान बिल प्राप्ति की तिथि से एक माह के भीतर करेंगे।

(3) SLDC प्रभारों की बिलिंग को लेकर उठने वाले कोई विवाद यथासंभव परस्पर बातचीत से सुलझाये जायेंगे। यदि बिलों की प्राप्ति की तिथि से साठ (60) दिनों के भीतर परस्पर बातचीत द्वारा विवाद नहीं सुलझता है तो किसी भी पक्ष द्वारा याचिका के माध्यम से मामले को आयोग के समक्ष लाया जायेगा। आयोग का निर्णय दोनों पक्षों के लिये अंतिम और आबद्धकारी होगा।

(4) विवाद का निपटारा लंबित रहने तक बिल की 90% राशि का भुगतान देय तिथि के भीतर प्रतिवाद के अधीन किया जायेगा।

भाग X

विविध

103 बचतें

(1) न्याय का उद्देश्य पूरा करने की दृष्टि से आवश्यक ऐसे आदेश बनाने की आयोग की शक्ति को इन विनियमों में कहीं सीमित या अन्यथा प्रभावित करने वाला नहीं समझा जायेगा।

(2) यदि आयोग किसी मामलें अथवा मामलों की श्रेणी की विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगत ऐसे मामले या मामलों की श्रेणी का विनिश्चय करने के लिये न्याय संगत और समीचीन समझे तो अधिनियम के किसी भी उपबधों की संपुष्टि में ऐसी प्रक्रिया जो इन विनियमों के किसी उपबंध से भिन्न है, को अपनाने में, इन विनियमों में आयोग के लिये कुछ भी बाधक नहीं होगा।

(3) जिसके लिए कोई विनियम नहीं बनाये गये हैं, ऐसे किसी मामले में या अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का निर्वाह करने में कार्यवाही करने पर इन विनियमों में कुछ भी अभिव्यक्त या अन्तर्निहित रुप से आयोग के लिए बाधक नहीं होगा तथा ऐसे मामलों में आयोग जैसा उचित व सही समझे, उस प्रकार से इन मामलों, शक्तियों व कर्त्तव्यों का निर्वाह करेगा।

104 कठिनाईयां दूर करने की शक्तियां

यदि इन विनियमों के किन्हीं उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो आयोग सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा ऐसे निर्देश दे सकता है जो कठिनाईयां दूर करने के लिये आवश्यक व समीचीन प्रतीत हों और अधिनियम से असंगत न हों।

105 संशोधन की शक्ति

आयोग किसी भी समय इन विनियमों के किसी उपबंध में जोड़, परिवर्तन, बदलाव, आशोधन या संशोधन कर सकता है।

आयोग के आदेश से

(नीरज सती)
सचिव
उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

परिशिष्ट –I

परियोजनाओं को पूरा करने के लिये समय सीमा

(विनियम 26(2)(i) के प्रथम परन्तुक का संदर्भ लें)

(1) पूर्णता समय अनुसूची, लागू होने वाली पारेषण परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि तक ब्लॉक या यूनिट्स या तत्व तकयथा स्थिति बोर्ड (उत्पादक कंपनी या पारेषण अनुज्ञापी का) के निवेश अनुमोदन या CEA की अनापत्ति द्वारा निवेश की तिथि से गिनी जायेगी।

(2) निम्नलिखित पैराग्राफ्स और सारिणियों में समय अनुसूची माह में इंगित की गई है :

i) *ताप ऊर्जा परियोजनाएं –कंबाईन्ड सायकल ऊर्जा संयंत्र*

गैस टरबाईन आकार 100 मेगावॉट तक (**ISO** रेटिंग)

a) ग्रीन फील्ड परियोजनाओं के प्रथम ब्लॉक क लिये 26 माह। पश्चातवर्ती ब्लॉक प्रत्येक 02 माह के अंतराल पर।

b) विस्तार परियोजनाओं के प्रथम ब्लॉक के लिये 24 माह। पश्चातवर्ती यूनिट्स प्रत्येक 02 माह के अंतराल पर।

गैस टरबाईन आकार 100 मेगावॉट से अधिक (**ISO** रेटिंग)

a) ग्रीन फील्ड परियोजनाओं के प्रथम ब्लॉक के लिये 30 माह। पश्चातवर्ती ब्लॉक के लिये प्रत्येक 4 माह के अंतराल पर।

b) विस्तार परियोजनाओं के प्रथम ब्लॉक के लिये 28 माह। पश्चातवर्ती यूनिट्स प्रत्येक 4 माह के अंतराल पर।

ii) *जल विद्युत परियोजनाएं*

जल विद्युत परियोजनाओं के लिये अर्ह समय अनुसूची, अधिनियम की धारा 8 के अधीन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी मूल सहमति में उल्लिखित होगी।

iii) *पारेषण योजनाएं*

क्रम.सं.	पारेषण कार्य	मैदानी क्षेत्र (माह)	पहाड़ी भू–भाग (माह)	हिमाच्छादित क्षेत्र / अत्यंत दुर्गम भू–भाग (माह)

क्रम.सं.	पारेषण कार्य	मैदानी क्षेत्र (माह)	पहाड़ी भू–भाग (माह)	हिमाच्छादित क्षेत्र/अत्यंत दुर्गम भू–भाग (माह)
a.	400 kV D/C चतुष्क पारेषण लाईन	38	44	48
b.	400 kV D/C तिहरी पारेषण लाईन	36	42	46
c.	400 kV D/C दोहरी पारेषण लाईन	34	40	44
d.	400 kV S/C दोहरी पारेषण लाईन	30	36	40
e.	220 kV D/C दोहरी पारेषण लाईन	34	40	44
f.	220 kV D/C पारेषण लाईन	30	36	40
g.	220 kV S/C पारेषण लाईन	26	32	36
h.	132 kV पारेषण लाईन	22	28	32
i.	नया 400 kV AC उप–स्टेशन	30	33	36
j.	नया 220 kV AC उप–स्टेशन	24	27	30
k.	नया 132 kV AC उप–स्टेशन	16	19	22

नोट्स :

(i) ऊपर लिखित परियोजनाओं के प्रकार वाले संयोजन के मामले में अधिकतम अवधि वाली गतिविधि की अर्ह समय अनुसूची, योजना के लिये एक संपूर्ण रुप से विचारित की जायेगी।

(ii) यदि पारेषण लाईन एक मैदानी क्षेत्र के साथ–साथ पहाड़ी भू–भाग/हिमाच्छादित क्षेत्र/अत्यन्त दुर्गम क्षेत्र में पड़ती है तो सम्मिश्र अर्ह समय अनुसूची का परिकलन प्रत्येक क्षेत्र में पड़ने वाली लाईन की लंबाई को आनुपातिक भारित प्रदान करते हुए किया जायेगा।

परिशिष्ट –II : अवक्षय अनुसूची

(विनियम 28(4) का संदर्भ लें)

क्र.सं.	विवरण	अवक्षय दर (निस्तारण मूल्य = 10%)
		SLM
A	पूर्ण स्वामित्व के अधीन भूमि	0.00%
B	पट्टे के अधीन भूमि	
(a)	भूमि में निवेश के लिये	3.34%
(b)	स्थल की सफाई की लागत हेतु	3.34%
(c)	जल विद्युत उत्पादक स्टेशन के मामले में जलाशय हेतु भूमि	3.34%
C	नई क्रय की गई आस्तियां	
(a)	उत्पादन स्टेशनों में P1 और मशीनरी	
(i)	ज्ल विद्युत	5.28%
(ii)	स्टीम इलेक्ट्रिक नॉन हीट रिकवरी ब्वायलर (NHRB) एवं वेस्ट हीट रिकवरी	5.28%
(iii)	डीजल इलेक्ट्रिक और गैस संयंत्र	5.28%
(b)	कूलिंग टावर्स व सर्कुलेटिंग वाटर सिस्टम्स	5.28%
(c)	हायड्रो का भाग संरचित करने वाले हाईड्रॉलिक कार्य	
(i)	बांध, स्पिलवेज, वीयर्स, नहरें, पुर्नगठित कंक्रीट फ्लूम्स और साइफन्स	5.28%
(ii)	पुर्नगठित कंक्रीट पाईपलाईन्स और सर्ज टैंक्स, स्टील पाईप लाईन्स, स्लूस गेट्स, स्टील सर्ज टैंक्स, हाईड्रॉलिक कन्ट्रोल वॉल्वस और हाईड्रॉलिक कार्य	5.28%

क्र.सं.	विवरण	अवक्षय दर (निस्तारण मूल्य = 10%)
(d)	भवन और सिविल इन्जीनियरिंग कार्य–	
(i)	कार्यालय और शोरुम्स	3.34%
(ii)	ताप विद्युत उत्पादन संयंत्र समाहित	3.34%
(iii)	ज्ल विद्युत उत्पादन संयंत्र समाहित	3.34%
(iv)	अस्थायी संरचनायें जैसे लकड़ी से निर्मित संरचनाएं	100.00%
(v)	कच्चे मार्गों से अन्यथा मार्ग	3.34%
(vi)	अन्य	3.34%
(e)	ट्रांसफॉमर्स, किऑस्क, उप–स्टेशन उपकरण व अन्य स्थिर उपस्कर	
(i)	ट्रांसफॉमर्स के साथ 100kVA और अधिक की रेटिंग वाले फाउंडेशन	5.28%
(ii)	अन्य	5.28%
f	स्विच गियर के साथ केबल कनेक्शन	5.28%
g	लाईटिंग एरेस्टर	
(i)	स्टेशन प्रकार	5.28%
(ii)	पोल प्रकार	5.28%
(iii)	सिंक्रोनस कंडेंसर	5.28%
h	बैटरीज	5.28%
(i)	अंडरग्राउंड केबल सहित ज्वाइंट बॉक्सेस और असंयोजित बॉक्सेस	5.28%
(ii)	केबल डक्ट प्रणाली	5.28%
i	केबल सपोर्ट सहित ओवर हैड लाईन्स	

क्र.सं.	विवरण	अवक्षय दर (निस्तारण मूल्य = 10%)
(i)	66kV से अधिक टर्मिनल वोल्टेज पर प्रचालित फैबरिकेटेड स्टील सपोर्ट पर लाईनें	5.28%
(ii)	13.2 kV से अधिक किंतु अधिकतम 66kV तक की टर्मिनल वोल्टेज पर प्रचालित स्टील सपोर्ट पर लाईनें	5.28%
(iii)	पुनर्गठित कंक्रीट सपोर्ट पर स्टील पर लाईनें	5.28%
(iv)	उपचारित लकड़ी की सपोर्ट पर लाईनें	5.28%
j	मीटर्स	5.28%
k	सेल्फ प्रोपेल्ड वाहन	9.50%
l	एयर कंडीशनिंग संयंत्र	
(i)	स्थिर	5.28%
(ii)	पोर्टेबल	9.50%
m(i)	कार्यालय फर्नीचर और फर्निशिंग	6.33%
(ii)	कार्यालय उपकरण	6.33%
(iii)	आंतरिक वायरिंग सहित फिटिंग्स और उपस्कर	6.33%
(iv)	स्ट्रीट लाईट फिटिंग	5.28%
n	किराये पर दिये उपस्कर	
(i)	मोटर से अन्यथा	9.50%
(ii)	मोटर्स	6.33%

क्र.सं.	विवरण	अवक्षय दर (निस्तारण मूल्य = 10%)
o	संचार उपकरण	
(i)	रेडियो और उच्च फ्रीक्वेंसी कैरियर प्रणाली	6.33%
(ii)	टेलीफोन लाईन्स और टेलीफोन	6.33%
(iii)	फाईबर ऑप्टिक	6.33%
p	आई.टी. उपकरण सहित सॉफ्टवेयर	15.00%
q	कोई अन्य आस्ति जो ऊपर सम्मिलित नहीं है	5.28%

परिशिष्ट – III

विभिन्न जल उत्पादक स्टेशनों के मानकीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (NAPAF) के अवधारण हेतु दिशा–निर्देश

(विनियम 47(1) के द्वितीय परंतुक का संदर्भ लें)

विभिन्न जल विद्युत उत्पादक स्टेशनों का मानकीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (WAPAF) निम्नलिखित मानदंडो/दिशा–निर्देशों के आधार पर अवधारित किया जायेगा :

(i) पूर्ण जलाशय स्तर (FRL) और 8% तक के न्यूनतम ड्रॉ डाउन स्तर (MDDL) के मध्य हैड वैरियेशन के साथ स्टोरेज और पाँडेज प्रकार के संयंत्रों में और जहां संयंत्र उपलब्धता तलछट से प्रभावित नहीं होती है : 90%

(ii) पूर्ण जलाशय स्तर और 8% से अधिक के न्यूनतम ड्रॉ डाउन स्तर के मध्य हैड वैरियेशन के साथ स्टोरेज और पाँडेज प्रकार के संयंत्रों और जहां संयंत्र उपलब्धता तलछट से प्रभावित नहीं होती है, के मामले में DPR (CEA या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित) में परियोजना प्राधिकारियों द्वारा प्रदान माहवार पीकिंग क्षमता, NAPAF तय करने के लिये आधार संरचित करेगी।

इसे निम्नलिखित उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया गया है,

संस्थापित क्षमता : **4x250 MW**

माह	दैनिक 3 घंटे पीकिंग क्षमता की अपेक्षित औसत
अप्रैल	701
मई	448
जून	133
जुलाई	497
अगस्त	544
सितंबर	990
अक्टूबर	1000
नवंबर	1000
दिसंबर	1000

जनवरी	1000
फरवरी	1000
मार्च	693

अपेक्षित दैनिक पीकिंग क्षमता का भारित औसत = 790 MW

पीकिंग क्षमता इस धारणा पर आधारित है कि एक यूनिट मई, जुलाई, फरवरी और मार्च के महीने में वार्षिक अनुरक्षण के अधीन रहेगी।

वर्ष के दौरान जबरन आउटेज के कारण संयंत्र क्षमता पर 2% छूट का विचार करते हुए, अपेक्षित औसत पीकिंग क्षमता = 770 MW

इस प्रकार, छ।च।थ त्र 770ध्1000त्र 77:

(iii) पाँडेज प्रकार के संयंत्र जहां संयंत्र उपलब्धता तलछट द्वारा पर्याप्त रुप से प्रभावित होती है वहां 5% का मार्जिन अनुज्ञात किया गया है और NAPAF 85% होगा।

(iv) शुद्ध रुप से रन–ऑफ–रिवर प्रकार के संयंत्रों के मामले में, NAPAF, का निर्धारण परियोजना की DPR में अनुमोदित उसके 90% आश्रित 10–दैनिक इन्फ्लोज़ पैटर्न के आधार पर संयंत्रवार किया जायेगा।

(v) विशेष परिस्थितियों, अर्थात् असामान्य तलछट समस्या या अन्य परिचालक स्थितियां और ज्ञात संयंत्र सीमाओं के अधीन NAPAF का अवधारण करते समय आयोग द्वारा और छूट दी जा सकती है।

(vi) जब FRL और MDDL के मध्य अंतर 5% से अधिक हो, निम्नलिखित गुणक कारकों को लागू किया जाएगाः

हैड वैरिएशन हेतु गुणक कारक =(MDDL /रेटेड हैड पर हैड) x 0.51 + 0.52

परिशिष्ट– IV

पारेषण प्रणाली उपलब्धता के परिकलन हेतु प्रक्रिया

(विनियम 61(2) के नोट (b) का संदर्भ लें)

(1) पारेषण प्रणालियों की उपलब्धता का परिकलन करने के उद्देश्य से पारेषण तत्व को निम्नलिखित श्रेणियों में समूहबद्ध किया जायेगाः

i) AC पारेषण लाईनें : AC पारेषण लाईन का प्रत्येक सर्किट एक तत्व माना जायेगा।

ii) अन्तः संयोजित ट्रांसफॉर्मर्स (ICTs) : प्रत्येक ICT बैंक (तीन सिंगल फेज़ ट्रांसफार्मर एक साथ) एक तत्व संरचित करेंगे।

iii) स्टैटिक VAR कम्पन्सेटर (SVC) : SVC के साथ SVC ट्रांसफार्मर एक तत्व संरचित करेंगे। तथापि, इन्डक्टिव को 50% और कैपेसिटिव रेटिंग को 50% क्रेडिट दिया जायेगा।

iv) स्विच्ड बस रिएक्टर : प्रत्येक स्विच्ड बस रिएक्टर को एक तत्व माना जायेगा।

(2) पारेषण प्राणली की उपलब्धता का परिकलन निम्नलिखित रुप से किया जायेगाः

$$\text{AC प्रणाली के लिये \% प्रणाली उपलब्धता} = \frac{o \times AVo + q \times AVq + r \times AVr + s \times AVs}{o + q + r + s} \times 100$$

जहां,

o AC लाईनों की कुल संख्या है।

AVo AC लाईनों की o संख्या की उपलब्धता है।

q ICTs की कुल संख्या है।

AVq ICTs की q संख्या की उपलब्धता है।

r SVCs की कुल संख्या है।

AVr SVCs की r संख्या की उपलब्धता है।

s स्विच्ड बस रिएक्टर्स की कुल संख्या है।

AVs संख्या स्विच्ड बस रिएक्टर्स की s संख्या की उपलब्धता है।

(3) पारेषण तत्वों की प्रत्येक श्रेणी हेतु भारित कारक निम्नलिखित के अनुसार होगा :

(a) AC लाईन के प्रत्येक सर्किट के लिये

(i) अन्कॉम्पेन्सेटेड लाईन के लिये सर्ज इम्पीडैंस लोडिंग (SIL) का सर्किट किमी से गुणक

(ii) विभिन्न वोल्टेज स्तरों और कंडक्टर कन्फिगरेशन के लिये SIL रेटिंग नीचे दी गई है। तथापि, वोल्टेज स्तर और/या कंडक्टर कन्फिगरेशन जो यहां सूचीबद्ध नहीं हैं, के लिये तकनीकी प्रतिफलों पर आधारित उपयुक्त SIL का उपयोग लाभार्थी को सूचना के अधीन उपलब्धता परिकलन के लिये किया जा सकेगा।

AC लाईन्स की सर्ज इम्पीडांस लोडिंग

क्र.सं.	लाईन वोल्टेज **(kV)**	कंडक्टर कन्फिगरेशन	**SIL (MW)**
1	765	चतुष्क बर्सिमिस	2250
2	400	चतुष्क बर्सिमिस	691
3	400	दोहरी मूज	515
4	400	दोहरी AAAC	425
5	400	चतुष्क जेब्रा	647
6	400	चतुष्क AAAC	646
7	400	तिहरी स्नोबर्ड	605
8	400	AAKC (500/26)	556
9	400	दोहरी ACAR	557
10	220	दोहरी जेब्रा	175
11	220	सिंगल जेब्रा	132
12	132	सिंगल पैंथर	50
13	66	सिंगल डॉग	10

(b) प्रत्येक ICT बैंक के लिये – रेटेड MVA क्षमता।

(c) SVC के लिये– रेटेड MVAR क्षमता (इन्डक्टिव और कैपेसिटिव)।

(d) स्विच्ड बस रिएक्टर के लिये – रेटेड MVAR क्षमता।

(4) पारेषण तत्वों की प्रत्येक श्रेणी के लिये उपलब्धता का परिकलन भारित कारक, विचाराधीन कुल घंटे और उस श्रेणी के प्रत्येक तत्व हेतु अनुपलब्ध घंटों के आधार पर किया जायेगा। पारेषण तत्वों की प्रत्येक श्रेणी की उपलब्धता के परिकलन हेतु फार्मूला निम्नलिखित है :

AVo (AC लाईनों की o संख्या की उपलब्धता)– $= \frac{\sum_{i=1}^{o} \frac{Wi(Ti - T_{NA}i)}{Ti}}{\sum_{i=1}^{o} Wi}$

AVq (ICTs की q संख्या की उपलब्धता)– $= \frac{\sum_{k=1}^{q} \frac{Wk(Tk - T_{NA}k)}{Tk}}{\sum_{k=1}^{q} Wk}$

AVr (SVCs की r संख्या की उपलब्धता)– $= \frac{\left[\sum_{l=1}^{r} \frac{0.5 \times W_I l(T_I l - T_{NAI} l)}{T_I l} + \sum_{l=1}^{r} \frac{0.5 \times W_C l(T_C l - T_{NAC} l)}{T_C l} + \right]}{\left[\sum_{l=1}^{r} 0.5 \times W_I l + \sum_{l=1}^{r} 0.5 \times W_C l\right]}$

AVs (स्विच्ड बस रिएक्टर्स की s संख्या की उपलब्धता)– $= \frac{\sum_{m=1}^{s} \frac{Wm(Tm - T_{NA}m)}{Tm}}{\sum_{m=1}^{s} Wm}$

जहां

Wi = iवीं पारेषण लाईन के लिये भारित कारक

Wk = kवीं ICT के लिये भारित कारक

WI1 & WC1 = 1वें SVC के इंडक्टिव और कैपेसिटिव प्रचालन के लिये भारित कारक

Wm = m वें बस रिएक्टर के लिये भारित कारक

Ti, Tk, TI1, TC1, Tm व Tn = विचाराधीन अवधि के दौरान (नीचे पैरा 6 में प्रक्रिया में दिये गये कारणों से पारेषण अनुज्ञापी पर आरोपित न होने वाली आउटेजेज की समयावधि को छोड़कर) iवीं AC लाईन, kवीं ICT, 1वें SVC (इन्डक्टिव प्रचालन), I वीं SVC (कैप्टिव प्रचालन) और mवें स्विच्ड बस रिएक्टर लिए कुल घंटे के, TNAi , TNAk, TNAIl, TNACl, TNAm, TNAn – iवीं AC लाईन, kवीं ICT, 1वीं SVC (इन्डक्टिव प्रचालन), 1वीं SVC (कैपसिटिव प्रचालन) व mवें स्विचड बस रिएक्टर के लिये अनुपलब्ध घंटे (पारेषण अनुज्ञापी पर आरोपित नहीं की गई आउटेजेज के लिये समयावधि, जिसे नीचे पैरा 5 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार मानी गई, उपलब्धता के रुप में लिया गया है, को छोड़कर)।

(5) पारेषण अनुज्ञापी पर आरोपित न किये जाने वाले निम्नलिखित कारणों से आउटेज के अधीन पारेषण तत्वों को उपलब्ध है, माना जायेगा :

(a) अपनी पारेषण प्रणाली के अनुरक्षण या निर्माण के लिये अन्य एजेन्सी/एजेन्सीज द्वारा उपयोग लाई गई पारेषण अनुज्ञापी के पारेषण तत्वों की बंदी।

(b) SLDC/RLDC के निर्देशों के आदेशों के अनुसार ओवर वोल्टेज के कारण पारेषण अनुज्ञापी की मैनुअल ट्रिपिंग ओर स्विच्ड बस रिएक्टर की मैनुअल ट्रिपिंग।

(6) निम्नलिखित आकस्मिकताओं के लिये पारेषण अनुज्ञापी के पारेषण तत्वों के आउटेज समय को विचाराधीन अवधि के तत्व के कुल समय में सम्मिलित नहीं किया जायेगा :

(a) पारेषण अनुज्ञापी के नियंत्रण से बाहर की अपरिहार्य घटनाओं और प्राकृतिक आपदा के कारण तत्वों की आउटेज। तथापि SLDC को यह संतुष्टि प्रदान कराने की जिम्मेदारी पारेषण अनुज्ञापी की होगी कि तत्व आउटेज उपरोक्त घटनाओं के कारण थी न कि डिजायन विफलता के कारण। तत्व की बहाली के लिये SLDC द्वारा युक्तियुक्त समय अनुज्ञात किया जायेगा और पारेषण अनुज्ञापी द्वारा इस युक्तियुक्त समय से अधिक का समय तत्व की बहाली हेतु उस अतिरिक्त समय को पारेषण अनुज्ञापी के कारण हुई आउटेज के समय के रुप में लिया जायेगा। SLDC, बहाली के समय का अनुमान लगाने के लिये पारेषण अनुज्ञापी या कियी विशेषज्ञ से परामर्श कर सकता है। ERS (आपातकालीन बहाली प्रणाली) के माध्यम से बहाल किये गये सर्किट्स को उपलब्ध हैं, समझा जायेगा।

(b) जो पारेषण अनुज्ञापी पर आरोपित न हों ऐसी ग्रिड घटना/व्यवधान के कारण आउटेज, उदाहरण के लिये, अन्य एजेन्सियों के स्वामित्व वाले उप–स्टेशन या बेज में त्रुटि के कारण पारेषण अनुज्ञापी के तत्वों की आउटेज, ग्रिड में व्यवधान के कारण लाईनों, ICTs, HVDC बैक–टु–बैक स्टेशन्स इत्यादि की ट्रिपिंग। तथापि, यदि युक्तियुक्त समय के भीतर, ग्रिड घटना/व्यवधान के पश्चात प्रणाली को सामान्य स्थिति में लाते समय SLDC/RLDC से निर्देश प्राप्ति पर तत्व बहाल नहीं होता है तो तत्व को आउटेज की संपूर्ण अवधि हेतु उपलब्ध नहीं माना जायेगा और आउटेज समय पारेषण अनुज्ञापी पर आरोपित होगा।

(7) यदि किसी तत्व की आउटेज के कारण केन्द्र/राज्य क्षेत्र के स्टेशन(स)में उत्पादन में हानि होती है, तो उस तत्व के लिये आउटेज अवधि, उस/दिन(दिनों), जिनमें यह हानि हुई है, के लिये वास्तविक आउटेज अवधि से दो गुनी समझी जायेगा।

(8) यदि किसी तत्वों की आउटेज के कारण वितरण अनुज्ञापी के आपूर्ति क्षेत्र में पावर कर होता है तो उस एलीमेन्ट के लिये आउटेज अवधि उस/ दिन(दिनों) जिनमें यह पावर कट हुआ है, के लिये वास्तविक आउटेज अवधि से दो गुनी समझी जायेगा।

(9) आयोग से निवेश योजना का अनुमोदन कराते समय दी गई अनुसूचित तिथि से आगे किसी पारेषण तत्व की कमीशनिंग में देरी होने पर पारेषण तत्व को उस तिथि से कमीशन्ड हुआ समझा जायेगा और पारेषण प्रणाली की पूर्ण उपलब्धता का परिकलन करने के प्रयोजन हेतु जबरन आउटेज के कारण अनुपलब्ध समझाजायेगा।

परन्तु अपवादी अपरिहार्य मामलों में जहां अनुज्ञापी आयोग को उसकी संतुष्टिकारक ऐसे साक्ष्य/कारण प्रस्तुत करता है कि विलंब उसके नियंत्रण से बाहर के कारणों से हुआ है, वहां आयोग द्वारा विलंब को उस परिधि तक माफ किया जा सकेगा जिस परिधि तक आयोग उचित समझे।

परिशिष्ट–V

(गैस आधारित उत्पादक स्टेशनों के लिये)

[विनियम 3(20)(b)(v) का संदर्भ लें]

प्रमाणित किया जाता है कि (स्टेशन का नाम) ने उविनिआ (बहुवर्षीय शुल्क के अवधारण हेतु निबंधन और शर्तें) अधिनियम, 2015 के विनियम 3(20) के अनुसार नीचे निर्धारित मुख्य उपबंधों को पूरा कर लिया है।

(1) विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाईनों के निर्माण हेतु CEA तकनीकी मानक, विनियम, 2010 के विनियम 3(8) में निर्धारित सभी दस्तावेज स्थल पर प्रतिधारित किये हुए हैं और स्थल पर उपलब्ध हैं।

(2) विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाईनों के निर्माण हेतु CEA तकनीकी मानक विनियम, 2010 के विनियम 5 के अनुसार सभी आवश्यकताओं का अनुपालन कर लिया गया है।

(3) यूनिट प्रचालन क्षमता विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाईनों के निर्माण हेतु CEA मानक विनियम, 2010 के विनियम 14(2), 14(3), 14(4), 14(5) और 14(7) की संपुष्टि में होगी।

(4) विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाईनों के निर्माण हेतु CEA तकनीकी मानक विनियम, 2010 के विनियम 17 और विनियम 9(2), 9(4), 9(9), 9(15), 9(16), 9(18) के अनुसार स्टीम टर्बाईन हेतु सभी आवश्यकताओं का अनुपालन कर लिया गया है

नाम :

(CMD/CEO/MD)

जल–विद्युत आधारित उत्पादक स्टेशनों के लिये

(विनियम 3(20) (b) (v) का संदर्भ लें)

प्रमाणित किया जाता है कि (स्टेशन का नाम) ने उविनिआ (शुल्क के अवधारण हेतु निबंधक और शर्तें) अधिनियम, 2015 के विनियम 3(20) के अनुसार नीचे निर्धारित सभी मुख्य उपबंधों को पूरा कर लिया है।

(1) विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाईनों के निर्माण हेतु CEA तकनीकी मानक विनियम, 2010 के विनियम 3(8) में निर्धारित सभी दस्तावेज स्थल पर प्रतिधारित किये हए हैं और स्थल पर उपलब्ध हैं।

(2) विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाईनों के निर्माण हेतु CEA तकनीकी मानक विनियम, 2010 के विनियम 30(1), 30(2) और 30(5) के अनुसार सभी आवश्यकताओं का अनुपालन कर लिया गया है।

(3) यूनिट प्रचालन क्षमता, विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाईनों के निर्माण हेतु CEA तकनीकी मानक विनियम 2010 के विनियम 32(1), 32(3), 32(4), 32(6) और 32(8) की संतुष्टि में होगी।

(4) हायड्रॉलिक टर्बाईन हेतु विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाईनों के निर्माण हेतु CEA तकनीकी मानक विनियम 2010 के विनियम 33(6), 33(7) एवं 33(8) के अनुसार सभी आवश्यकताओं का अनुपालन कर लिया गया है।

नाम :

(CMD/CEO/MD)

आयोग के आदेश से

(नीरज सती)
सचिव
उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

संलग्नक–I

- वितरण के लिए प्रारूप
- **Hydro** के लिए प्रारूप
- थर्मल/गैस के लिए प्रारूप
- ट्रांसमिशन के लिए प्रारूप
- **SLDC** के लिए प्रारूप